रजिस्ट्री सं० डी-222 REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 49] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 8, 1973 (अग्रहायण 17, 1895)
No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 8, 1973 (AGRAHAYANA 17, 1895)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग III—खण्ड 4
PART III—SECTION 4

विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएँ सम्मिलित हैं

Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies

भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान

नई दिल्ली-1, दिनांक 13 नवम्बर, 1973

सं० 5 सी० ए० (1)/17/73-74—इस संस्थान की अधिसूचना सं० 25 सी० ए० (17)/71 दि० 18 सितम्बर, 1973 के सन्दर्भ में चार्टर प्राप्त लेखाकार विनिमिय 1964 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में श्री जगदीश सिंह भाटी, एफ ०सी० ए०, मैं० भाटी एण्ड कं० स्टेशन रोड, बिकानेर का नाम दिनांक 14 अक्तूबर, 1973 से पुनः स्थापित कर दिया है। (सं० स० 7245)।

दिनांक 16 नवम्बर 1973

सं० 4 सी० ए० (1)/13/73-74—चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 16 के अनुसरण मे एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा 1 खंड (क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों का नाम आगे दी गई तिथियो से हटा दिया है :—

क्र० सं०	सं० सं०	नाम एवं पता	तिथि
1.	113	श्री नौसेर एम० मारफतिया एलिस वि०, 4 मंजिल, डा० डी० एन० रोड, फोर्ट, बम्बई-1	2-9-73
2.	169	श्री पेरामवती मुन्नूस्वामी वराधा-राजू नायडू, 26-डी०, किलपोक गार्डन रोड, 1 किलपोक, मद्रास-10	12-10-73
3.	722	श्री डौंडू गोविन्द जवालकर, 195, बुद्धवार पेठ, सोलापुर	13-10-73
4.	5265	श्री एस० जी० रामाराव, 231, अर्काट श्रीनिवासाचार स्ट्रीट, बंगलौर-2	11-9-73

सं० 8 सी० ए०(1)/8/73-74—चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम, 1964 के विनियम 10(1) खंड (तीन) के अनुसरण में एतत्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किये प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र उनके नामों के आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिये गये हैं क्योंकि वे अपने प्रैक्टिस प्रमाण-पत्रों को रखने के इच्छुक नहीं :—

क्र० सं०	स० सं०	नाम एवं पता	तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	11574	श्री श्रीनिवास गोपाल कोलाटकर, ए०सी०ए०, ईस्ट एन्ड वेस्ट बिल्डिंग, 55, अपोलो स्ट्रीट, बम्बई-1	1-11-73 से 30-6-74
2.	13701	श्रीमती सरोज कुमारी अग्रवाल, ए० सी० ए०, कृष्णा नगर फैजाबाद रोड, लखनऊ	20-10-73 से 30-6-74
3.	14968	श्री के० सुधाकर हेगड़े, ए० सी० ए०, दी० विजया बैंक लि०, लेखा विभाग, बंगलौर-1	25-9-73 से 30-6-74

सी० बालकृष्णनन्, सचिव

संचार मंत्रालय
(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली-1, दिनांक 8 नवम्बर, 1973

सं० 25/106/73-एल० आई०—श्री एस० एस० अछरेजा की क्रमांक ए-66 दिनांक 20 अगस्त, 1949 की 20,000/- रु० की डाक जीवन बीमा पालिसी विभाग के संरक्षण से गुम हो गई है। यह सूचित किया जाता है कि उक्त पालिसी का भुगतान रोक दिया गया है। उपनिदेशक, डाक जीवन-बीमा कलकत्ता को बीमेदार के नाम पालिसी की दूसरी प्रति जारी करने के अधिकार दे दिये गए हैं। जनता को चेतावनी दी जाती है कि मूल पालिसी के संबंध में कोई लेन-देन न करे।

ह० आपठनीय
निदेशक (डाक जीवन बीमा)

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 15) की धारा 35 के अन्तर्गत 30 जून, 1973 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के संचालक बोर्ड की रिपोर्ट

पच्चीसवीं वार्षिक रिपोर्ट
1972–73
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम
नई दिल्ली
सूचना

सूचना दी जाती है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अंशधारियों (शेयर होल्डरों) की पच्चीसवीं वार्षिक साधारण सभा, बृहस्पतिवार, तारीख 27 सितम्बर, 1973 को सायंकाल 4.00 बजे (मानक समय) होटल इम्पीरियल, जनपथ, नई दिल्ली में होगी, जिसमें निम्नलिखित विषयों पर कार्यवाही की जायगी :—

1. 30 जून, 1973 को समाप्त हुए वर्ष का निगम का तूलन-पत्र तथा लाभ-हानि लेखा, वर्ष के दौरान निगम के कार्य के सम्बन्ध में बोर्ड की रिपोर्ट और उक्त तूलन-पत्र और लेखों के सम्बन्ध में लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट का वाचन और उस पर विचार।
2. श्री एस० जे० उत्तम सिंह तथा सरदार सन्तोख सिंह के कार्यनिवृत्त होने से औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) तथा (घ) में निर्दिष्ट प्रत्येक अंशधारियों के प्रतिनिधि के रूप में एक-एक संचालक चुनना। इस अधिनियम की धारा 11 के अनुसार ये फिर से चुने जा सकते हैं।
3. श्री एन० ए० कल्याणी के कार्यनिवृत्त होने से औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ङ) में निर्दिष्ट अंशधारियों के प्रतिनिधि के रूप में एक संचालक चुनना। इन्होंने चार वर्ष की दो अवधियाँ पूरी कर ली हैं, अतः इस अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (2) के तीसरे परन्तुक के अनुसार पुनः चुनाव के लिए पात्र नहीं हैं।
4. औद्योगिक वित्त निगम की धारा 4 की उप-धारा (3) में उल्लिखित पार्टियों अर्थात् अनुसूचित बैंकों, बीमा कम्पनियों, निवेशन्यासों और ऐसी ही अन्य वित्तीय संस्थाओं तथा सहकारी बैंकों द्वारा मैसर्स हरिभक्ति एण्ड कम्पनी, सनदी लेखापाल बम्बई के स्थान पर कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 क पहला) की धारा 226 के अन्तर्गत कम्पनियों

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

के लेखा परीक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए विधिवत् अर्हता प्राप्त एक लेखा परीक्षक को औद्योगिक वित्त : निगम अधिनियम, 1948 की धारा 34 के अन्तर्गत चुनना। मैसर्स हरिभक्ति एण्ड कम्पनी इस वर्ष के अन्त में कार्यनिवृत्त हुए हैं पर वे फिर से चुने जा सकते हैं।

26 जून, 1973

बलदेव पसरीचा
महाप्रबन्धक

संचालक बोर्ड	श्री चरन दास खन्ना	अध्यक्ष
	श्री आर० वी० रमन श्री एम० के० वेंकटाचलम्	केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित
	श्री एफ० के० एफ० नारीमन् डा० सैम्युल पाल श्री सी० एस० वेंकटराव श्री विष्णु बैनर्जी	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नामित
	श्री एस० जे० उत्तमसिंग श्री सी० पी० शाह	अनुसूचित बैंकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित
	सरदार संतोख सिंह श्री बी० सी० रणदेरिया	बीमा कम्पनियों, निवेश न्यासों और ऐसी ही अन्य वित्तीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित
	श्री एन० ए० कल्याणी डा० डब्ल्यू० सी० श्रीश्रीमल	सहकारी बैंकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित
बैंकर्स	रिजर्व बैंक आफ इण्डिया	
लेखा परीक्षक	मैसर्स रे० एण्ड रे०	सनदी लेखापाल
	मैसर्स हरिभक्ति एण्ड कम्पनी	सनदी लेखापाल

सलाहकार समितियों के सदस्य

रासायनिक प्रक्रिया और समवर्गीय उद्योग	श्री चरन दास खन्ना	अध्यक्ष	**चीनी उद्योग**	श्री चरन दास खन्ना	अध्यक्ष
	श्री एन० ए० कल्याणी			श्री एन० ए० कल्याणी	
	सरदार संतोख सिंह			डा० डब्ल्यू० सी० श्रीश्रीमल	
	श्री एफ० के० एफ० नारीमन्			श्री एस० एन० गुंडुराव	
	डा० सैम्युल पाल			श्री जे० के० भोंसले	
	श्री एस० के० मुखर्जी			श्री पी० एस० राजगोपाल नायडू	
	श्री सी० जे० दावचन्जी			श्री एस० सी० गुप्ता	
	श्री जयन्त जे० मेहता			श्री ए० दास	
	श्री आर० वी० रमानी			श्री एस० वी० सम्पत	
	श्री टी० थामस			श्री एम० एस० गिल	
	श्री एम० डी० पारेख			श्री एस० पी० बालासुब्रह्मण्यम्	
	श्री ए० सीतारमैया			श्री सोहन लाल सक्सेना	
	श्री एन० सी० कृष्णामूर्ति				
	श्री एस० वेंकटारमन्				
इंजीनियरिंग उद्योग	श्री चरन दास खन्ना	अध्यक्ष	**पटसन उद्योग**	श्री चरन दास खन्ना	अध्यक्ष
	श्री एन० ए० कल्याणी			श्री एस० जे० उत्तमसिंग	
	सरदार संतोख सिंह			श्री एफ० के० एफ० नारीमन्	
	श्री एस० जे० उत्तमसिंग			श्री ए० बी० सेनगुप्ता	
	डा० डब्ल्यू० सी० श्रीश्रीमल			श्री हरिशंकर सिंघानिया	
	श्री विष्णु बैनर्जी			श्री एस० पौल	
	श्री प्राणलाल पटेल			श्री जे० पी० गोयनका	
	श्री पी० आर० देशपांडे			श्री बी० डी० कुमार	
	श्री बी० डी० कालेलकर			श्री एस० एन० चक्रवर्ती	
	श्री बी० एम० राव			श्री एस० एन० अग्रवाल	
	श्री सी० बी० सरन				
	श्री के० बी० राव				

	डा० बी० डी० पाँडा	
	श्री एस० के० सिन्हा	
	श्री हरिभूषण	
सूतीवस्त्र उद्योग	श्री चरन दास खन्ना	अध्यक्ष
	सरदार संतोख सिंह	
	श्री एस० जे० उत्तमसिंग	
	श्री सी० पी० शाह	
	श्री विष्णु बैनर्जी	
	श्री प्रफुल्ल अनुभय	
	श्री के० सुन्दरम्	
	श्री सी० एस० रामाचारी	
	श्री एस० ए० खेर	
	श्री एन० एस० शर्मा	
	श्री टी० एन० शर्मा	
	श्री पी० एन० कपूर	
	श्री आई० बी० दत्त	
	श्री ए० दास	
	श्री एम० एस० गिल	

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की रूप रेखा

निगमन और प्रयोजन

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना भारतीय संसद के एक अधिनियम के अन्तर्गत 1948 में हुई। इसका उद्देश्य भारत में औद्योगिक संस्थाओं को मध्यम और दीर्घकालीन वित्तीय सहायता उपलब्ध करना है।

पूंजी

इस समय इसकी प्रदत्त पूंजी (पेडअप कैपीटल) 10.00 करोड़ रुपय है, जिसका 50 प्रतिशत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक आफ इण्डिया) द्वारा लगाया गया है। यह बैंक रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के पूर्ण स्वामित्व में है और उसके द्वारा नियंत्रित भी है। शेष 50 प्रतिशत रुपया अनुसूचित बैंकों, सहकारी बैंकों, बीमा संस्थाओं और निवेश-न्यासों आदि के द्वारा लगाया गया है।

प्रबन्ध

संचालक बोर्ड में एक पूर्णकालिक (होल टाइम) अध्यक्ष और बारह संचालक हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से परामर्श करके, केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। दो संचालक केन्द्रीय सरकार तथा चार संचालक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नामित किए जाते हैं। छः संचालक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से भिन्न अंशधारियों द्वारा चुने जाते हैं।

कार्य और उधार नीतियां

भारत में पंजीकृत ऐसी कोई भी लिमिटेड कम्पनी या सहकारी सहमिति, जो माल के निर्माण, परिरक्षण या अभिसंस्कार (प्रोसेसिंग) में, अथवा नौपरिवहन, खनन या होटल उद्योग में अथवा बिजली या अन्य किसी प्रकार की शक्ति के जनन या वितरण में लगी हुई हो या लगने का विचार करती हो, निगम से वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्र है। सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें भी, जो पब्लिक लिमिटेड कम्पनियाँ हैं, गैर सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाओं के समान ही सहायता प्राप्त कर सकती हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कम विकसित राज्यों/केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में औद्योगिक परियोजनाएं लगाने के लिए वित्तीय सहायता रियायती दर उपलब्ध है। यह सहायता विभिन्न रूपों में हो सकती है, जैसे रुपये और विदेशी मुद्रा का दीर्घकालीन ऋण, जारी किए गए साधारण (इक्विटी) और अधिमान शेयरों या डिबेंचरों की हामीदारी (अंडर राइटिंग), साधारण, अधिमान और डिबेंचर पूंजी का अभिदान, विदेशों से आयात की गई या भारत में ही खरीदी गई मशीनरी के लिए आस्थगित अदायगी (डेफर्ड पेमेंट) गारंटी और विदेशी वित्तीय संस्थाओं से विदेशी मुद्रा के रूप में और अनुसूचित बैंकों या राज्य सहकारी बैंकों या सार्वजनिक बाजार से भारतीय मुद्रा के रूप में लिए गए ऋणों की गारंटी। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता का उद्देश्य नई औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करना और वर्तमान परियोजनाओं का नवीकरण, आधुनिकीकरण, विस्तार या विशाखन (डाइवर्सिफिकेशन) करना है।

निधियों के स्रोत

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की निधियों के मुख्य स्रोत उसकी अपनी पूंजी, संचित आय, दिए गए ऋणों की वापसी (रि-पेमेन्ट) और निवेशों की बिक्री के अतिरिक्त बाँड जारी कर के बजार से रुपया उधार लेना और केन्द्रीय सरकार से ऋण लेना एवं विदेशी ऋण हैं।

भारतीय औद्योगिक निगम की रूप रेखा

वित्तीय कार्यों का संक्षिप्त विवरण

(रुपय करोड़ों में)

	30-6-72 तक			30-6-73 को समाप्त हुए वर्ष तक			30-6-73 को जोड़			30-6-73 को बकाया रकम
	मन्जूरियाँ (निवल)		संवितरित रकम	मन्जूरियाँ (निवल)		संवितरित रकम	मन्जूरियाँ (निवल)		संक्तिरित रकम	
	संख्या	रकम		संख्या	रकम		संख्या	रकम		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. ऋण										
—रुपया	726	261.30	277.65	66	39.57	25.69	792	300.87	253.34	156.33
—विदेशी मुद्रा	175	46.28	38.42	23	3.59	4.31	198	49.87	42.73	28.82
जोड़	901	307.58	266.07	89	43.16	30.00	990	350.74	296.07	185.15
2. हामीदारियां										
—साधारण शेयर	152	13.46	6.69	24	1.36	0.59	176	14.82	8.56	6.42
—अधिमान शेयर	121	8.08	4.58	14	0.65	0.68	135	8.73	6.26	4.11
—डिबेंचर	22	9.98	7.58	3	0.25	0.83	25	10.23	8.41	4.31
जोड़	295	31.52	21.13	41	2.26	2.10	336	33.78	23.23	14.84
3. प्रत्यक्ष अभिदान										
—साधारण शेयर	17	0.98	0.62	4	0.08	0.24	21	1.06	0.86	1.65*
—अधिमान शेयर	6	0.25	0.13	—	—	—	6	0.25	0.13	0.67*
—डिबेंचर	1	1.82	1.82	—	—	—	1	1.82	1.82	1.27
जोड़	24	3.05	2.57	4	0.08	0.24	28	3.13	2.81	3.59
4. गारंटियां										
—आस्थगित अदायगी गारंटियां	41	29.19	27.76	3	0.65	0.61	44	28.84	28.37	5.19
—विदेशी ऋणों के लिए गारंटियां	5	23.33	23.33	—	—	—	5	23.33	23.33	7.32
जोड़	46	51.52	51.09	3	0.65	0.61	49	52.17	51.70	12.51
1 से 4 तक का जोड़	1266	393.67	340.86	137@	46.15	32.95	1403	439.82	373.81	216.09

*इसमें 6 कम्पनियों के 1.03 करोड़ रुपये के बकाया ऋण भी सम्मिलित हैं, जिन्हें शेयरों में बदल दिया गया और दूसरी कम्पनी के 0.06 करोड़ रुपये के डिबेंचर भी सम्मिलित हैं जिन्हें साधारण शेयरों में बदल दिया गया।

@ये मन्जूरियां 87 संस्थाओं को की गई जिनका विवरण परिशिष्ट 'क' में दिया गया है।

टिप्पणी :—30-6-1972 को निवल मन्जूरियों के जो आंकड़े दिखाए गए हैं वे वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों से मेल नहीं खाते, क्योंकि उनमें से 30-6-1972 तक वित्तीय सहायता की कुछ मंजूरियां बाद में या तो वापस ले ली गयीं या समन्जित कर दी गई।

निगम के कार्यों की उल्लेखनीय बातें

30 जून, 1973 को वित्तीय सहायता का विस्तार

	(रुपये, करोड़ों में)			अमरीकी डालर (दस लाख में*)		
	मंजूरियां (निवल)	संवितरण	बकाया	मंजूरियां (निवल)	संवितरण	बकाया
ऋण						
—रुपया	300.87	253.34	156.33	401.16	337.79	208.44
—विदेशी मुद्रा	49.87	42.73	28.82	66.49	56.97	38.43
हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान	36.91	26.04	18.43	49.22	34.72	24.57
उप-जोड़	387.65	322.11	203.58	516.87	429.48	271.44
गारंटियां :						
—आस्थगित अदायगी के लिए	28.84	28.37	5.19	38.45	37.82	6.92
—विदेशी ऋणों के लिए	23.33	23.33	7.32	32.11	31.11	9.76
जोड़ 1973	439.82	373.81	216.09	568.43	498.41	288.12
जोड़ 1972	393.67	340.86	203.79	524.89	454.48	271.72

वित्तपोषित औद्योगिक परियोजनाएं

उर्वरक	13	मशीनरी तथा कल-पुर्जे	50	वस्त्र	97
लोहा तथा इस्पात	41	कृत्रिम रेशे तथा		चीनी	108
सीमेंट	25	रेजिन्स	24	पटसन	14
कागज	30	परिवहन उपस्कर	30	होटल	9
मूल रसायन	23	रबर उत्पादन	12	कांच	13
अलौह धातु	12	बिजली मशीनरी तथा उपस्कर	34	खान	7
धातु उत्पाद	26	अन्य रसायन	19	अन्य	34

परियोजनाओं की संख्या : 621 संस्थाओं की संख्या : 565

वित्तीय सहायता के विशेष आयाम

	सहकारी क्षेत्र	कम विकसित क्षेत्रों की परियोजनाये
मंजूर की गई सहायता		
—राशि	105.49 करोड़ रुपये	125.88 करोड़ रुपये
—कुल निवल मंजूरियों में हिस्सा	24.0 प्रतिशत	28.6 प्रतिशत
वित्तपोषित परियोजनाओं की संख्या	115	177

*रुपयों की राशि 7.50 रुपये प्रति अमरीकी डालर की दर से संपरिवर्तित की गई।

वित्तीय सार

	(रुपये, करोड़ों में)		अमरीकी डालर (दस लाख में)*
	1972	1973	1973
पूंजी और आरक्षित निधियां (30 जून को)			
प्रदत्त पूंजी	9.17	10.00	13.33
आरक्षित निधियां	16.02	18.34	24.46
जोड़	25.19	28.34	37.79
वर्ष के दौरान आय			
सकल आय	14.98	14.98	19.97
कर से पूर्व सकल लाभ	4.84	4.52	6.03
निवेश मूल्य में ह्रास के लिए व्यवस्था	0.48	—	—
कर के लिए व्यवस्था	2.17	1.62	2.16
निवल लाभ	2.19	2.90	3.87

*रुपयों की राशि 7.50 रुपये प्रति अमरीकी डालर की दर से संपरिवर्तित की गई।

यह वर्ष-संक्षेप में

यह वर्ष निगम का रजत जयन्ती वर्ष था। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, जिसकी स्थापना स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् 1948 में हुई, ने उद्योग की सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिये हैं।

मंजूरियां

30 जून, 1973 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निगम ने 90 औद्योगिक परियोजनाओं को 46.15 करोड़ रुपये की निवल वित्तीय सहायता मंजूर की, जबकि पिछले वर्ष 68 परियोजनाओं को 39.16 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई थी। ये मंजूरियां 15 राज्यों तथा 2 केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों को मंजूर की गईं। निगम ने प्रथम बार नागालैण्ड की एक परियोजना को सहायता मंजूर की।

सहायता प्राप्त करने वाली इन परियोजनाओं में से 48 नई परियोजनाओं को कुल मंजूरियों का 60.5 प्रतिशत (27.92 करोड़ रुपये) भाग प्राप्त हुआ।

इस वर्ष के दौरान उद्योगों के विस्तृत समूह को सहायता मंजूर की गई। इन परियोजनाओं की पूंजीगत लागत का अनुमान 180.60 करोड़ रुपये है।

सहकारी परियोजनाएं

इस वर्ष सहकारी क्षेत्र की 15 चीनी तथा 2 वस्त्र परियोजनाओं को रुपया ऋणों के रूप में 18.07 करोड़ रुपये की सहायता दी गई, जो कुल मंजूर रुपया ऋणों का 45.7 प्रतिशत है।

कम विकसित क्षेत्रों की परियोजनाएं

वर्ष के दौरान जिन 90 परियोजनाओं को सहायता मजूर की गई, उनमें से 30 परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कम विकसित जिलों में स्थित होंगी तथा इनमें से 7 परियोजनाएं सहकारी क्षेत्र में हैं। इन 30 परियोजनाओं को 20.36 करोड़ रुपए की सहायता दी गई, जो वर्ष के दौरान कुल मजूरियों का 44.1 प्रतिशत है।

सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं

इस वर्ष के दौरान निगम ने सरकारी क्षेत्र के 3 उपक्रमों को, सहायता मंजूर की। इनमें से 2 चीनी उद्योग तथा एक तांबा खान उद्योग से संबंधित परियोजना है।

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम में संशोधन

वर्ष के दौरान औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 में औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) अधिनियम, 1972 के द्वारा महत्वपूर्ण संशोधन किये गये। संशोधित अधिनियम के 24 दिसम्बर, 1972 से लागू हो जाने से निगम को प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों को भी वित्तीय सहायता मंजूर करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

कार्य परिणाम

इस वर्ष के कार्य परिणाम में 4.52 करोड़ रुपये का कराधान से पहले सकल लाभ हुआ। कराधान के लिए 1.62 रुपये की व्यवस्था करने के पश्चात् निवल लाभ 2.90 करोड़ रुपये हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.71 करोड़ रुपये अधिक था। निधियों में 2.34 करोड़ रुपये की राशि जमा कर दी गई, इससे निगम की आरक्षित निधियां 18.34 करोड़ रुपये हो गईं, जो प्रदत्त पूंजी से 8.34 करोड़ रुपये अधिक है।

नये कार्यालय

वर्ष के दौरान, निगम के दो नये कार्यालयों ने कानपुर तथा पटना में कार्य करना शुरू कर दिया है।

प्रदत्त पूंजी

निगम ने चौथी सिरीज के 3,308 शेयरों के लिए 2,500 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से मांग की तथा इस मांगी गई राशि के पूर्णतः प्राप्त होने से प्रदत्त पूंजी 10.00 करोड़ रुपये हो गई है।

बांड निर्गमन

वर्ष के दौरान निगम ने अपने स्रोतों को बढ़ाने के लिए अक्तूबर, 1972 तथा अप्रैल, 1973 में क्रमशः 10 करोड़ रुपये तथा 12.00 करोड़ रुपये के बांड जारी किये। जारी की गई राशि में अनुज्ञेय 10 प्रतिशत रकम को मिलाकर निगम को क्रमशः 11.00 करोड़ रुपये तथा 13.17 करोड़ रुपये का अभिदान प्राप्त हुआ।

विदेशी ऋण

वर्ष के दौरान पश्चिमी जर्मनी के क्रेडिस्तांस्तल द्वारा निगम को 80 लाख जर्मनी मार्क का एक और ऋण स्वीकार किया गया। भारत सरकार ने संयुक्त राज्य/भारत पूंजी निवेश ऋण, 1973 के अधीन 15 लाख पौण्ड का ऋण आबंटित किया। इस ऋण करार से सम्बन्धित दस्तावेज शीघ्र ही पूरे कर लिये जायेंगे। इस ऋण के पूरा होने से निगम के पास इन ऋणों की राशि 35 लाख पौण्ड हो गई है।

संवितरण

इस वर्ष के दौरान 32.95 करोड़ रुपये का संवितरण हुआ, जो पिछले वर्ष 22.10 करोड़ रुपये था। नकद संवितरण 30.51 करोड़ रुपये रहा, इसमें विदेशी मुद्रा ऋणों तथा मशीनरी के आयात के लिए आस्थगित गारंटियों के 1.83 करोड़ रुपये शामिल नहीं हैं। जो हामीदारी दायित्वों के रूप में निगम को देने पड़े। 0.61 करोड़ रुपये की राशि आस्थगित अदायगियों की गारंटी के रूप में दी गई।

रजत जयन्ती समारोह

रजत जयन्ती समारोहों को मनाने के लिए निगम ने निम्नलिखित समारोहों का आयोजन किया :

(1) निगमित कम्पनी क्षेत्र से ऋण प्राप्त करने वाली संस्थाओं का सम्मेलन नई दिल्ली में, 10 फरवरी, 1973 को बुलाया गया। सम्मेलन का उद्घाटन, केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री यशवन्तराव बलवन्तराव चाव्हाण ने किया। इस सम्मेलन ने निगम से ऋण प्राप्त करने वाली संस्थाओं में निगम की नीतियों तथा कार्य-प्रणाली के प्रति अधिक सूझबूझ पैदा करने का कार्य किया।

(2) निगम ने 'भारतीय औद्योगिक वित्त निगम रजत जयन्ती स्मृति भाषण' की स्थापना की है। प्रथम भाषण 7 मार्च, 1973 को पश्चिमी जर्मनी के क्रेडिस्तांस्तल के प्रबन्ध मण्डल के सदस्य मि० हेन्स इरिक वैकम ने दिया। रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री एस० जगन्नाथन ने समारोह की अध्यक्षता की। मि० वैकम के स्मृति भाषण का विषय 'छोटे तथा मध्य वर्ग के उद्योगों के विशेष संदर्भ में विकास बैंकिंग के नये पहलू' था।

(3) निगम द्वारा प्रवर्तित प्रबन्ध विकास संस्थान का उद्घाटन 8 मार्च, 1973 को के० एफ० डब्ल्यु० के मि० हेन्स इरिक वैकम ने किया। समारोह की अध्यक्षता भारी उद्योग मंत्री श्री टी० ए० पाई ने की।

वर्ष के दौरान निगम के कार्यों का संक्षिप्त विवरण

(रुपये, करोड़ों में)

	मंजूरियां (निवल)	संवितरण
ऋण :		
—रुपया	39.57	25.69
—विदेशी मुद्रा	3.59	4.31
हामीदारियां तथा प्रत्यक्ष अभिदान	2.34	2.34
आस्थगित अदायगी गारंटियां	0.65	0.61
	46.15	32.95

सहायता के विशेष आयाम

*कम विकसित क्षेत्रों की 30 परियोजनाओं को निवल मंजूरियों का 44.1 प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ।

*17 सहकारी परियोजनाओं को निवल मंजूरियों का 39.5 प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ।

*48 नई परियोजनाओं को वित्तीय सहायता मंजूर की गई।

*वर्ष के दौरान वित्तपोषित 90 परियोजनाओं की लागत 180.60 करोड़ रुपये है, जिसमें से 70.09 करोड़ रुपये की पूंजी लागत कम विकसित क्षेत्रों की परियोजनाओं से सम्बन्धित है।

*नये उद्यमकर्ताओं/व्यावसायिकों द्वारा प्रवर्तित 9 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई।

30 जून, 1973 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के संचालक बोर्ड की रिपोर्ट

संचालक बोर्ड 30 जून, 1973 को समाप्त हुए वर्ष के परीक्षित लेखा विवरण के साथ निगम के कार्य संचालन के बारे में अपनी पच्चीसवीं रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

उद्योग की सेवा में पच्चीस वर्ष

निगम ने 30 जून, 1973 को उद्योग की सेवा में पच्चीस वर्ष पूरे कर लिए हैं तथा इस वर्ष निगम ने अपनी रजत जयंती मनाई।

1948 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के तत्काल पश्चात् निगम की स्थापना प्रथम विकास बैंक के रूप में हुई। अपने अधिनियम के अधीन निगम की स्थापना का मूल उद्देश्य 'भारत की औद्योगिक संस्थाओं को, विशेषकर उन परिस्थितियों में जिनमें सामान्य बैंकिंग सुविधायें अपर्याप्त हैं अथवा पूंजी पुरोधरण पद्धतियों का अवलम्ब असाध्य है, अधिक सुगमता से उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए, स्थापित करना था तदनुसार निगम औद्योगिक संस्थाओं की नई परियोजनायें लगाने के लिए तथा वर्तमान परियोजनाओं के विस्तार, विशाखन एवं आधुनिकीकरण के लिए स्थायी पूंजी की आवश्यकताएं पूरी करता रहा है।

पिछले पच्चीस वर्षों की सेवा के दौरान निगम ने इसके चार्टर के अधीन इसे सौंपे गये दायित्वों को निभाने का भरसक प्रयत्न किया है। राष्ट्र के औद्योगिक विकास में निगम के योगदान को केवल इसके द्वारा मंजूर की गई सहायता की मात्रा अथवा वित्तपोषित परियोजनाओं की संख्या से नहीं आंका जाना चाहिए, परन्तु अर्थव्यवस्था पर इसकी सहायता के समग्र प्रभाव को भी ध्यान में रखना होगा। यहां पर उनमें से कुछ का उल्लेख किया जा सकता है—औद्योगिक सहकारिताओं, विशेषकर चीनी तथा वस्त्र उद्योग में सहायता देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास, कम विकसित क्षेत्रों का विकास, रोजगार की सुविधायें बढ़ाना, नये उत्पादों तथा तकनीकों का विकास, नये उद्यमकर्ताओं तथा व्यावसायिकों को प्रोत्साहन, कृषि उत्पादन वृद्धि में सहायक, जैसे उर्वरक, कीट-नाशक, कृषि मशीनरी आदि, निर्यात महत्व तथा आयात में बचत करने वाली परियोजनाओं को प्रोत्साहन, निर्यात महत्व के पटसन तथा वस्त्र मिलों का आधुनिकीकरण, आदि।

वर्षों के दौरान निगम के कार्यों का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत होता रहा है। राष्ट्र का प्रथम विकास बैंक होने के नाते इसके सामने न तो परम्परायें थीं और न अनुकरण के लिए उदाहरण; इसका एक-मात्र पथ प्रदर्शन इसका चार्टर था। सावधानी से आगे बढ़ते हुए निगम ने अनुभव से सीख कर अपनी नीतियों तथा कार्य-विधियों का निर्धारण किया। निगम ने पिछले पच्चीस वर्षों के दौरान, उद्योगों के एक विस्तृत समूह के मध्यम तथा बड़े वर्ग की 600 से अधिक औद्योगिक परियोजनाओं को सहायता प्रदान करके पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लिया है। वर्षों के दौरान, इसने बहुत से संगठनात्मक परिवर्तन किये ताकि निगम अपने कार्यों को प्रभावशाली ढंग से निभाने के लिए अपने को तैयार कर सके।

वर्षों के अनुभव पर आधारित निगम की कार्यविधियों को लगातार निर्मित तथा मानकीकृत किया जा रहा है। उदाहरणतः आवेदकों की सुविधा के लिए बहुत सी उद्योगवार मुद्रित मानक प्रश्नावलियां तैयार की गई हैं। विदेशी मुद्रा ऋण तथा अतिव्यय के लिए अतिरिक्त वित्त प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों के लिए अलग प्रश्नावलियां तैयार की गई हैं।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

ये प्रश्नावलियां, पूछी गई सूचना में विस्तृत होने के साथ-साथ आवेदन-पत्रों को शीघ्रता से निपटाने में पत्र व्यवहार में लगने वाले समय को कम से कम करने में सहायक होती हैं। वित्तीय सहायता प्रदान करने से पूर्व बहुत-सी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए आवेदकों द्वारा किये जाने वाले कार्यों से उन्हें पहले से अवगत कराने के लिए बहुत-सी निरीक्षण सूचियां भी तैयार की गई हैं।

अपने कार्यों के दौरान निगम वित्तीय सहायता मंजूर करने तथा सहायता संवितरण से पहले अनेकों विधिक औपचारिकताओं को पूरा करने में पैदा हुए समय-अन्तराल को कम करने की आवश्यकता से भली प्रकार अवगत है। वर्षों के दौरान, निगम ने प्रधान कार्यालय तथा शाखाओं में विधि विभागों की स्थापना की है। अब प्रधान कार्यालय तथा शाखायें विभिन्न विधिक दस्तावेजों को तैयार करने तथा स्वामित्वाधिकार की खोज सहित सभी विधिक कार्य करते हैं। निगम ने वित्तपोषित संस्थाओं द्वारा बंधक किये जाने वाले अधिकतर विधिक दस्तावेजों को भी मानकीकृत तथा मुद्रित कर लिया है। इस मानकीकृत के साथ-साथ निगम के कार्यालयों में विभिन्न विधिक स्टाफ उचित मात्रा में होने से लगने वाली देरी को कम कर दिया गया है तथा निगम इस क्षेत्र में और भी सुधार के लिए सतत परीक्षण कर रहा है।

निगम की कार्यप्रणाली को परम्परागत प्रतिभूति आधारित पहुंच के स्थान पर परियोजना आधारित नई पहुंच में ढालने के लिए औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम को उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है तथा प्रतिभूति की अनिवार्य शर्त को और अधिक लोचदार बना दिया गया है।

कम विकसित क्षेत्रों के विकास की आवश्यकता तथा नये उद्यमकर्ताओं एवं व्यावसायिकों को प्रोत्साहन देने के महत्व को देखते हुए निगम ने बहुत से प्रवर्तन कार्य शुरू किए हैं जिनकी रिपोर्ट में अन्य स्थान पर विस्तृत व्याख्या की गई है। वांतव्य आरक्षित निधि की स्थापना हो जाने से आशा की जाती है कि निगम के प्रवर्तन कार्य काफी बढ़ जायेंगे।

जैसा कि सहायता प्राप्त करने वाले उद्योगों की मात्रा तथा विविधता बढ़ रही है, निगम ने विभिन्न क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों से व्यावसायिक स्टाफ की नियुक्ति करके संगठन के मजबूत किया है। पिछले कुछ महीनों में निगम ने देश के विभिन्न भागों, विशेषकर कम विकसित राज्यों में कई कार्यालय खोले हैं। कुछ और कार्यालय खोलने का निर्णय किया गया है। आशा की जाती

है कि इन कार्यालयों के खुल जाने से निगम देश के विभिन्न भागों में व्याप्त अपने वर्तमान तथा भावी वित्त प्राप्त करने वाली संस्थाओं की अधिक कुशलता से सेवा कर सकेगा।

निगम अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय साख एवं निवेश निगम, जीवन बीमा निगम तथा यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय दृष्टि से उच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाओं की भारी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय स्तर की वित्तीय संस्थाओं ने सहयोग की नीति को अपनाया है। प्रत्येक संस्था रुपया/ऋणों, विदेशी मुद्रा ऋणों अथवा शेयर पूंजी और डिबेंचरों में हामीदारियों के रूप में अपना योगदान देती है। इस अनौपचारिक संगठन के सदस्य न केवल परियोजना की भारी वित्तीय आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं अपितु आपसी विचार विनिमय द्वारा मिल कर कार्य करते हैं। भागीदार संस्थाओं के तकनीकी तथा वित्तीय अधिकारियों द्वारा परियोजनाओं के संयुक्त मूल्यांकन से नीतियों तथा कार्य पद्धति में समन्वय भी रखा जाता है। वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों की नियमित समय पर बुलाई गई अन्तर-संस्थाई बैठकों में विचार विनिमय किया जाता है।

निगम के कार्यों की समीक्षा

2. वर्ष के दौरान निगम ने 49.06 करोड़ रुपये की सकल वित्तीय सहायता मंजूर की। समंजित की गई मंजूरियों के बाद 90 परियोजनाओं को 46.15 करोड़ रुपये की निवल वित्तीय सहायता मंजूर की गई। विविध उद्योगों से सम्बन्धित इन परियोजनाओं की कुल पूंजीगत लागत 180.60 करोड़ रुपये है। प्रत्येक परियोजना की मंजूर वित्तीय सहायता का ब्यौरा परिशिष्ट 'क' में दिया गया है।

निगम ने अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के साथ जिन 48 परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी है उनकी पूंजीगत लागत 137.16 करोड़ रुपये है।

इस वर्ष के दौरान उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में जिन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को वित्तीय सहायता मंजूर की गई उनकी समीक्षा नीचे दी गई है।

वर्ष के दौरान वित्तपोषित परियोजनाएं

कागज उद्योग

3. वर्ष के दौरान, निगम ने कागज तथा कागज उत्पाद उद्योग की 8 परियोजनाओं को 355.76 लाख रुपये की सहायता दी है। इनमें सात परियोजनायें विस्तार के लिए थी और एक परियोजना के मामले में सहायता कम्पनी के उत्पाद तथा क्वालिटी बढ़ाने के लिए दी गई ताकि कम्पनी का लाभ बढ़ सके। विस्तार के लिए इन 7 परियोजनाओं की लागत का अनुमान 24.29 करोड़ रुपये है।

इस सहायता को मिलाकर कागज तथा कागज उत्पाद उद्योग की 30 परियोजनाओं को निगम की कुल संचयी सहायता 28.57 करोड़ रुपये प्राप्त हुई।

सामान्यतः अधिकतर विस्तार परियोजनायें कागज की कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार के 'कैश प्रोग्राम' के अधीन वित्तीय सहायता के लिए पहुंच कर रही हैं।

सीमेन्ट उद्योग

4. सीमेंट तथा सीमेंट उत्पाद उद्योग में चार परियोनाओं को 215.00 लाख रुपये की सहायता मंजूर की गई। इस सहायता के मंजूर होने से इस उद्योग की 25 परियोजनाओं को कुल मंजूर सहायता 20.40 करोड़ रुपये हो गई है।

पन्यम सीमेंट्स एण्ड मिनरल इन्डस्ट्रीज लि० को परियोजना की वर्तमान सीमेंट उत्पादन क्षमता 86,000 टन वार्षिक वृद्धि करने के लिए और मैसूर राज्य के बेलुरी जिले में प्रति वर्ष 14,850 टन कैल्शियम कार्बाइड का उत्पादन करने के लिए नई परियोजना को 75.00 लाख रुपये की सहायता मंजूर की गई। तमिलनाडु के कम विकसित जिले रामानाथापुरम में स्थित अन्य संस्था मद्रास सीमेंट्स लि० को भी प्रति वर्ष 1.90 लाख टन से 4 लाख टन की विस्थापित क्षमता के विस्तार के लिए 85 00 लाख रुपये की सहायता मंजूर की गई।

साउदर्न एस्बेस्टस सीमेंट लि० मद्रास को मैसूर राज्य के कम विकसित जिले धारवाड़ में 36,000 टन वार्षिक क्षमता वाले दूसरे संयंत्र के लिए सीमेंट उत्पादों, जैसे, नालीदार तथा अर्ध-नालीदार शीटें, समतल सीटें तथा छत की सहायक सामग्री बनाने के लिए 40.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की गई। इस परियोजना का बाद में 3,600 टन सिंचाई तथा वर्षा जल पाईप और पाईप फिटिंग का सामान बनाने का प्रस्ताव है।

कांच उद्योग

5. कांच उद्योग में 5.28 करोड़ रुपये की परियोजना लागत वाली 3 परियोजनाओं को 88.98 लाख रुपये की सहायता मंजूर की गई। इस सहायता के मंजूर होने से इस उद्योग की 13 परियोजनाओं को मंजूर सहायता 4.46 करोड़ रुपये हो गई।

यूनिवर्सल ग्लास लि० को उत्तर प्रदेश में 18,000 टन प्रति वर्ष कांच बोतलें बनाने के लिए एक स्वचालित कांच बोतल संयंत्र के लिए 35.00 लाख रुपये की सहायता मंजूर की गई। परियोजना लागत 2 10 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। निगम ने त्रिवेणी शीट ग्लास वर्कस लि० को भी 45.00 लाख रुपये की सहायता मंजूर की। यह नई इकाई प्रति वर्ष 50 लाख वर्ग मीटर शीट ग्लास का उत्पादन करने के लिए उत्तर प्रदेश में लगाई जायेगी। परियोजना की कुल लागत लगभग 2.47 करोड़ रुपये होगी। यह परियोजना आटोमोबाइल तथा निर्माण उद्योगों में कांच की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने मे मदद करेगी।

मूल औद्योगिक रसायन

6. निगम ने इस उद्योग की तीन परियोजनाओं को 84.76 लाख रुपये की सहायता मंजूर की, इस सहायता को मिलाकर इस उद्योग की 23 परियोजनाओं को निगम द्वारा कुल मंजूर सहायता 24.67 करोड़ रुपये हो गई है।

संयुक्त क्षेत्र की एक नई कम्पनी मैसूर पैट्रो-केमिकल्स लि० को प्रति वर्ष 6,000 टन पैथालिक अन्हाइड्राईड बनाने के लिए 80.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की गई। यह परियोजना मैसूर राज्य के अधिसूचित कम विकसित जिले रायचुर में लगाई जा रही है। इस परियोजना की कुल लागत 4.45 करोड़ रुपये होगी और इसे पश्चिमी जर्मनी की तकनीकी जानकारी से लगाया जा रहा है।

रबर उद्योग

7. इस उद्योग की दो परियोजनाओं को 122.78 लाख रुपये की सहायता मंजूर की गई। इन दो परियोजनाओं की कुल लागत 4.28 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इस उद्योग मे अब तक 12 परियोजनाओं को 14.77 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई है।

पहले से वित्तपोषित संस्था मद्रास रबर फैक्टरी लि० को आटोमोबाइल टायर और ट्यूब तथा संयंत्र लगाने के लिए 100 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की गई, प्रारम्भ में इस फैक्टरी की उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 3 लाख टायर तथा ट्यूब होगी। गोआ के अधिसूचित कम विकसित क्षेत्र में लगाई जाने वाली इस परियोजना की लागत 3.67 करोड रुपये होगी।

निगम से एक अन्य परियोजना को रबर के टुकड़ों से रबर का पुर्नावर्तन करने के लिए सहायता प्राप्त हुई है।

लोहा तथा इस्पात (फाउंडरियों आदि सहित)

8. लोहा तथा इस्पात उद्योग में 8.30 करोड रुपये की पूंजी लागत वाली 6 परियोजनाओं को 189.67 लाख रुपये मंजूर किये गये।

निगम ने उत्तरी बिहार मे जमशेदपुर के स्थान पर प्रति वर्ष 28,500 टन क्षमता से उच्च कार्बन इस्पात बिल्टों का निर्माण करने के लिए एक परियोजना को 60 00 लाख रुपये की सहायता मंजूर की, परियोजना की कुल लागत 2.83 करोड़ रुपये होगी।

निगम ने नरम तथा लोचदार इस्पात सिल्लियां बनाने के लिए चार परियोजनाओं को वित्तीय सहायता का अनुमोदन किया।

देश में इस्पात सिल्लयों, बिल्टों की भारी कमी के कारण अधिकतर पुनर्रोलिंग मिल पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर सके हैं। पत्तियों पर आधारित इस्पात भट्टियों के लग जाने से इस्पात सिल्लियों तथा बिल्टों की कमी मे कुछ राहत मिलने की आशा है।

निगम ने ग्राहम फर्थ स्टील प्रोडक्ट्स (इण्डिया) लि० को इसकी वर्तमान 3,600 टन वार्षिक क्षमता को दुगुना करने के लिए विस्तार योजना के कुछ हिस्सों के व्यय को पूरा करने के लिए भी वित्तीय सहायता मंजूर की, ये इस्पात पत्तियां निर्यात महत्व के विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चे माल का काम करती हैं।

लोहा तथा इस्पात उद्योग (फाउंडरियों सहित) की 41 परियोजनाओं को अब तक निगम की कुल सहायता 25.63 करोड़ रुपये है।

धातु उत्पाद

9. निगम ने धातु उत्पादों का निर्माण करने वाली पांच परियोजनाओ की 212.65 लाख रुपये की सहायता मंजूर की है। 30 जून, 1973 तक इस क्षेत्र की 26 परियोजनाओं को कुल सचग्री मंजूरिया 8.21 करोड़ रुपये हो गई।

निगम ने एक परियोजना को दोहरी सिफ्ट के आधार पर प्रति वर्ष 2,400 टन की विस्थापित क्षमता से उच्च टेन्सिल बोल्ट तथा नट, शेल्फटेपिंग स्क्रू तथा राइवेट बनाने के लिए वित्तीय सहायता मंजूर की। यह परियोजना उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के समीप लगाई जा रही है। परियोजना की लागत 2.00 करोड़ रुपये होगी, जिसमें निगम की सहायता 70.76 लाख रुपये के बराबर होगी।

निगम ने दो परियोजनाओं को इस्पात तारें बनाने के लिए भी 120.00 लाख रुपये की सहायता मजूर की। इन्डस्ट्रियल केब्लस (इण्डिया) लि० द्वारा प्रवर्तित एक परियोजना हरियाणा के कम विकसित जिले जींद मे लगाई जायेगी, जो प्रति वर्ष 12,000 टन की विस्थापित क्षमता के इस्पात के रस्सों का निर्माण करेगी। अन्य परियोजना, ब्राइट वायर्स लि०, पश्चिमी बंगाल के जिला

24 परगना में स्थापित की जायेगी और प्रतिवर्ष 23,100 टन नरम इस्पात (जस्तीकृत) और उच्च कार्बन इस्पात तारों का निर्माण करेगी।

कलकत्ता में डम-डम के स्थान पर 138 टन वार्षिक की क्षमता से कतरन ब्लेड तथा औद्योगिक चाकू बनाने के लिये एक अन्य परियोजना बनाई जा रही है। टेम्पर्ड टूल्ज लि०, शेफिल्ड, संयुक्त राज्य (यू० के०) की तकनीकी सहायता से लगाई जाने वाली यह परियोजना इस्पात संयंत्रों और कागज उद्योग की आवश्यकताओं को पूरी करने में सहायता करेगी।

इस क्षेत्र की एक अन्य परियोजना को पुनर्स्थापन योजना के लिए सहायता मंजूर की गई है।

मशीनरी तथा उपस्कर

10. निगम ने मशीनरी तथा उपस्करों का निर्माण करने वाली 5 परियोजनाओं को 87.53 लाख रुपये की सहायता का अनुमोदन किया। इस सहायता को मिलाकर निगम की इस उद्योग की 50 परियोजनाओं को कुल मंजूर सहायता 23.93 करोड़ रुपये हो गई है।

इसी उद्योग की दो वर्तमान कम्पनियों को अपनी क्षमता तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ यंत्रों के निर्यात हेतु मामूली विदेशी मुद्रा ऋण मंजूर किये गये।

नये तथा छोटे व्यवसायिकों द्वारा प्रवर्तित, वेल्कास्ट स्टील्स लि० को प्रति वर्ष 4,500 टन ढले हुए अधातु इस्पात ग्राइंडिंग बाल बनाने के लिए अधातु इस्पात फाउंडरी लगाने हेतु सहायता मंजूर की गई। इनकी आवश्यकता वाले मिलों वाले सीमेंट उद्योग, थर्मल पावर स्टेशनों, धातु पिसाई इकाइयों, आदि को पड़ेगी।

आटोमोबाइल कलपुर्जे तथा उपस्कर

11. आटोमोबाइल सहायक उद्योग की चार परियोजनाओं को 97.75 लाख रुपये की सहायता प्राप्त हुई। अब तक इस उद्योग की 30 परियोजनाओं को 15.16 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की जा चुकी है।

भारत गियर्स लि० को तीन सिफ्टों के आधार पर प्रति वर्ष 1,000 टन की विस्थापित क्षमता से आटोमोबाइल गियरों का निर्माण करने के लिए 92.94 लाख रुपये मंजूर किये। परियोजना पूर्णतः स्वदेशी जानकारी पर आधारित होगी तथा विदेशी तकनीकी जानकारी के बिना स्थापित की जाने वाली यह पहली संकलित परियोजना होगी। यह परियोजना आयात प्रतिस्थापन के द्वारा बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में मदद करेगी।

बिजली उपस्कर

12. निगम ने बिजली उपस्कर उद्योग में दो परियोजनाओं को 83.34 लाख रुपये की सहायता मंजूर की, इस सहायता को मिला कर बिजली मशीनरी तथा उपस्कर उद्योग की 34 परियोजनाओं को मंजूर सहायता 12.02 करोड़ रुपये हो गई।

वित्तपोषित संस्था, सालवानियां एण्ड लक्ष्मण लि० को जी० एल० एस० लैम्पों, कोयलों, लीड-वायर की उत्पादन क्षमता में विस्तार करने तथा आटो लैम्पों की श्रेणी में उत्पादन/विशाखन के लिए 80.84 लाख रुपये की सहायता मंजूर की गई है। परियोजना की लागत 3.44 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इस परियोजना से जी० एल० एस० लैम्पों की कमी में राहत मिलने की आशा है।

होटल

13. निगम ने देश में चार नये होटल लगाने के लिए 49.50 लाख रुपये की सहायता मंजूर की है। इन परियोजनाओं की लागत 6.69 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इससे इस उद्योग की 9 परियोजनाओं को निगम की सहायता 4.04 करोड़ रुपये हो गई है।

स्थापित किये जाने वाले इन चार होटलों में से एक पांच स्टार होटल होगा, जो मद्रास में बनाया जायेगा, दो चार स्टार होटलों में से एक आगरा तथा दूसरा आन्ध्र प्रदेश में विशाखापटनम् में बनाया जायेगा। चौथा होटल महाराष्ट्र के औरंगाबाद नामक स्थान पर बनाया जायेगा। ये होटल पर्यटन के विकास में सहायक सिद्ध होंगे तथा इस प्रकार देश के लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा कमा सकेंगे।

चीनी उद्योग

14. पहले की भांति निगम की सहायता का अधिकतर भाग चीनी उद्योग को ही प्राप्त हुआ। निगम ने चीनी उद्योग की 21 परियोजनाओं को 19.92 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की। इनमें से 9 परियोजनायें कम विकसित जिलों/क्षेत्रों में लगाई गई।

अब तक चीनी उद्योग की 108 परियोजनाओं को निगम द्वारा मंजूर सहायता 99.73 करोड़ रुपये हो गई है।

वर्ष के दौरान, सहकारी क्षेत्र की 15 परियोजनाओं को 15.92 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। इस सहायता का उपयोग 8 नई परियोजनायें लगाने तथा चार परियोजनाओं के विस्तार के लिये किया गया। 3 अन्य परियोजनाओं के मामले में परियोजना लागत मे अति व्यय को पूरा करने के लिए सहायता दी गई। सहकारी क्षेत्र की 15 परियोजनाओं में से 6 परियोजनाओं को अधिसूचित कम विकसित जिलों मे लगाये जाने के कारण सहायता रियायती शर्तों पर मंजूर की गई जो कि इन क्षेत्रों की परियोजनाओं को प्राप्त होती है।

वर्ष के दौरान निगमित क्षेत्र की 6 चीनी परियोजनाओं को भी सहायता दी गई। इनमें से दो सरकारी क्षेत्र मे तथा एक संयुक्त क्षेत्र मे लगेगी। इन सरकारी क्षेत्र की दो परियोजनाओं में से एक नागालैण्ड में स्थापित की जा रही है और उस राज्य को यह पहली परियोजना है जिसे निगम की सहायता मिली है।

सूती वस्त्र

15. सूती वस्त्र उद्योग की 7 परियोजनाओ को 374.03 लाख रुपये की सहायता मजूर की गई।

अब तक इस उद्योग की 97 परियोजनाओ को कुल 45.74 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई।

निगम ने सहकारी क्षेत्र में अकोला सहकारी सूत गिरनी लि० को 20,240 पूरक तकुओ वाला कताई मिल लगाने के लिए 100.00 लाख रुपये की सहायता मंजूर की। इस परियोजना लागत का अनुमान 2 करोड़ रुपये होने का है। सूती वस्त्र उद्योग की तीन अन्य परियोजनाओं को अपनी वर्तमान क्षमता बढ़ाने के लिये 190.00 लाख रुपये की सहायता मंजूर की गई, ये तीनो परियोजनायें अधिसूचित कम विकसित जिलों में स्थापित की गई हैं तथा इन्हें रियायती शर्तों पर विस्त मंजूर किया गया।

राजस्थान के अधिसूचित कम विकसित जिले भीलवाड़ा में कृत्रिम धागे का निर्माण करने के लिए अन्य इकाई लगाई जा रही है। प्रारम्भ में इसमे 8,640 पूरक तकुए होंगे जो बाद में 25,000 तकुओं तथा 300 खड्डियों वाली संकलित इकाई का भाग बन जायेंगे।

एक और अन्य सूती वस्त्र मिल को कुछ संतुलन उपस्कर तथा मशीनरी के प्रतिस्थापन के लिये आस्थगित अवायगी गारंटी के रूप मे 28 72 लाख रुपये मंजूर किए गये।

पटसन

16. निगम ने अपनी उदार ऋण योजना के अधीन पटसन उद्योग की तीन परियोजनाओं को 225.00 लाख रुपये की सहायता मंजूर की, इनकी कुल लागत 4.03 करोड़ रुपये है। पटसन उद्योग की 13 परियोजनाओ को उदार ऋण योजना के अधीन 6.14 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

अन्य परियोजनायें

17. निगम ने विभिन्न उद्योगों, जैसे, विविध रसायन, बिजली उत्पादन, संभरण तथा वितरण, खनन, विविध पैट्रोलियम उत्पाद, विवध अधातु खनिज उत्पाद, विविध निर्माण उद्योग और कृत्रिम रेशे तथा रेजिन्स का निर्माण करने वाली 12 परियोजनाओ को भी 391.17 लाख रुपये की सहायता मंजूर की।

मैसूर राज्य औद्योगिक निवेश एवं विकास निगम द्वारा प्रवर्तित परियोजना चित्रदुर्गा कापर कम्पनी लि० को खाबां खानों का विकास करने तथा प्रतिदिन 20 टन 22-25 प्रतिशत तांबा दाना पैदा करने के लिए 250 टन दैनिक विस्थापित क्षमता वाले तांबा धातु का अभिसंस्कार करने के लिए संयंत्र लगाने हेतु 100.00 लाख रुपये की सहायता मंजूर की गई। इस परियोजना की लागत 2.14 करोड़ रुपये होगी।

निगम ने मद्रास में मनाली के स्थान पर प्रतिवर्ष 300 लाख पौण्ड (13,612 टन) की क्षमता से कार्बन ब्लैक बनाने के लिए कोलम्बियन कार्बन (इण्डिया) लि० को सहायता मंजूर की, परियोजना की लागत 4.85 करोड़ रुपये होगी और इसे इण्डिया सीरीज सर्विसेज ईंक, न्यूयार्क की तकनीकी तथा वित्तीय सहायता से स्थापित किया गया है। इस परियोजना के उत्पाद से रबर उद्योग के लिए उपयोग मे आने वाले कार्बन ब्लैक के आयात को कम करने में मदद मिलेगी।

ओरियंट एब्रेसिव्ज लि० को प्रति वर्ष 4,500 टन लाइसेंस क्षमता से अलमोनियम आक्साइड एब्रेसिव्ज ग्रेन्स बनाने के लिए 70,000 लाख रुपये मंजूर किए। यह परियोजना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से लगाई जा रही है। परियोजना 2.30 करोड रुपये की लागत से गुजरात के अधिसूचित कम विकसित जिले जूनागढ़ में लगाई जायेगी।

सहायता के लिए आवेदन

18. वर्ष के दौरान 103 संस्थाओं से सहायता के लिये आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 51 आवेदन पत्र ऐसे थे जिनमें अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के साथ मिलकर संयुक्त रूप से वित्त व्यवस्था की जानी थी। वर्ष के दौरान आवेदन पत्रों का सुविधावार ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(रुपये, करोड़ों में)

सुविधा	
ऋण	
—रुपया	89.68
—विदेशी मुद्रा	14.52
—हामीदारियाँ	24.37
आस्थगित अदायगी गारंटियाँ	0.43
	129.00

19. वर्ष के प्रारंभ में 36.45 करोड़ रुपये के लिये 21 संस्थाओं के आवेदन पत्र निगम के पास विचाराधीन थे, इनकी वित्त व्यवस्था अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के साथ मिलकर संयुक्त रूप से की जानी थी। इसके अतिरिक्त निगम से सहायता प्राप्त करने के लिये 12 संस्थाओं के 9.43 करोड़ रुपये के आवेदन पत्र निगम के पास परीक्षाधीन थे।

20. वर्ष के दौरान 90 संस्थाओं को सहायता मंजूर की गई, इनमें में 48 मामलों में वित्त व्यवस्था संयुक्त रूप से की गई तथा शेष 42 मामलों में निगम ने वित्त व्यवस्था की।

वर्ष के दौरान 7 संस्थाओं से आवेदन पत्र वापिस लिये मान लिये गये इनमें से एक मामला ऐसा भी था जिसमें सयुक्त रूप से वित्त व्यवस्था की जानी थी।

21. वर्ष के अन्त में 23 संस्थाओं से 56.29 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिये आवेदन जांच की विभिन्न अवस्थाओं में थे इन मामलों में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के साथ मिलकर वित्त व्यवस्था की जानी थी। इसके अतिरिक्त निगम से 10.40 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त करने के लिये 15 संस्थाओं के आवेदन विचाराधीन थे। वर्ष के अन्त में कुल मिलाकर 38 संस्थाओं से 66.69 करोड़ रुपये की सहायता के लिए आवेदनों का निपटान दर्शाया गया है।

वर्ष के दौरान मंजूर वित्तीय सहायता की कुछ उल्लेखनीय बातें

23. 48 नई परियोजनाओं को 27.92 करोड़ रुपये (कुल सहायता का 60.5 प्रतिशत) की सहायता मंजूर की गई, शेष 18.23 करोड़ रुपये की सहायता वर्तमान उपक्रमों के विस्तार, विशाखन तथा आधुनिकीकरण के लिए दी गई।

24. अधिसूचित कम विकसित जिलों/क्षेत्रों की 30 परियोजनाओं को 20.36 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की गई। इन परियोजनाओं की कुल प्राक्कलित लागत 70.09 करोड़ रुपये थी जो मंजूर सहायता का 28.6 % है।

25. नये उद्यमकर्त्ताओं तथा व्यावसायिकों द्वारा लगाई गई 9 परियोजानाओं को 8.41 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई।

26. 9.70 करोड़ रुपये की लागत वाली संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं को 1.40 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई।

27. निगम ने 15 चीनी तथा 2 सूती वस्त्र सहकारिताओ को 18.07 करोड़ रुपये की निवल वित्तीय सहायता मंजूर की।

28. निगम ने सरकारी क्षेत्र के 3 उपक्रमों को भी 2.85 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की है।

ब्याज की दर

29. इस वर्ष के दौरान ब्याज दर मे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। रुपया ऋणों पर यह 8½% वार्षिक तथा विदेशी मुद्रा में उप-ऋणों पर 9% वार्षिक रही। रिपोर्ट में अन्य स्थान पर उल्लिखित शर्तों के अधीन अधिसूचित कम विकसित जिलों/क्षेत्रों की परियोजनाओं पर यह दर 7% वार्षिक रही।

वर्ष के अन्त में निगम ने अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के समान तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पूर्व अनुमोदन से रूपया ऋणों तथा विदेशी मुद्रा उप-ऋणों पर ब्याज दर में ½% वार्षिक की वृद्धि की है। फिर, भी, यह वृद्धि पुराने ऋणों पर लागू नहीं होगी।

ये परिशोधित ब्याज दरें 12 जुलाई, 1973 से लागू हो गई हैं। ये ब्याज दरें, उस तारीख तथा उस तारीख के बाद मंजूर किए जाने वाले रुपया ऋणों तथा विदेशी मुद्रा उप-ऋणों पर लागू होंगी तथा उन ऋणों पर भी लागू होंगी जो उस तारीख के पहले मंजूर किए गये थे लेकिन उनके ऋण करार 12 जुलाई, 1973 से पहले अनुबंधित नहीं हुए।

वित्तीय सहायता का उद्योगवार वितरण

30. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मजूर की गई वित्तीय सहायता तथा संवितरणों का उद्योगवार वितरण नीचे सारणी में दिया गया है । रिपोर्ट में उद्योगवार सांख्यिकी आँकड़े राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, 1970 के अनुसार दिये गये हैं ।

सारणी—1

(रुपये, लाखो में)

उद्योग	ऋण	हामीदारियाँ तथा प्रत्यक्ष अभिदान	गारंटियाँ	जोड	कुल का प्रतिशत	परियोजनाओं की संख्या	संवितरण
चीनी							
—सहकारी क्षेत्र	1592.00	—	—	1592.00	34.5	15	949.50
—निगमित क्षेत्र	385.00	15.00	—	400.00	8.7	6	—
	1977.00	15.00	—	1992.00	43.2	21	949.50
—वस्त्र							
—सहकारी क्षेत्र	215.00	—	—	215.00	4.7	2	78.00
—निगमित क्षेत्र	130.31	—	28.72	159.03	3.4	5	131.92
	345.31	—	28.72	374.03	8.1	7	209.92
कागज	345.48	10.28	—	355.76	7.7	8	159.95
पटसन	225.00	—	—	225.00	4.9	3	38.52
सीमेंट	205.00	10.00	—	215.00	4.6	4	24.00
धातु उत्पाद	169.89	6.98	35.78	212.65	4.6	5	54.19
लोहा तथा इस्पात	149.67	40.00	—	189.67	4.1	6	348.30
रबर उत्पाद	120.78	2.00	—	122.78	2.7	2	165.99
खान	100.00	—	—	100.00	2.2	1	—
परिवहन उपस्कर	79.75	18.00	—	97.75	2.1	4	96.24
काँच	78.98	10.00	—	88.98	1.9	3	41.73
मशीनरी	84.53	3.00	—	87.53	1.9	5	142.42
मूल औद्योगिक रसायन	64.76	20.00	—	84.76	1.8	3	111.14
बिजली मशीनरी तथा उपस्कर	65.84	17.50	—	83.34	1.8	2	59.56
बिजली जनन, संचरण तथा वितरण	50.00	25.00	—	75.00	1.6	3	—
विविध पैट्रोलियम उत्पाद	50.00	20.00	—	70.00	1.5	1	—
विविध अधातु खनिज उत्पाद	100.00	15.00	—	115.00	2.5	2	—
कृत्रिम रेशे तथा रेसिन्ज	51.17	—	—	51.17	1.1	3	299.08
होटल	30.00	19.50	—	49.50	1.1	4	0.74
विधि रसायन उत्पाद	23.00	2.00	—	25.00	0.6	3	29.00
उर्वरक	—	—	—	—	—	—	337.94
अलोह धातुएं	—	—	—	—	—	—	204.87
अखाद्य तेल	—	—	—	—	—	—	12.65
नौपरिवहन	—	—	—	—	—	—	4.82
अन्य	—	—	—	—	—	—	4.25
जोड	4316.16	234.26	64.50	4614.92	100.0	90	3294.81

वित्तीय सहायता का राज्यवार वितरण

31. इस वर्ष के दौरान निगम द्वारा मंजूर की गई वित्तीय सहायता तथा संवितरणों का राज्यवार वितरण नीचे सारणी 2 में दिया गया है।

सारणी—2

(रुपये, लाखों में)

राज्य/क्षेत्र	ऋण			हामीदारियाँ तथा प्रत्यक्ष अभिदान	गारंटियाँ	जोड़	कुल का प्रतिशत	परियोजनाओं की संख्या	संवितरण
	सहकारी क्षेत्र	निगमित क्षेत्र	जोड़						
महाराष्ट्र	1347.00	214.10	1561.10	61.00	—	1622.10	35.15	19(10)	972.01
उत्तर प्रदेश	125.00	314.50	439.50	27.98	31.28	498.76	10.81	11(2)	298.17
मैसूर	50.00	407.06	457.06	38.00	—	495.06	10.73	10(1)	168.32
तमिलनाडु	—	263.03	263.03	37.50	4.50	305.03	6.61	7	576.15
आन्ध्र प्रदेश	—	247.36	247.36	3.28	—	259.64	5.43	7	102.74
गोआ	150.00	100.00	250.00	—	—	250.00	5.42	2(1)	75.00
गुजरात	90.00	104.78	194.78	25.00	—	219.78	4.76	3(1)	298.86
पश्चिमी बंगाल	—	197.05	197.05	7.50	—	204.55	4.43	12	120.48
उड़ीसा	30.00	122.94	152.94	—	—	152.94	3.31	3(1)	83.06
हरियाणा	—	113.34	113.34	2.00	—	115.34	2.50	5	163.89
केरल	—	108.38	108.38	—	—	108.38	2.35	1	49.13
राजस्थान	15.00	55.00	70.00	—	28.72	98.72	2.14	3(1)	83.37
बिहार	—	70.78	70.78	12.00	—	82.78	1.79	2	189.77
दिल्ली	—	65.84	65.84	15.00	—	80.84	1.75	1	1.26
मध्य प्रदेश	—	75.00	75.00	—	—	75.00	1.63	2	6.66
नागालैंड	—	50.00	50.00	—	—	50.00	1.08	1	—
पंजाब	—	—	—	5.00	—	5.00	0.11	1	105.01
पांडीचेरी	—	—	—	—	—	—	—	—	0.93
जोड़	1807.00	2509.16	4316.16	234.26	64.50	4614.92	100.00	90(17)	3294.81

नोट : 1. कोष्टकों में दी गई संख्यायें सहकारी क्षेत्र की वित्तपोषित परियोजनाओं का सूचक हैं।

2. हामीदारियां, प्रत्यक्ष अभिदान तथा गारंटियों की संख्यायें निगमित क्षेत्र से सम्बन्धित हैं।

32. निगम की सहायता 15 राज्यों तथा 2 केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में व्याप्त थी। औद्योगिक रूप से कम विकसित 7 प्रदेशों, अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तथा एक अधिसूचित कम विकासित केन्द्र प्रशासित क्षेत्र की परियोजनाओं को 14.59 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई जो कुल मंजूर वित्तीय सहायता का 31.6 प्रतिशत है।

महाराष्ट्र की परियोजनाओं को जो सहायता दी गई, उसमें से 13.47 करोड़ रुपये सहकारी क्षेत्र को प्राप्त हुए जो उस राज्य में मंजूर कुल सहायता का 83 प्रतिशत है।

33. इस वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में जिन संस्थाओं को वित्तीय सहायता मंजूर की गई, उनके नाम और परियोजनाओं का विवरण परिशिष्ट 'क' में दिया गया है।

पहली जुलाई, 1948 से 30 जून, 1973 तक की अवधि में किए गए कुल कार्य

34. निगम ने 30 जून, 1973 तक 621 परियोजनाओं को 439.82 करोड़ रुपये की निवल वित्तीय सहायता मंजूर की। यह सहायता 565 संस्थाओं को मंजूर की गई, जिनकी सूची परिशिष्ट 'अ' में दी गई। संवितरणों की राशि 373.81 करोड़ रुपये थी जिसमें से नकद संवितरण 322.11 करोड़ रुपये हुआ। समीक्षाधीन वर्ष के अन्त में कुल बकाया राशि 216.09 करोड़

रुपये थी। नीचे की सारणी में 30 जून, 1973 की मंजूरियों की संख्या, निवल मंजूरियां, संवितरित तथा बकाया राशि दर्शायी गई है।

सारणी–3

(रुपये, करोड़ों में)

	मंजूरियां (निवल)		संवितरित सहायता	बकाया सहायता	
	संख्या	रकम	रकम	रकम	
1. ऋण					
—रुपया	792	300.87	253.34	156.33	
—विदेशी मुद्रा	198	49.87	42.73	28.82	
जोड़	990	350.74	296.07	185.15	
2. हामीदारियां					
—साधारण शेयर	176	14.82	8.56	6.42	
—अधिमान शेयर	135	8.73	6.26	4.11	
—डिबेंचर	25	10.23	8.41	4.31	
जोड़	336	33.78	23.23	14.84	
3. प्रत्यक्ष अभिदान					
—साधारण शेयर	21	1.06	0.86	1.65	(क)
—अधिमान शेयर	6	0.25	0.13	0.67	
—डिबेंचर	1	1.82	1.82	1.27	
जोड़	28	3.13	2.81	3.59	
1 से 3 तक का जोड़	1354	387.65	322.11	203.58	
4. गारंटियां					
—आस्थगित अदागी के लिए	44	28.84	28.37	5.19	(ख)
—विदेशी ऋणों के लिए	5	23.33	23.33	7.32	
जोड	49	52.17	51.70	12.51	
कुल जोड़	1403	439.82	373.81	216.09	

(क) इसमें 6 कम्पनियो के 1 03 करोड रुपये के बकाया ऋण भी सम्मिलित है, जिन्हें शेयरों में बदल दिया गया और एक दूसरी कम्पनी के 0.06 करोड़ रुपये के डिबेंचर भी सम्मिलित हैं, जिन्हें साधारण शेयरो में बदल दिया गया।

(ख) वास्तव में जारी की गई गारंटियां।

पहली जुलाई, 1948 से 30 जून, 1973 तक की अवधि में प्रत्येक वर्ष मंजूर और संवितरित की गई निवल वित्तीय सहायता

35. पिछले पच्चीस वर्षों की अवधि में निगम ने प्रत्येक वर्ष जो कुल निवल वित्तीय सहायता मंजूर और संवितरित की है उसका पंचवर्षीय योजनाओं के अनुसार किया गया वर्गीकरण निम्न सारणी में दिया गया है।

सारणी—4

(रुपये, करोड़ों में)

30 जून को समाप्त हुआ वर्ष	वर्ष के दौरान मंजूर की गई निवल वित्तीय सहायता				इस वर्ष के दौरान संवितरित रकम			
	ऋण	हामीदारियां	गारंटियां	जोड़	ऋण	हामीदारियां	गारंटियां	जोड़
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
पहली पंचवर्षीय योजना से पहले की अवधि								
1949	3.25	—	—	3.25	1.33	—	—	1.33
1950	2.90	—	—	2.90	2.08	—	—	2.08
1951	1.98	—	—	1.98	2.38	—	—	2.38
जोड़	8.13	—	—	8.13	5.79	—	—	5.79
पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि								
1952	3.20	—	—	3.20	1.78	—	—	1.78
1953	0.53	—	—	0.53	2.50	—	—	2.50
1954	4.10	—	—	4.10	2.82	—	—	2.82
1955	5.13	—	—	5.13	1.64	—	—	1.64
1956	140.6	—	—	14.06	2.20	—	—	2.20
जोड़	27.02	—	—	27.02	10.94	—	—	10.94
दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि								
1957	9.15	—	—	9.15	9.78	—	—	9.78
1958	5.93	0.75	1.82	8.50	8.33	—	—	8.33
1959	2.77	0.87	0.27	3.91	7.48	0.66	—	8.14
1960	12.62	0.10	6.06	18.78	8.41	0.17	2.09	10.67
1961	18.58	1.84	8.15	28.57	6.62	0.48	13.02	20.12
जोड़	49.05	3.56	16.30	68.91	40.62	1.31	15.11	57.04
तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि								
1962	17.84	0.73	0.48	19.05	10.92	0.24	0.41	11.57
1963	19.82	4.63	10.62	35.07	15.05	3.99	3.18	22.22
1964	23.61	4.30	13 16	41.07	16.94	1.96	6.39	25.29
1965	19 39	3.55	3.92	26.86	19.79	3.36	14.65	37.85
1966	21.47	3 96	1.35	26.78	23.99	4.48	2.17	30.64
जोड़	102.13	17.17	29.53	148.83	86.69	14 03	26.80	127.52

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
वार्षिक योजनायें								
1967	12.34	1.87	4.00	18.21	29.52	2.90	5.64	38.06
1968	14.90	1.48	0.85	17.23	23.35	1.06	2.61	27.02
1969	22.71	2.42	0.29	25.42	15.03	1.68	0.28	16.99
जोड़	49.95	5.77	5.14	60.86	67.90	5.64	8.53	82.07
चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि								
1970	11.20	1.19	0.13	12.52	16.86	0.85	0.34	18.05
1971	26.51	2.20	0.42	29.13	16.28	0.87	0.20	17.35
1972	33.59	4.68	—	38.27	20.99	1.00	0.11	22.10
1973	43.16	2.34	0.65	46.15	30.00	2.34	0.61	32.95
जोड़	114.46	10.41	1.20	126.07	84.13	5.06	1.26	90.4
कुल जोड़	350.74	36.91*	52.17	439.82	296.07	26.04	51.70	373.81

*इनमें 3.13 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष अभिदान भी शामिल है।

टिप्पणी : सारणी में दिये गये आंकड़े पिछले वार्षिक रिपोर्टों में दिये गये आंकड़ों से मेल नहीं खाते क्योंकि इनमें से कुछ मंजूरियां बाद में या तो वापस ले ली गई या समंजित कर दी गई।

सहकारी क्षेत्र के उद्योगों को सहायता

36. निगम के कार्यों की उल्लेखनीय बात औद्योगिक सहकारिताओं और विशेषकर चीनी तथा सूती वस्त्र सहकारिताओं को काफी मात्रा में सहायता प्रदान करना रही है। यह संयोग की बात थी कि देश में पहली फसल सहकारिता को निगम ने 1949-50 में वित्तीय सहायता प्रदान की थी। तब से लेकर सहकारिताओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इनके विकास में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किया गया नेतृत्व तथा प्रेरणा और केन्द्रीय सरकार के प्रोत्साहन और पथ-प्रदर्शन ने योगदान दिया है, लेकिन निगम द्वारा भारी-मात्रा में दी गई सहायता का भी कम महत्व नहीं है।

निगम ने अपनी स्थापना से लेकर 30 जून, 1973 तक सहकारी क्षेत्र की 115 परियोजनाओं को 105.49 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की, जो निगम की कुल मंजूरियों का 24 प्रतिशत है। सहायता का अधिकतर भाग अर्थात 89.21 करोड़ रुपये 87 चीनी सहकारिताओं को प्राप्त हुआ, जबकि 24 सूती वस्त्र सहकारिताओं को 12.27 करोड़ रुपये मंजूर किये गये। एक पटसन सहकारिता (78.50 लाख रुपये), एक वनस्पति तेल निकालने वाली सहकारिता (22.50 लाख रुपये) और उर्वरक उद्योग की एक सहकारिता (3 करोड़ रुपये) को भी सहायता मंजूर की गई। कुल संवितरणों की राशि 84.30 करोड़ रुपये थी। 30 जून 1973 तक निगम से सहायता प्राप्त करने वाली सहकारिताओं में से 47 परियोजनायें औद्योगिक रूप से अधिसूचित कम विकसित जिलों में स्थित हैं। इन परियोजनाओं को कुल 42.85 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजर की गई।

37. 30 जून, 1973 तक निगम द्वारा वित्तपोषित औद्योगिक सहकारिताओं का राज्यवार तथा उद्योगवार वितरण सारणी-5 में नीचे दिया गया है।

सारणी –5

(रुपये, लाखों में)

राज्य	चीनी		सूती-कताई		अन्य		कुल मंजूरियां		कुल का प्रतिशत
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	
आन्ध्र प्रदेश	6	585.00	3	110.00	–	—	9	695.00	6.6
असम	1	60·00	–	—	1*	78·50	2	138·50	1·3
बिहार	1	115.00	1	24.70	–	—	2	139.70	1.3
गुजरात	8	535.50	2	170.00	2@	300.00	12	1005.60	9.5
हरियाणा	2	106.00	–	—	–	—	2	106.00	1.0
केरल	2	180.00	–	—	–	—	2	180.00	7.1
मध्य प्रदेश	1	80.00	1	40.00	–	—	2	120.00	1.1
महाराष्ट्र	38	4844.20	10	536.50	–	—	48	5380.70	51.0
मैसूर	8	677.75	2	79.00	1**	22.50	11	779.25	7.4
उड़ीसा	2	205.00	1	31.00	–	—	3	236.00	2.2
पंजाब	4	315.00	–	—	–	—	4	315.00	3.0
राजस्थान	1	95.00	1	45.50	–	—	2	140.50	1.3
तमिलनाडु	7	583.00	1	35.00	–	—	8	618.00	5.9
उत्तर प्रदेश	5	390.00	2	155.00	–	—	7	545.00	5.3
गोआ	1	150.00	–	—	–	—	1	150.00	1.4
जोड़	87	8921.45	24	1226.70	4	401.00	115	10549·15	100.0

टिप्पणी—

*पटसन सहकारिता @दो इकाइयों वाली एक उर्वरक सहकारिता **वनस्पति तेल निकालने वाली सहकारिता

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

38. निगम द्वारा वित्तपोषित इन 87 नीची सहकारी परियोजनाओं की पूंजीगत लागत 186.12 करोड़ रुपये थी, इनमें से निगम ने 48% दीर्घकालीन ऋण के रूप में प्रदान किया। कृषि क्षेत्र की बचत को उत्पादन के लिए प्रयोग किए जाने का प्रमाण यह है कि 87 चीनी सहकारिताओं के लिए 31 मार्च, 1973 को उत्पादक सदस्यों ने शेयर पूंजी के रूप में 36.63 करोड़ रुपये दिये, जबकि अन्यों का योगदान (अर्थात, सहकारी संस्थाओं के अनुत्पादक सदस्यों और अन्य) 3.72 करोड़ रुपये रहा। इसके अतिरिक्त चीनी के उत्पादक सहकारी कारखानों ने 24.47 करोड़ रुपये एकत्र किए जो अप्रतिदेय जमा तथा उत्पादकों को गन्ने के मूल्य के रूप में देय है।

ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा विकास के लिये औद्योगिक सहकारितायें एक प्रभावशाली साधन हैं। इन सहकारिताओं पर निगम की सहायता के आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव को इन सहकारिताओं द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लाये गये परिवर्तन से भलीभांति स्पष्ट किया जा सकता है। चीनी उद्योग रोजगार प्रधान है और भारी मात्रा में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, चीनी सहकारितायें फैक्टरी संचालन क्षेत्र में समुदाय के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन को अत्यधिक प्रभावित कर सकती हैं। समुदाय के आर्थिक विकास के लिये चीनी सहकारिताओं द्वारा किये गये बहुत से प्रयत्नों के उदाहरण मिलते है।

निगम की सहायता से बड़े पैमाने पर चीनी सहकारी फैक्टरियों के स्थापित किये जाने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्वस्थ प्रेरणा मिली है। चीनी सहकारिताओं की स्थापना ने, विशेषकर कम विकसित क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भाग अदा किया हैं।

निगमित क्षेत्र को सहायता

39. निगम ने अपनी स्थापना से लेकर आज तक निगमित क्षेत्र में विभिन्न उद्योगों की 506 परियोजनाओं को 334.33 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है ।

40. इस सहायता का उद्योगवार वितरण नीचे सारणी में दिया गया है ।

सारणी–6

(रुपये, लाखों में)

उद्योग	परियोजनाओं की संख्या	ऋण	हामीदारियां तथा प्रत्यक्ष अभिदान	गारंटियां	जोड़	कुल का प्रतिशत
रसायन और रसायन उद्योग						
–उवरक	11	1121.36	395.93	1278.86	2796.15	8.4
–मूल रसायन	23	1891.34	144.25	431.36	2466.95	7.4
–कृत्रिम रेशे तथा रेसिन्ज	24	1633.41	204.25	42.35	1880.01	5.6
–अन्य रसायन तथा रसायन उत्पादन	19	517.59	83.35	—	600.94	1.8
					7744.05	23.2
वस्त्र						
–सूती	73	2835.70	204.50	306.93	3347.13	10.00
–पटसन	13	614.31	—	—	614.31	1.8
					3961.44	11.8
अलौह धातुए	12	951.50	302.00	1945.65	3199.15	9.6
कागज	30	2125.16	180.35	551.16	2856.67	8.5
लोहा तथा इस्पात*	41	1959.73	499.85	103.26	2562.84	7.7
मशीनरी	50	2041.40	248.20	103.76	2393.36	7.2
सीमेंट	25	1805.16	215.89	18.54	2039.59	6.1
परिवहन उपस्कर	30	1293.15	196.00	26.95	1516.10	4.5
रबर उत्पाद	12	1132.67	79.00	265.61	1477.28	4.4
बिजली और मशीनरी उपस्कर	34	1067.29	134.74	—	1202.03	3.6
चीनी	21	987.94	64.00	—	1051.94	3.1
धातु उत्पाद	26	581.06	176.98	62.78	820.82	2.5
खान	7	380.00	350.00	—	730.00	2.2
विविध अधातु खनिज उत्पाद	15	568.33	53.00	—	621.33	1.9
कांच	13	415.90	30.00	—	445.90	1.3
होटल	9	298.12	26.50	79.03	403.65	1.2
अन्य	18	303.61	102.90	—	406.51	1.2
जोड़:	506	24524.73	3691.69	5216.24	33432.66	100.0

*फाउन्डरियों सहित

भारतीय आद्योगिक वित्त निगम

41. नीचे की सारणी में निगमित क्षेत्र को दी गई सहायता का राज्यवार वितरण दर्शाया गया है।

सारणी–7

(रुपये, लाखों में)

राज्य/क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	ऋण	हामीदारियां तथा अप्रयक्ष अभिदान	गारंटियां	जोड़	कुल का प्रतिशत
तमिलनाडु	59	3282.46	582.88	1231.31	5096.65	15.2
महाराष्ट्र	89	3523.51	657.28	375.93	4556.72	13.6
पश्चिमी बंगाल	77	3247.59	225.00	532.13	4004.72	12.0
उत्तर प्रदेश	46	2584.06	300.23	353.59	3237.88	9.7
आन्ध्र प्रदेश	28	1082.76	186.10	925.82	2194.68	6.6
मसूर	37	1645.68	303.50	221.52	2170.70	6.5
गुजरात	35	1788.62	212.32	127.30	2128.24	6.4
बिहार	25	1512.22	275.00	329.75	2116.97	6.3
राजस्थान	12	780.22	22.50	786.07	1588.79	4.8
केरल	17	1114.46	29.50	172.47	1316.43	3.9
हरियाणा	30	1088.78	106.38	19.08	1214.24	3.6
उड़ीसा	13	983.67	85.00	—	1068.67	3.2
मध्य प्रदेश	14	638.90	226.25	39.82	904.97	2.7
असम	5	263.29	350.00	—	613.29	1.8
पंजाब	10	427.05	30.00	9.96	467.01	1.4
दिल्ली	3	253.46	24.75	83.33	361.54	1.1
गोआ	2	100.00	75.00	—	175.00	0.5
मेघालय	1	95.00	—	—	95.00	0.3
पांडिचेरी	1	52.00	—	8.16	60.16	0.2
नागालैंड	1	50.00	—	—	50.00	0.1
अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1	11.00	—	—	11.00	0.1
जोड़	506	24524.73	3691.69	5216.24	33432.66	100.0

रुपया ऋण

42. निगमित क्षेत्र को रुपया ऋणों के रूप में 195.46 करोड़ रुपये की सहायता दी गई, जो इस क्षेत्र को दी गई कुल सहायता का 58.5 प्रतिशत है। रुपया ऋणों में 169.12 करोड़ रुपये का संवितरण किया गया है जो इस क्षेत्र को कुल नकद संवितरणों का 71.1 प्रतिशत है।

विदेशी मुद्रा ऋण

43. निगमित क्षेत्र को 49.79 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा ऋण मंजूर किए गए, जब कि संवितरण 42.66 करोड़ रुपये हुआ।

30 जून, 1973 तक विदेशी मुद्रा ऋणों से संबंधित स्थिति नीचे की सारणी में दिखाई गई है ।

सारणी—8

मुद्रा	मंजूरियां			जारी किये गये साख/ वचन यंत्र		संवितरित रकम	
	उपकरणों की संख्या	विदेशी मुद्रा (दस लाखों में)	रुपये (लाखों में)	विदेशी मुद्रा (दस लाखों में)	रुपये (लाखों में)	विदेशी मुद्रा (दस लाखों में)	रुपये (लाखों में)
पश्चिमी जर्मन मार्क	129	119.67	2439.55	105.38	2146.76	100.64	2049.56
अमरीकी डालर	57	26.75	1963.27	26.75	1963.27	26.75	1963.27
फ्रांसीसी फ्रांक	11	13.01	177.92	12.56	171.61	12.68	173.45
पौंड स्टर्लिंग	20	2.09	398.36*	1.02	195.35	0.42	79.22
जोड़	217		4979.10		4476.99		4265.50

*इसमें भावी आबन्टनों के आधीन 19.56 लाख रुपये तीन उप-ऋण सम्मिलित हैं ।

हामीदारियां

44. निगम ने 30 जून, 1973 तक साधारण और अधिमान शेयरों तथा डिबेंचरों के लिये 336 आवेदन पत्रों पर 33.78 करोड़ रुपये की निवल राशि मंजूर की ।

30 जून, 1973 तक पूरे किये गये निर्गमों से सम्बन्धित स्थिति सारणी 9 में दिखाई गई है ।

सारणी—9

(रुपये लाखों में)

	हामीदारी की रकम	रकम जो निगम को देनी पड़ी	(3) से (2) का प्रतिशत
1	2	3	4
साधारण शेयर	1339.10	870.08	64.9
अधिमान शेयर	822.79	660.25	80.2
डिबेंचर	998.00	841.53	84.3
	3159.89	2371.86	74.6

प्रत्यक्ष अभिदान

45. निगम ने 28 निर्गम आवेदन पत्रों पर 312.23 लाख रुपये मंजूर किये । जिनमें 105.24 लाख रुपये के साधारण शेयर, 24.99 लाख रुपये के अधिमान शेयर तथा 182.00 लाख रुपये के डिबेंचर थे । इनमें से 8 निर्गमों के लिये निगम ने जो हामीदारी ली थी उनमें 26.37 लाख रुपये का प्रत्यक्ष अभिदान किया ।

आस्थगित अदायगी के लिये गारंटियां

46. 30 जून, 1973 तक 44 आवेदन पत्रों पर 28.84 करोड़ रुपये की आस्थगित अदायगी गारन्टियां दी गई । 30 जून, 1973 तक वास्तव में जारी की गई गारंटियों की कुल रकम 28.37 करोड़ रुपये थी ।

विदेशी वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त विदेशी मुद्रा ऋणों के लिए गारंटियां

47. निगम द्वारा 30 जून, 1973 तक 5 आवेदन पत्रों पर कुल 23.33 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा गारंटियां मंजूर तथा जारी की गई ।

30 जून, 1973 तक मंजूर की गई वित्तीय सहायता का प्रयोजनवार वितरण

48. 30 जून, 1973 तक मंजूर की गई वित्तीय सहायता का प्रयोजनवार वर्गीकरण तथा निगम द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की कुल लागत का विवरण नीचे सारणी 10 में दिया गया है ।

सारणी–10

(रुपये, करोड़ों में)

उपक्रम का स्वरूप	परियोजनाओं की कुल लागत	मंजूर की गई निवल वित्तीय सहायता				प्रतिशत (6) से (2) का
		ऋण	हामीदारियां और प्रत्यक्ष अभिदान	गारंटियां	जोड़	
1	2	3	4	5	6	7
नये उपक्रम	1435.13	216.75	26.15	42.31	285.21	19.87
वर्तमान उपक्रम						
(1) उत्पादन की वर्तमान दिशाओं में विस्तार के लिये	555.90	104.66	7.88	6.93	119.47	21.49
(2) आधुनिकीकरण और पुनःस्थापन के लिये	123.41	17.64	2.36	0.86	20.86	16.90
(3) उत्पादन की नई दिशाओं में विशाखन के लिये	60.13	17.69	0.52	2.07	14.28	23.75
जोड़	2174.57	350.74	36.91	52.17	439.82	20.23

निगम ने नये उपक्रमों को 285.21 करोड़ रुपये की सहायता मन्जूर की, जो कुल सहायता का 64.8 प्रतिशत है और वर्तमान परियोजनाओं को उनके विस्तार, आधुनिकीकरण अथवा विशाखन के लिये 154.61 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है । जिन 621 परियोजनाओं को निगम ने सहायता दी है उनकी कुल लागत 2174.57 करोड़ रुपये है, समग्र साधनों का सूचक है जो इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिये जुटाया गया है ।

30 जून, 1973 तक मन्जूर की गई निवल वित्तीय सहायता का राज्यवार और उद्योगवार वितरण इस रिपोर्ट में क्रमशः 'ख' और 'ग' परिशिष्टों में दिया गया है। प्रत्येक राज्य में मन्जूर की गई निवल वित्तीय सहायता का उद्योगवार वितरण परिशिष्ट 'ङ' में दिया गया है । परिशिष्ट 'छ' में प्रत्येक औद्योगिक संस्था को मन्जूर की गई राशि के अनुसार उनकी निवल सहायता का वर्गीकरण किया गया है ।

निगम के प्रवर्तन कार्य

49. 1948 में अपनी स्थापना से लेकर भारतीय औद्योगिक वित्त निगम कम विकसित प्रांतों/क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिये पर्याप्त रुचि लेता रहा है ताकि इन क्षेत्रों का अधिक सन्तुलित विकास हो सके । भारत सरकार ने देश से प्रादेशिक असन्तुलन को कम करने में निगम के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करते हुए सर्वप्रथम अगस्त, 1948 में एक नीति निदेश जारी किया जिसका उद्देश्य था कि जहां तक व्यावहारिक हो सके, निगम ऐसे क्षेत्रों के औद्योगिक विकास में सहायता प्रदान करे ताकि ये क्षेत्र अधिक सन्तुलित विकास प्राप्त कर सकें । उपर्युक्त निदेश को पूरा करने के लिय निगम को अपने चार्टर की शर्तों के अधीन कार्य करना होता है । औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम के खण्ड (6) (2) के अनुसार बोर्ड अपने कृत्यों के निर्वहन में उद्योग, वाणिज्य और जनसाधारण के हितों का सम्यक् ध्यान रखते हुए कारोबार के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेगा, दूसरे शब्दों में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को कम विकसित क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने तथा परियोजना व्यवहार्यता के बीच उचित सन्तुलन स्थापित करना होता है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अपने चार्टर की शर्तों तथा सरकारी नीतियों के अनुरूप अपने कार्यों में कम विकसित प्रांतों अथवा क्षेत्रों के उद्योगीकरण को उचित महत्व प्रदान कर रहा है। निगम के कार्यों में इसकी स्पष्ट झलक देखी जा सकती है ।

50. 30 जून, 1973 तक 621 औद्योगिक परियोजनाओं को 439.82 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का लगभग 28.6 प्रतिशत भाग, अर्थात् 125.88 करोड़ रुपये कम विकसित क्षेत्रों की 177 परियोजनाओं को मन्जूर किये गये। इन औद्योगिक परियोजनाओं में से 47 परियोजनायें सहकारी क्षेत्र में थीं ।

51. पांडे समिति तथा वांचू समिति द्वारा राष्ट्र में व्याप्त प्रादेशिक असन्तुलन का उल्लेख किये जाने पर और इन क्षेत्रों के सन्तुलित विकास को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता को समझते हुए अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को इन अधिसूचित कम विकसित जिलों/क्षेत्रों में लगाई जाने वाली परियोजनाओं के लिये रियायती वित्त प्रदान करने को कहा गया । 30 जून, 1973 तक केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कम विकसित जिलों/क्षेत्रों की समेकित सूची परिशिष्ट 'ज' में दी गई है । तदनुसार जुलाई, 1970 में निगम ने इन कम विकसित जिलों/क्षेत्रों में लगाई जाने वाली नई परियोजनाओं के लिए एक योजना के अधीन काफी रियायतें प्रदान की। जनवरी, 1972 से इसी प्रकार की रियायतें विस्तार परियोजनाओं के लिये भी दी जाने लगी । सामान्यतः ये रियायतें 1.00 करोड़ रुपये से कम की लागत वाली परियोजनाओं को ही मिलती थी ।

इस योजना की मुख्य विशेषतायें इस प्रकार हैं : ब्याज दर में रियायत, ऋणों की अदायगी में प्रारम्भिक रियायत अवधि, प्रत्येक मामले के गुणावगुणों के आधार पर लम्बी परिशोधन अवधि, प्रतिभूति की कम सीमा, प्रवर्तकों का पूंजी लागत में कम योगदान तथा निगम द्वारा परियोजनाओं की साधारण और अधिमान पूंजी में अधिक सांझेदारी, निगम के सामान्य प्रभारों, जैसे, हामीदारी कमीशन, वचनबद्धता प्रभार, आवेदनों की जांच के लिये अप्रतिदेय शुल्क तथा विधिक प्रभारों में 50 प्रतिशत की कटौती ।

हाल ही में लिये गये एक निर्णय के अनुसार इन कम विकसित जिलों/क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली नई परियोजनाओं के लिए ब्याज दर तथा वचनबद्धता प्रभार में दी जाने वाली रियायतें अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल मिलाकर 2.00 करोड़ रुपये तक के रुपया ऋणों पर ही दी जायेंगी, चाहे परियोजना लागत कुछ भी हो । इस सीमा से अधिक के ऋण सामान्य शर्तों पर ही प्रदान किये जायेंगे । रियायती शर्तों पर दिया गया ऋण भागीदारी संस्थाओं में उन द्वारा मंजूर कुल रुपया ऋणों के अनुपात में बांटा जायेगा । निगम द्वारा दी गई ये सभी रियायतें, निगम द्वारा प्रदान 100 लाख रुपये के ऋण तक ही उपलब्ध हो सकेंगी और 100 लाख रुपये की सीमा से अधिक के ऋण निगम की सामान्य उधार दर पर ही प्रदान किये जायगे ।

हामीदारी कमीशन के बारे में 50 प्रतिशत की कटौती हामीदारी सहायता के एक करोड़ रुपये तक की सीमा तक ही लागू होगी ।

निगम ने रियायती वित्त की विशेष योजना के अधीन 30 जून, 1973 तक 26 परियोजनाओं को कुल 21.22 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की है ।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम विभिन्न प्रान्तों में किस सीमा तक परियोजनाओं को सहायता प्रदान कर सकता है, अन्ततः उद्यमकर्ताओं की तकनीकी तथा वित्तीय दृष्टि से व्यावहारिक योजनाओं पर निर्भर करता है, जो वे निगम के पास सहायता के लिए लाते हैं । अपनी ओर से निगम इन कम विकसित राज्यों/क्षेत्रों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर शीघ्रता से सहानुभूतिपूर्ण विचार करता है ।

कम विकसित क्षेत्रों में औद्योगिक विकास तीव्र करने के लिये वित्तीय संस्थायें, वित्तीय तथा राजस्व प्रोत्साहनों की सीमाओं से भली प्रकार अवगत हैं । इन क्षेत्रों में नई परियोजनायें लगाने के लिये बहुत से अन्य महत्वपूर्ण तत्व हैं, जिन पर ध्यान देना अनिवार्य है । इनमें से कुछ तत्व इस प्रकार हैं । परियोजना विचारों का प्रत्यक्षीकरण, प्रारम्भिक व्यवहायता अध्ययन, प्रशासनिक तथा उद्यमी क्षमताओं पर शोध, विस्तृत परियोजना रिपोर्टों का तैयार करना, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से परियोजनाओं का कटु मूल्यांकन, परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता, परियोजनाओं के निर्माण तथा संचालन के समय प्रबन्धकीय तथा तकनीकी सहायता और अन्ततः कठिनाई में पड़ी हुई परियोजनाओं की पुनर्स्थापना के लिये विशेष ध्यान देना ।

52. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के साथ मिलकर परियोजना प्रवर्तन के क्षेत्र में पहले से ही कुछ कदम उठाये हैं । जैसा कि संचालक बोर्ड की पिछली वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था, कम विकसित राज्यों/क्षेत्रों की औद्योगिक क्षमता सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ किया गया । अभी तक, आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोआ, दमन और दिउ, (दादर तथा नागर हवेली सहित), जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मनीपुर, नागालैंड, उड़ीसा, पांडीचेरी, चण्डीगढ़, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा लक्षद्वीप (लकाद्वीप, मिनिकाय तथा अमीन द्वीप समूह) के सर्वेक्षण पूरे किये जा चुके हैं । इन सर्वेक्षणों में बहुत सी प्रत्याशी परियोजनाओं का उल्लेख किया गया है जिन्हें अल्पकाल में ही शुरू किया जा सकता है तथा जो औद्योगिक विकास की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिये प्रारम्भिक प्रोत्साहन पैदा कर सकती हैं ।

ये सर्वेक्षण निदेश समिति की देखरेख में शुरू किये गये हैं । इस समिति में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, कृषि पुनर्वित्त निगम तथा भारत सरकार के औद्योगिक विकास एवं आन्तरिक व्यापार मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित हैं ।

इन सर्वेक्षण रिपोर्टों पर इस उद्देश्य के लिये बुलाई गई बैठकों में विभिन्न राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श किया जाता है । इन बैठकों में सर्वेक्षण रिपोर्टों में उल्लिखित प्रत्याशी परियोजनाओं तथा उनको कार्यरूप देने से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया है । इन प्रत्याशी परियोजनाओं को वास्तविकता प्रदान करने में अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिये निगम विभिन्न राज्यों में अनौपचारिक संगठन के रूप में स्थापित अन्तर संस्थायी समूहों में भाग लेता रहा है । अन्तर संस्थायी दल इतना लोचदार है कि यह सम्बन्धित सरकार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उद्यमकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने, तकनीकी सलाह सेवा संगठन स्थापित करने आदि, जैसे कार्य भी अपने हाथ में ले सकते हैं ।

53. दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थाओं द्वारा हाथ में लिया गया अन्य महत्वपूर्ण कार्य औद्योगिक क्षमता सर्वेक्षण में उल्लिखित प्रत्याशी परियोजनाओं के लिये व्यावहार्यता रिपोर्ट तैयार करना है । इन रिपोर्टों के तैयार करने का उद्देश्य संभावी परियोजनाओं में इच्छुक निवेशकों को आकर्षित करना है । इन रिपोर्टों का व्यय दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा मिलकर उठाया जाता है ।

निदेश समिति ने अनुभव किया है कि यह अधिक उचित होगा यदि तीनों वित्तीय संस्थाओं में से प्रत्येक क्षेत्र विशेष में प्रवर्तन करने के लिये नेतृत्व करे । तदनुसार, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा चंडीगढ़ व दिल्ली के केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में नेतृत्व करने के लिये कहा गया ।

वित्तीय संस्थाओं ने संयुक्त रूप से केरल में केरल औद्योगिक तथा तकनीकी सलाह संगठन (किटको) नाम से एक सलाह संगठन की स्थापना की है । इस संगठन का उद्देश्य नई तथा वर्तमान परियोजनाओं के लिये निर्माण तथा संचालन के दौरान प्रवर्तकों को तकनीकी सलाह सेवायें प्रदान करना है । यह संगठन व्यावहार्यता, परियोजना तथा मार्केट रिपोर्टें तैयार करेगा तथा परियोजना संचालन के सभी क्षेत्रों में सलाह प्रदान करेगा । किटको की रूपरेखा के आधार पर ही वित्तीय संस्थाओं ने एक अन्य संगठन उत्तर पूर्वी खंड की सेवा करने के लिये उत्तर पूर्वी औद्योगिक तथा तकनीकी सलाह संगठन (नितको) की स्थापना की है । नितको असम, अरुणाचल, प्रदेश, मनीपुर, मेघालय, मिजोराम, नागालैंड तथा त्रिपुरा की आवश्यकताओं को पूरा करेगा ।

एक राज्य वित्त निगम के निवेदन पर निगम ने तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिये दो तकनीकी तथा एक वित्तीय अधिकारी की दो वर्ष के लिये प्रतिनियुक्ति पर भेजना स्वीकार कर लिया है ।

54. हाल ही में औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 के संशोधित होने से अन्य बातों के साथ दातव्य आरक्षित निधि की स्थापना करने के लिये एक धारा की व्यवस्था की गई है । आशा की जाती है कि इससे निगम के प्रवर्तन कार्यों में भारी वृद्धि होगी । निगम द्वारा इस निधि का उपयोग उचित सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये किया जायेगा, जैसे नये उद्यमकर्ताओं और व्यावसायिकों द्वारा प्रवर्तित परियोजनाओं के लिये व्यवहार्यता अध्ययन तथा रिपोर्टों का खर्च उठाना, कम विकसित क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिये मार्केट तथा तकनीकी व आर्थिक सर्वेक्षण करना, नये उद्यमकर्ताओं तथा व्यावसायिकों द्वारा लगाई गई परियोजनाओं को सहायता देने के लिये निगम द्वारा मंजूर ऋणों की सामान्य ब्याज दर में आर्थिक सहायता देना, विकास बैंकिंग तथा वित्तीय और औद्योगिक प्रबन्ध के क्षेत्रों में शोध को प्रोत्साहन देने के लिये विश्वविद्यालयों में चेयरों आदि की स्थापना करना, वित्तीय संस्थाओं आदि के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना आदि ।

नये उद्यमकर्त्ताओं और व्यावसायिकों को वित्तीय सहायता

55. निगम की नीति की उल्लेखनीय बात रही है कि नये उद्यमकर्ताओं तथा व्यावसायिकों को सक्षम तथा व्यावहारिक औद्योगिक परियोजनायें लगाने के लिये सहायता प्रदान करके उद्यम आधार को विस्तृत किया जाये । औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम के हाल ही में संशोधित हो जाने से मध्यम स्तर की परियोजनायें स्थापित करने वाले उद्यमकर्ता भी निगम से सहायता प्राप्त करने के लिये पात्र होंगे ।

56. वर्ष के दौरान निगम ने नये उद्यमकर्ताओं तथा व्यावसायिकों द्वारा स्थापित लगभग एक सौ से अधिक औद्योगिक परियोजनाओं को सहायता दी है । ये परियोजनायें, इंजीनियरिंग, वस्त्र, रसायन, चीनी, सीमेंट, कागज और कागज उत्पाद, रबर उत्पाद, कांच, होटल आदि उद्योगों से सम्बन्धित है । 13 राज्यों तथा एक केन्द्र प्रशासित क्षेत्र में नये उद्यमकर्ताओं तथा व्यावसायिकों द्वारा लगाई गई इन परियोजनाओं को निगम द्वारा मंजूर कुल सहायता का 10 प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ ।

निगम एक सलाह सेवायें विभाग स्थापित करने जा रहा है जो विभाग अन्य कार्यों के साथ-साथ नये उद्यमकर्ताओं को परामर्श तथा पथ-प्रदर्शन प्रदान करेगा ।

सरकारी क्षेत्र के उप-क्रमों को सहायता

57. वर्ष के दौरान निगम ने सरकारी क्षेत्र के तीन उप-क्रमों को सहायता मंजूर की, इस सहायता के मंजूर हो जाने से इस क्षेत्र की 9 परियोजनाओं को निगम की कुल सहायता 9.77 करोड़ रुपए हो गई है ।

ताकि निगम कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन प्राईवेट लिमिटड कम्पनियों के रूप में निगमित सरकारी क्षेत्र के उप-क्रमों को सहायता प्रदान कर सके, इस उद्देश्य के लिए हाल ही में औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम में संशोधन किया गया है, जिसकी व्यवस्था के अनुसार निगम भारत में प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों के रूप में निगमित औद्योगिक संस्थाओं को तो वित्त प्रदान कर सकता है ।

अन्तिम उपयोग तक देख-रेख तथा अनुवर्ती कार्यवाही

58. किसी भी अन्य विकास बैंक की भांति निगम ने भी ऋण मंजूर हो जाने के बाद अंतिम उपयोग तक उचित देखरेख तथा अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए कार्य-विधि की व्यवस्था की है । यह इस बात का पता लगाने के लिए अनिवार्य है कि ऋण करार में अनुबंधित शर्तों का पालन किया गया है या नहीं और परियोजना कार्यक्रम के अनुसार प्रगति कर रही है अथवा नहीं ।

दो वर्ष पहले तक अतिम उपयोग तथा अनुवर्ती कार्यवाही का दायित्व मूलत देश के चार महानगरो मे स्थित शाखा कार्यालयो पर था। वित्त-पोषित परियोजनाओ की सख्या बढने तथा इनके समग्र देश और यहा तक कि सुदुर ग्रामो मे व्याप्त होने से आवश्यक मात्रा मे अतिम उपयोग तक देख-रेख तथा अनुवर्ती कार्यवाही करना अधिक कठिन हो गया था। अत पिछले दो वर्षो मे निगम ने विभिन्न राज्यो मे दस और अधिक कार्यालय खोले है तथा निकट भविष्य मे तीन और कार्यालय खोले जाएगे। इन कार्यालयो मे आवश्यक तकनीकी तथा वित्तीय स्टाफ की व्यवस्था की गई है जो अब अधिक तेजी से फैक्टरी स्थल पर जाकर निरीक्षण कर सकेगे। अत . निगम के विभिन्न कार्यालय इस स्थिति मे है कि वे प्रधान कार्यालय से उचित निदेश प्राप्त करके वित्तपोषित सस्थाओ की अनुवती कार्रवाई कर सकते है।

अतिम उपयोग तक देखरेख तथा अनुवर्ती कार्रवाही के उद्देश्यो को सक्षेप्त मे नीचे दिया गया है —

(1) यह देखना तथा निश्चित करना कि सहायता का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए यह मजूर की गई थी ;

(2) निर्माण अवस्था मे देखना है कि निर्माण की प्रगति कार्यक्रम के अनुसार चल रही है;

(3) इस बात का अनुमान लगाना कि परियोजना मूल प्राक्कलित पूजी लागत मे पूरी हो सकेगी, यदि नही, तो कितना अतिव्यय होने का अनुमान है ,

(4) उत्पादन प्रगति तथा कार्य परिणामो का अनुमान,

(5) प्रबन्धक वर्ग की कुशलता

(6) प्रगति रिपोर्टो तथा विवरणो को देने मे नियमितता

(7) किसी उद्योग विशेष की खास समस्याये।

कार्य विधिया

59 निगम द्वारा अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए निम्नलिखित पद्धति अपनाई गई है :

(1) निश्चित फार्मो मे नियमित रूप से अर्ध-वार्षिक रिपोर्टें तैयार करना ;

(2) थोडे थोड़े अन्तरालो के पश्चात् वित्तपोषित सस्थाओ के फैक्ट्री स्थल पर जाकर जाच करना तथा लेखा पुस्तकों की जाच पड़ताल ;

(3) वित्तपोषित सस्थाओ का वित्तीय स्थिति तथा कार्यपरिणामो से सबन्धित अर्ध-वार्षिक/वार्षिक सारणियो की जाच करना तथा ;

(4) उचित मामले मे, निगम के हित की देखभाल करने के लिए वित्तपोषित सस्थाओ के बोर्डो मे सरकारी/गैर सरकारी सदस्यो को नामित करना और किसी घटना की स्थिति मे समय-समय पर कम्पनी के प्रबन्ध तथा सचालन के बारे मे सूचना देना।

प्रगति-रिपोर्ट

60 निगम ने प्रत्येक उद्योग की विशेषताओ को ध्यान मे रखते हुए निर्माण तथा संचालन काल मे प्रगति रिपोर्टें देने के लिए विशेष फार्म बनाए है। ये फार्म निगम के अनुभव के आधार पर बनाए गए है। जिनसे पता चलता है कि किसी सस्था के निर्माणकाल मे उसके सामने आने वाली कठिनाइयो मे वित्त व्यवस्था, परियोजना को कार्य रूप देने मे देरी, प्रारम्भिक अनुमानो से लागत मे अति व्यय तथा प्रबन्ध की कमजोरियो जैसी सम-स्याए प्रमुख है। ये प्रगति रिपोर्टें निगम द्वारा सस्थाओ को उपचारक सलाह प्रदान करने के अतिरिक्त निगम को परियोजना की प्रगति तथा वित्तीय योजना के अनुरूप सवितरणो मे सहायता प्रदान करती है।

सामान्यत परियोजना के पूरा हो जाने के पश्चात् भी वित्तपोषित सस्थाओ को ऋण के पूरा अदा होने तक अर्ध-वार्षिक प्रगति रिपोर्टें देने को कहा जाता है।

इन प्रगति रिपोर्टों को नियमित रूप से प्राप्त करना तथा उन पर उचित अनुवर्ती कार्रवाई करना, निगम के विभिन्न कार्यालयो की जिम्मेवारी है। रिपोर्टो की जाच पड़ताल के पश्चात् यदि इनमे कुछ अनुचित अनियमितताये देखी जाती है तो सम्बन्धित कार्यालय निगम के प्रधान कार्यालय को सूचित करके वित्तीय सस्थाओ को भी सीधे अवगत करा देते है।

निरीक्षण

61 ऋण करार के बन्धक हो जाने की तारीख से लेकर जब तक ऋण का कोई भाग बकाया रहता है निगम के अधिकारी फैक्ट्री के घटनास्थल पर जाकर परियोजना के निर्माण तथा कार्य सचालन के बारे मे निरीक्षण करते है। वित्तपोषित सस्थाओ की लेखा पुस्तको का निरीक्षण भी किया जाता है। सामान्यत ये निरीक्षण निगम के वित्तीय तथा तकनीकी अधिकारियो के दल द्वारा किए जाता है। निरीक्षण के लिए आवश्यक विवरण तथा आकडे उपलब्ध कराने के लिए इन वित्तपोषित सस्थाओ को आमतौर पर प्रस्तावित जाच से पहले 10-15 दिन का समय दिया जाता है। निरीक्षण को सुविधाजनक बनाने के लिए वित्तपोषित सस्थाओ से परियोजना पर किए गए व्यय का ब्यौरा, निगम द्वारा सवितरित ऋणो का उपयोग, परियोजनाओ की प्रगति, सचालन तथा वित्तीय स्थिति के बारे मे ब्यौरा रखने को कहा जाता है। तकनीकी तथा वित्तीय जाच करने के समय निगम के अधिकारी ऋण प्राप्तकर्ता की फैक्ट्री स्थल पर जाते है और वहा पर सम्बन्धित रिकार्डों, लेखो तथा कार्यक्रमो, लागत अनुमानो, सयत्र की योजनाओ तथा मापदण्डो, आदि की जाच करते है। इन निरीक्षणो मे इस बात का जोर दिया जाता है कि कम्पनी के सम्बन्धित अधिकारियो से निजी रूप मे विचार विमर्श किया जाए और आवश्यकता पड़ने पर स्पष्टीकरण कर दिया जाये।

इसके अतिरिक्त निरीक्षण दल अपने आपको इस बात से भी आश्वस्त करता है कि निगम से लिए गए ऋण की मूल राशि अलग बैंक खाते मे रखी गई है तथा इसका उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जा रहा है जिसके लिए इसे मजूर किया गया है। ऋण के सवितरणो की

सभी राशियों से पहले तथा बाद में ऋणों के उपयोग से सम्बन्धित निरीक्षण किए जाते है और परियोजना को कार्यरूप देने से सम्बन्धित की गई प्रगति का भी निरीक्षण किया जाता है ।

जिन मामलों में अन्य वित्तीय संस्थाओं का भी सम्बन्ध होता है यदि नियत समय के पश्चात् निरीक्षण संयुक्त रूप से न किया जा सके तो एक दूसरे को अवगत करा दिया जाता है । आवश्यकतानुसार, विदेशी मुद्रा उपऋणों के मामलों में संबंधित विदेशी वित्तीय संस्थाओं को रिपोर्टें भेज दी जाती हैं ।

नियत समय पर प्रगति रिपोर्टें प्राप्त करने व निरीक्षण करने के अतिरिक्त वित्तीय संस्थाओं को लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र तथा अंशधारियों की बैठकों की सूचनायें तथा कार्यवृत्त निगम को भेजने होते हैं । वित्तीय सारणियों का सावधानी से अध्ययन तथा विश्लेषण किया जाता है ताकि कम से कम पिछले तीन वर्षों के दौरान उनकी प्रगति, लाभ व अन्य वित्तीय पहलुओं की तुलना की जा सके । इस परीक्षण के दौरान कम्पनी की समग्र प्रगति के बारे में निष्कर्ष निकालने के अतिरिक्त इस बात की भी जांच की जाती है कि निगम के साथ किए गए करारनामों का उल्लंघन तो नहीं किया गया है ।

नामिक संचालक

62. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा वित्तपोषित संस्थाओं के प्रबन्धकों के बीच सम्बन्ध स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण आयाम उनके संचालक बोर्डों में अपने सदस्य नामित करना है । औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 25(2) के अनुसरण में निगम नीति के तौर पर वित्त-पोषित औद्योगिक संस्थाओं के बोर्डों में दो संचालक नियुक्त करने का अधिकार आरक्षित रखता है । संयुक्त रूप से वित्तीय सहायता देने के मामलों में यह निश्चित किया गया है कि भागीदार संस्थाओं के एक अथवा अधिक सदस्य सामूहिक रूप से नामित करने की व्यवस्था विकसित हुई है ।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम उन सभी वित्तपोषित संस्थाओं के मामले में जिन्हें काफी मात्रा म वित्तीय सहायता दी गई है अथवा वित्तीय सहायता प्रदान करने के ऋण करारों में ऋणों के साधारण शेयरों में बदलने की संपरिवर्तन धाराएं अनुबन्धित की गई हैं, अपने प्रतिनिधि नामित करने के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सामान्यत : निम्नलिखित स्थितियों में निगम वित्तपोषित संस्थाओं के बोर्डों में अपने संचालक नामित करने की स्वेच्छा का उपयोग करता है ।

(1) जिन मामलों में निगम की हामीदारी तुलनात्मक रूप में अधिक हो;

(2) जिन मामलों में निगम के ऋण के मूलधन तथा ब्याज की अदायगी में चूकें की गई हों;

(3) जिन मामलों में वित्तपोषक सस्थाओं पर सतर्कता रखने अथवा नजदीकी देखभाल रखने की आवश्यकता हो ।

संचालकों के रूप में नामित व्यक्ति या तो निगम के अपने अधिकारी होते हैं अथवा गैर-सरकारी परन्तु गैर-सरकारी व्यक्ति सामान्यत: विशेषज्ञ होते हैं ।

संचालकों के रूप में नामित व्यक्ति निगम की स्वेच्छा से पद पर रह सकते हैं तथा इनके लिए शेयरों की कोई निश्चित संख्या रखना अनिवार्य नहीं है और न ही वे क्रमिक रूप से कार्यनिवृत्त होते हैं । इन नामित सचालकों से वित्तपोषित सस्थाओं के बोर्डों के सभी कार्यक्रमों में सक्रिय भाग लेने की आशा की जाती है । निगम द्वारा नामित सचालकों से आशा की जाती है कि वे सस्था के दैनिक प्रबन्ध में हस्तक्षेप किए बिना बोर्ड में आने वाले सभी मामलों, विशेषकर जिनका सम्बन्ध निगम द्वारा दी गई सहायता तथा इसके हित से हो अथवा जो मामले सरकारी नीति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो, में भाग लें ।

ताकि नामित सचालक सस्था के कार्य-सचालन में सम्बन्धित मामलों जैसे, विस्थापित क्षमता की तुलना में उत्पादन, बिक्री, विवरण सूचियों तथा उपलब्धियों की तर्क सगतता, सस्था की रोकड़ स्थिति, कानूनों दायित्वों का पूरा करना, महत्वपूर्ण पदों में परिवर्तन, आदि से नजदीकी सम्बन्ध रख सके इसके लिए कम्पनियों द्वारा आवश्यक सूचना तथा आंकड़े देने के लिए प्रपत्र बनाए गए हैं । इस सूचना को सचालक बोर्ड की बैठकों में प्रस्तुत किया जाता है ।

अत: यह बात स्पष्ट है कि वित्तीय संस्था तथा वित्तपोषित सस्था के बीच का सम्बन्ध व्यापारिक सम्बन्ध है और यह स्वाभाविक ही है कि निगम को न केवल अपने हित की रक्षा तथा देखभाल करनी होती है अपितु सलाह सेवाएं भी प्रदान करनी पड़ती हैं । वित्तपोषित संस्था में भारी जोखिम होने के कारण निगम उद्यम में साझेदार के रूप में कार्य करता है और उसके कार्यों में गहन रुचि रखता है ।

निगम की अनुवर्ती कार्रवाई के लिए ऐसी सूचना की आवश्यकता होती है जो कोई भी जागरूक प्रबन्धक वर्ग अपने वित्त में एकत्र करके अध्ययन करेंगे । इस प्रकार अनुवर्ती कार्रवाई संस्थाओं पर बोझ न होकर कुशल प्रबन्ध के लिए सहायक होती है ।

उद्योगों की सामान्य समीक्षा, विशेष रूप से उन उद्योगों की समीक्षा जिन्हें निगम ने सहायता दी है

63. 1971 के स्तर से 1972 में औद्योगिक उत्पादन में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई । औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में बड़े औद्योगिक समूहों के उत्पादन में वृद्धि के चिह्न दिखाई दिए । जिन उद्योगों ने 1972 में उत्पादन में वृद्धि के लक्षण दिखाए, उनमें से बिजली उत्पादन, खान व खनन, वस्त्र, रबर, उत्पाद, रसायन, अधातु खनिज उत्पाद, मूल धातु, गैर बिजली मशीनरी, तथा परिवहन उपस्कर प्रमुख हैं । ये तथा सम्बाकू, जूतों तथा धातु उत्पादों के उत्पादन में गिरावट आई । आमतौर पर वर्ष के दौरान क्षमता के उपयोग में वृद्धि हुई फिर भी रेलवे वैगनों, इस्पात ढांचों तथा भारी संरचनाओं और खान मशीनरी के उद्योग में क्षमता का कम उपयोग किया गया ।

सरकार ने जनवरी, 1972 में पहले से उपलब्ध क्षमताओं के अधिक उपयोग द्वारा औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के दृष्टिकोण से कुछ शर्तों के अधीन 54 विशेष चुने हुए उद्योगों में वर्तमान क्षमता का 100 प्रतिशत अतिरिक्त उत्पादन करने की स्वीकृति प्रदान की। अक्तूबर, 1972 में ये सुविधाएं 11 और अतिरिक्त उद्योगों को प्रदान की गई।

सरकार ने पिछले कई महीने से देश के विभिन्न भागों की रुग्ण वस्त्र तथा इन्जीनियरिंग इकाईयों का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया है। 1972 के दौरान 18 वस्त्र तथा 8 इंजीनियरिंग ईकाइयों का प्रबन्ध हाथ में लिया गया। इस प्रकार हाथ में ली गई इकाईयों की संख्या वस्त्र उद्योग में 51, इंजीनियरिंग उद्योग में 10 तथा चीनी उद्योग में 3 हो गई हैं। इनमें से सूती वस्त्र की 7 इकाइयों को निगम ने सहायता भी है।

18 फरवरी, 1970 की औद्योगिक लाईसेंस नीति से प्राप्त अनुभव के अनुसरण तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना के सन्दर्भ में सरकार ने औद्योगिक विकास से सम्बन्धित नीतियों का पुनरावलोकन किया। सरकार का निर्णय 2 फरवरी, 1973 की प्रेस विज्ञप्ति में जारी किया गया। 18 फरवरी, 1970 की औद्योगिक लाइसेंस नीति में इसे एकाधिकार तथा निर्बन्धन व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अनुरूप करने के लिए कुछ परिवर्तन किए गए। लाइसेंस देने के उद्देश्य से बड़े औद्योगिक हाउसों की परिभाषा को विस्तृत किया गया है जिसमें अब 35 करोड़ रुपये की सीमा के स्थान पर 20 करोड़ रुपये की निवेश पूंजी वाले औद्योगिक हाउस सम्मिलित माने जायेंगे।

सरकार ने ऐसे उद्योगों की भी समेकित सूची तैयार की है जिनमें बड़े औद्योगिक हाउस पूंजी लगा सकते हैं, बशर्ते उत्पादन की वस्तु सरकारी क्षेत्र अथवा लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित न की गई हो। सामान्यतः वर्तमान व्यवस्थयओं के अनुसार बड़े औद्योगिक हाउसों की सूची से बाहर के उद्योगों को लगाने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि उनके द्वारा किया गया अधिकतम उत्पादन निर्यात के लिए न हो।

लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षण की वर्तमान नीति जारी रहेगी और सहकारी क्षेत्र में कृषि अभिसंस्करण उद्योगों जैसे, गन्ना, पटसन कपास तथा कृषि उत्पादन में सहायक जैसे, उर्वरकों को अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। सहकारिताओं और छोटे तथा मध्य दर्जे के उद्यमकर्ताओं की सरकारी क्षेत्र के साथ साथ आम उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अन्य निवेशकों को आम उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करने की तभी स्वीकृति दी जाएगी यदि इसके कुछ विशेष कारण हों, जैसे उत्पादन पैमाने की बचत के परिणामस्वरूप कम उत्पादन लागत, तकनीकी सुधार, निवेश की भारी जरूरतें, निर्यात की भारी संभावनाएं अथवा आधुनिकीकरण।

सोडा एश

1972 में सोडा एश की वार्षिक उत्पादन क्षमता 4.7 लाख टन थी, इसके विपरीत उत्पादन 4.9 लाख टन रहा, जो 1971 से मामूली सा अधिक था। क्षमता का पूर्ण उपयोग किया गया है। उसकी मांग पूर्ति से अधिक होने के कारण सोडा एश पर निर्भर उद्योगों के विस्तार में बाधा पड़ रही है।

इस उद्योग में निगम द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं का कार्य सन्तोषजनक रहा। इनमें से एक संस्था अपनी 2.2 लाख टन वार्षिक की विस्थापित क्षमता का पूरा उपयोग करने के बाद विस्थापित क्षमता की 3.6 लाख टन वार्षिक लाइसेंस क्षमता तक बढ़ा रही है। अन्य संस्था ने अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग किया है। और अपनी क्षमता 55,000 टन वार्षिक से 70,000 टन वार्षिक तक बढ़ाने के लिए अपने सोडा एश संयंत्र के आधुनिकीकरण, पुनर्स्थापन तथा विस्तार का कार्यक्रम बना रही है।

कास्टिक सोडा

1972 के दौरान कास्टिक सोडे की विस्थापित क्षमता 4.1 लाख टन थी। वर्ष के दौरान कास्टिक सोडे का उत्पादन 3.9 लाख टन हुआ जो 1971 की तुलना में मामूली सा अधिक था।

कास्टिक सोडा उद्योग में क्षमता का पूर्ण उपयोग किया गया। अतः क्षमता की सीमितता के कारण उत्पादन वृद्धि पर दबाव रहा इसके कारण अल्पकालीन अभाव की स्थिति रही, क्योंकि कास्टिक सोडे की मांग बढ़ रही है। अब कास्टिक सोडे के उत्पादन में अतिरिक्त क्षमता पैदा करने की आवश्यकता है।

इस उद्योग में निगम द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं को अपने उत्पादन की खपत में बड़ी आसानी रही। अत/ वर्ष के दौरान उनका कार्य सन्तोषजनक रहा।

सीमेन्ट

सीमेंट उद्योग में क्षमता की सीमितताओं के कारण उत्पादन वृद्धि पर दबाव रहा।

नई परियोजनायें लगाने के लिए पूंजी लागत में भारी वृद्धि होने के कारण वर्तमान मूल्य रोक सीमेंट उद्योग में नये निवेशों की वित्तीय व्यवहार्यता प्राप्त नहीं होने देती। इसने अति-आवश्यक अतिरिक्त क्षमता के स्थापित करने में अवरोधक के रूप में कार्य किया है।

निगम द्वारा वित्तपोषित अधिकतर संस्थाओं का कार्य संतोषजनक रहा। यद्यपि बिजली की कमी, परिचालन कठिनाईयों, रेल वैगनों की कमी कच्चे माल की कमी तथा तनावपूर्ण औद्योगिक सम्बन्धों के कारण क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ा।

आटोमोबाइल टायर तथा ट्यूबें

देश में टायर तथा ट्यूबों की प्रारम्भिक कुल विस्थापित क्षमता 40 लाख थी। 1972 में आटोमोबाईल टायरों का उत्पादन 46 लाख हुआ, जो 1971 के 45.00 लाख उत्पादन से 4.5 प्रतिशत अधिक था। आटोमोबाईल टायरों तथा ट्यूबों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए 14 नई इकाइयों को स्वीकृति पत्र जारी किये गये हैं। तथा एक वर्तमान इकाई को काफी विस्तार के लिए स्वीकृति प्रदान की गई।

निगम द्वारा वित्तपोषित दो सस्थाओं का कार्य लाभप्रद रहा। एक संस्था को हानि रही और बिजली की कमी तथा तनावपूर्ण औद्योगिक संबंधों के कारण यह इकाई अपनी क्षमता का केवल 27 प्रतिशत ही उपयोग कर सकी।

कागज

कुछ वर्ष पहले शुरू किये गए 'क्रेस प्रोगाम' के अधीन वर्ष के दौरान कागज तथा बोर्ड उद्योग ने उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए काफी प्रगति की है। 1972 में विस्थापित क्षमता 9.2 लाख टन थी। वर्ष के दौरान कागज तथा बोर्ड का उत्पादन 8.03 लाख टन था।

पिछले कुछ वर्षों से कागज उद्योग में नई क्षमता स्थापित करने के लिए पूंजी लागत में बहुत वृद्धि हुई है। वर्तमान कीमत ढांचे के अनुसार बढ़ी हुई पूंजी लागत ने इन इकाईयों की व्यवहार्यता को काफी प्रभावित किया है और कागज तथा कागज उत्पादों की बढ़ती हुई मांग के अनुसार काफी मात्रा में नई क्षमता पैदा नहीं की जा रही है।

निगम द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं का कार्य संतोषजनक रहा। क्षमता का औसतन 85.41 प्रतिशत उपयोग किया गया। फिर भी कुछ संस्थाओं पर बिजली की कमी, कच्चे माल की कमी तथा तनावपूर्ण औद्योगिक संबंधों का दूषित प्रभाव पड़ा।

उर्वरक

उर्वरक उद्योग ने लगातार अच्छी प्रगति की। बिजली की कटौती तथा तनावपूर्ण औद्योगिक सम्बन्धों के कारण कुछ फैक्टरियों के उत्पादन पर दूषित प्रभाव पड़ा।

उर्वरकों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये वर्तमान क्षमता काफी नही है। अतः देश में तत्काल उर्वरक की अतिरिक्त क्षमता पैदा करने की आवश्यकता है।

निगम द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं में यूरिया का उत्पादन करने वाली इकाइयों ने क्षमता का बहुत अधिक उपयोग किया, लेकिन अन्य प्रकार के उर्वरकों की क्षमता का कम उपयोग किया गया।

कृत्रिम रेसे

कृत्रिम रेशा उद्योग ने लगातार प्रगति की, फिर भी मांग जितना उत्पादन नहीं हो सका। निगम द्वारा वित्त-पोषित संस्थाओं का कार्य संतोषजनक रहा। फिर भी इस उद्योग में कच्चे माल, विशेषक र, कैपरोलेक्टम तथा डी० एम० टी० की कमी रही।

कांच

कांच तथा कांच के बर्त्तन उद्योग में वार्षिक विस्थापित क्षमता 4,29,000 टन रही।

इस उद्योग के समस्त कांच क्षेत्र में पिछले साल की तुलना से लगातार वृद्धि हुई। उद्योग के विभिन्न विभागों, जैसे वैकुम फ्लास्कों, जी० एल० एस० लैम्पों के लिये कांच तथा क्लैरोसेट लैम्पों के लिए ट्यूबों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

कांच पात्रों का उत्पादन करने वाली एक इकाई का कार्य सन्तोषजनक रहा। फिर भी यह इकाई बिजली की कमी तथा मरम्मत के लिए इसकी भट्टी बन्द होने के कारण अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर सकी। अन्य संस्था को भी बिजली तथा कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ा चिलित तथा वायर कांच का उत्पादन करने वाली एक वित्तपोषित संस्था को बाजार की कठिनाइयों व तनावपूर्ण औद्योगिक संबंधों का सामना करना पड़ा।

कृषि ट्रैक्टर

1972 में ट्रैक्टरों का उत्पादन करने वाली 7 इकाइयां थीं जिनमें वार्षिक विस्थापित क्षमता 42,500 ट्रैक्टर थी। अब तक लाइसेंस/अनुमोदित वार्षिक कुल क्षमता 1.8 लाख है। वर्ष के दौरान ट्रैक्टरों का उत्पादन 18,301 हुआ जो कि 1971 की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक था। संभवतः उत्पादन अधिक होटा, परन्तु एक इकाई के सामने वित्तीय कठिनाइयां होने तथा दूसरी के सामने श्रम संकट तथा तालाबन्दी के कारण उत्पादन कम रहा। दो और इकाइयों को अपने उत्पादन में भारी कटौती करनी पड़ी क्योंकि उनके माडलों की मांग काफी नहीं थी।

आशा की जाती है कि आयात पर पाबन्दी लगाने के कारण देश में ट्रैक्टरों का उत्पादन करने वाली इकाइयों को अपने उत्पादन के लिये अच्छी मार्केट मिल सकेगी ।

निगम द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं का कार्य संतोषजनक नहीं था। कच्चे माल की कमी, बाजार सीमितताओं तथा बिजली की कमी के कारण क्षमता का कम उपयोग किया गया ।

अधातु तथा विशेष इस्पात

1972 में अधातु तथा विशेष इस्पात की विस्थापित क्षमता 2.3 लाख टन थी। लोचदार इस्पात, कार्बन तथा निर्माण अधातु इस्पात उच्च गति इस्पात, डाई इस्पात, जंगरहित इस्पात तथा उष्णता प्रतिरोधक इस्पात और बिजली इस्पात चादरों का उत्पादन करने के लिये उत्पादन शृंखला को विस्तृत किया गया है ।

निगम द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं का कार्य संतोषजनक रहा यद्यपि उनको कच्चे माल की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक के औद्योगिक सम्बन्ध तनावपूर्ण होने के कारण उत्पादन पर दूषित प्रभाव पड़ा । एक अन्य संस्था को अपनी वर्तमान 24,000 टन वार्षिक क्षमता से 60,000 टन वार्षिक बढ़ाने के लिये सरकार से संयंत्र के विस्तार का स्वीकृति पत्र प्राप्त हुआ है ।

बाल तथा रोलर बियरिंग

संगठित क्षेत्र में बाल तथा रोलर बियरिंगों का नियमित उत्पादन करने वाली 7 इकाइयों की विस्थापित क्षमता 207 लाख इकाई थी। वर्ष के दौरान बाल तथा रोलर बियरिंगों के उत्पादन का अनुमान 210 लाख इकाई है। इस उद्योग को आटोमोबाइल, औद्योगिक मशीनरी तथा मशीन टूल्ज उद्योगों से अच्छी मांग प्राप्त हुई ।

निगम द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं का कार्य अच्छा रहा और सम्पूर्ण उद्योग की भांति उनका क्षमता उपयोग भी अधिक रहा ।

इस्पात नल तथा ट्यूबें

आजकल काले तथा जस्तीकृत नलों का उत्पादन करने वाली 14 इकाइयां हैं, जिनकी विस्थापित क्षमता 6.2 लाख टन है। इसके अतिरिक्त स्वचालित पंजीकरण योजना के अधीन बहुत सी इकाइयों का पंजीकरण किया गया है और इनकी क्षमता 8 लाख टन के लगभग है। वर्ष के दौरान काले तथा जस्तीकृत इस्पात नलों का उत्पादन 3.00 लाख टन रहा, जो 1971 में 2.34 लाख टन रहा। उद्योग के सामने मूल कच्चे माल अर्थात् पत्तियों/छीलन की भारी कमी रही। क्योंकि पहले से ही काफी लाइसेंस/अनुमोदित क्षमता है, अतः सरकार ने कच्चे माल की स्थिति सुधरने तक और क्षमता पैदा न करने का निर्णय किया है। निगम द्वारा वित्तपोषित संस्थायें, आधारभूत कच्चे माल की भारी कमी के कारण क्षमता का कम उपयोग कर सकी। दो संस्थाओं को जिंक प्राप्ति में कठिनाई रही ।

मोटर साइकल, स्कूटर आदि

मोटर साइकिलों, स्कूटरों, तिपहियों तथा मोपेड़ों की विस्थापित क्षमता 1,67,300 थी। इसके विपरीत उत्पादन केवल 1,43,285 रहा। स्कूटरों की मांग तथा पूर्ति के अन्तराल को कम करने के लिये सरकार ने स्कूटरों के वर्तमान तीन उत्पादकों को अपनी विस्थापित क्षमता दुगनी करने की स्वीकृति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त नये उद्यमकर्ताओं को 8 राज्य औद्योगिक निगमों सहित स्कूटरों के उत्पादन के लिए 27 स्वीकृति पत्र प्रदान किये गये। एक लाख स्कूटरों का निर्माण करने के लिए संयुक्त क्षेत्र में एक परियोजना भी लगाई गई है ।

आमतौर पर निगम द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं का कार्य अच्छा रहा। फिर भी उनमें से अधिकतर को कच्चे माल, अर्थात् चादरों की कमी रही। इसके कारण वे क्षमता का कम उपयोग कर सकी ।

बाइसिकल

1972 में साइकलों का उत्पादन 22.56 लाख होने का अनुमान है ।

निगम द्वारा वित्तपोषित दो संस्थाओं ने पिछले वर्ष की तुलना में अपने उत्पादन में वृद्धि की, फिर भी, ये संस्थायें माल की कमी जैसे, छड़ें, पत्तियां, तारें, छीलन, ट्यूबों तथा कल पुर्जों के कारण क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर सकी। इनमें से एक संस्था को तनावपूर्ण औद्योगिक संबंधों का सामना भी करना पड़ा और इसकी फैक्टरी तीन महीने के लिए बन्द रही ।

बिजली मशीनरी

वर्ष के दौरान, आम तौर पर बिजली मशीनरी उद्योग का क्षमता उपयोग संतोषजनक रहा। क्षमता के बराबर उत्पादन किये जाने वाले कुछ उत्पादों में से बिजली के लैम्प, व पंखे, ड्राई सैल, मोटरें तथा ट्रांसफार्मर हैं। फिर भी, तारों जैसे घरेलू फिटिंग के साज सामान को बाजार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शुष्क शैलों, पी० आई० एल० सी० तारों, पंखों तथा लिपटने वाली तारों के उत्पादों के लिये अखिल भारतीय औसतन उपयोग की तुलना में निगम द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं का क्षमता उपयोग कम रहा, जिसके प्रमुख कारण, कच्चे माल की कमी, बिजली की कमी, बाजार की कठिनाईयाँ तथा रेल परिवहन कठिनाईयाँ कहे जा सकते हैं ।

चीनी

1971-72 में 31.10 लाख टन चीनी उत्पादन की तुलना में 1972-73 में चीनी का उत्पादन 37.89 लाख टन हुआ ।

1972-73 के दौरान चीनी के उत्पादन को अधिकतम बढ़ाने के लिये सरकार ने बहुत से कदम उठाये, जैसे वैक्यूम पैन चीनी फैक्टरियों द्वारा उत्पादकों को देय गन्ने की न्यूनतम कीमत बढ़ाना, जो पिछले वर्ष से औसतन 20 प्रतिशत अधिक है तथा गन्ना पेरने के मौसम, विशेषकर, प्रारम्भिक तथा बाद के मौसमों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित के तौर पर उत्पादन शुल्क में रियायत योजना प्रारंभ की जबकि प्रतिशुत उत्पादन कम होता है ।

31 मार्च, 1973 तक लाइसेंस प्राप्त/पंजीकृत चीनी सहकारिताओं की संख्या 134 थी । 1972-73 के मौसम के दौरान इनमें से 87 चीनी सहकारितायें उत्पादन में लगी थीं । 1972-73 में सहकारी क्षेत्र का कुल चीनी उत्पादन में योगदान 13 14 लाख टन था, कुल जो उत्पादन के 35 प्रतिशत के लगभग है ।

वर्ष के दौरान निगम द्वारा वित्तपोषित अधिकतर चीनी सहकारिताओं का कार्य संतोषजनक रहा । उनमें से कुछ गन्ने की कमी के कारण अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर सकीं ।

सूती वस्त्र

वर्ष के दौरान कपास की उपलब्धि में सुधार होने के कारण सूती वस्त्र उद्योग को राहत प्राप्त हुई । इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा बहुत से रुग्ण मिलों के हाथ में लिये जाने से पुनः कार्य शुरू कर देना भी उद्योग मुक्ति के लये जिम्मेवार है ।

निगम द्वारा वित्तपोषित अधिकतर संस्थाओं का कार्य संतोषजनक रहा, यद्यपि उनमे से कुछ के सामने, विशेषकर वर्ष के अन्तिम भाग मे बिजली की कमी रही ।

पटसन

वर्ष के दौरान, पटसन उद्योग पर कम फसल तथा बढ़ती हुई कीमतों का दुष्प्रभाव पड़ा । इसके अतिरिक्त, भारतीय पटसन उत्पादों को कृत्रिम रेशे तथा बंगला देश के उत्पादों से तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा ।

यद्यपि टाटों तथा बोरियों के उत्पादन में वृद्धि हुई लेकिन निर्यात मांग धीमी होने से गलीचे के आस्तीनों का उत्पादन कम हो गया । पटसन की वस्तुओं के उत्पादन में बिजली की कमी भी मुख्य बाधक के रूप में सिद्ध हुई ।

पटसन उद्योग में निगम द्वारा वित्तपोषित अधिकतर संस्थाओं का कार्य संतोषजनक रहा ।

निधि स्त्रोत

शेयर पूंजी

64. औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम के खण्ड 4 में संशोधन हो जाने के परिणामस्वरू निगम की अधिकृत पूंजी 10 करोड़ रुपये से बढ़कर 20 करोड़ रुपये कर दी गई है । वर्ष के दौरान 3308 शेयरों (चौथी सीरीज) पर 2500 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 82,70,000 रुपये की मांग की गई तथा सभी शेयरधारियों से मांगी गई पूर्ण राशि प्राप्त हो चुकी है इससे 10 करोड़ रुपये की जारी की गई पूंजी पूर्णतः प्रदत्त हो चुकी है ।

बांड

65. निगम ने अपने निधि स्त्रोतों को बढ़ाने के लिये अक्तूबर, 1972 तथा अप्रैल, 1973 में क्रमशः 10 करोड़ रुपये और 12 करोड़ रुपये के बांड जारी किए, इनकी परिपक्व अवधि 12 वर्ष है । बांड सम-मूल्य पर जारी किए गए तथा ब्याज की दर 5-3/4 वार्षिक प्रदान की गई । जारी की गई राशि का अनुज्ञेय 10 प्रतिशत मिलाकर आवंटित बांडों की राशि 11.00 करोड रुपये तथा 13 17 करोड़ रुपये थी । इन निर्गमो को मिलाकर वर्ष के अन्त में बकाया बांडों की राशि 85.17 करोड़ रुपये हो गई है ।

केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋण

66. 30 जून, 1972 को केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋणों की राशि 74 07 करोड़ रुपये थी । निगम ने सरकार से समीक्षाधीन वर्ष के दौरान के० एफ० डब्ल्यू० ऋणों से पैदा होने वाले ब्याज दर की निधियों के अधीन 0 11 करोड़ रुपये की राशि उधार ली, जबकि 4 71 करोड़ रुपये की राशि अदा की गई, इस वर्ष के अन्त मे ऋणो की बकाया राशि 69 47 करोड रुपये थी । पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी निगम के लिये केन्द्रीय बजट में कोई व्यवस्था नही की गई ।

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से प्राप्त ऋण

67. समीक्षाधीन वर्ष में पिछले वर्षों की भांति रिजर्व बैंक से ऋण उसी अवस्था में लिये गए जबकि ऋण लेना अनिवार्य हो गया था । 30 जून, 1973 को इस शीर्षक के अन्तर्गत 2 68 करोड़ रुपये की रकम बकाया थी, जो बाद में अदा कर दी गई ।

विदेशी मुद्रा ऋण

68. दिसम्बर, 1972 मे 80 लाख जर्मन मार्क का एक और ग्यारहवां ऋण निगम को दिया गया । वर्ष के अन्त में उपरोक्त ऋण सहित निगम के पास पश्चिमी जर्मन मार्क का कुल ऋण 1285 लाख मार्क हो गया । निगम ने इसमें से 1,200.7 लाख मार्क के उप-ऋण मंजूर किए । अब ये ऋण पूर्ण संपरिवर्तनीय है, अर्थात् कुछ विशेष देशों को छोड़कर पश्चिमी जर्मनी के अतिरिक्त, अमेरिका, इंग्लैंड, इटली, नार्वे, स्वीडन, डेनमार्क, जापान, आदि देशों से पूंजीगत माल, इंजीनियरिंग जानकारी और सेवाओं आदि के आयात के लिये इनका प्रयोग किया जा सकता है ।

संयुक्त राज्य/भारत पूंजी निवेश ऋण, 1973 के अन्तर्गत 15 लाख पौंड का ऋण संबंधी दस्तावेज शीघ्र ही पूरा किया जायेगा। इस ऋण के पूरा होने से भारत सरकार द्वारा प्रदान संयुक्त राज्य ऋणों की कुल राशि 35 लाख पौंड हो गई है। इसमें से वर्ष के अन्त तक 20.9 लाख पौंड के उप-ऋणों को मंजूर किया गया। इससे निगम पात्र संस्थाओं को संयुक्त राज्य से पूंजीगत माल का निर्यात करने के लिय ऋण दे सकेगा।

बैंक फ्रांसिस डू कामर्ज एक्सटिरिये द्वारा निगम को दिये गये फ्रासीसी ऋण का कुल मूल्य 150.00 लाख फ्रांक था, जिसमें से 130.01 लाख फ्रांसीसी फ्रांक के उप-ऋण मंजूर किये गये।

पिछले तीन वर्षों में निधियों के स्त्रोत तथा उपयोग

(रुपये करोड़ों में)

	1970-71	1971-72	1972-73
(क) निधियों का स्त्रोत			
आंतरिक स्त्रोत			
1. प्रारम्भ में नकदी और बैंक शेष	6.89	9.18	2.46
2. वर्ष का सकल लाभ	4.47	4.84	4.52
3. उधार लेने वालों द्वारा ऋणों की वापसी			
(क) रुपया ऋण	9.48	10.87	13.09
(ख) विदेशी मुद्रा ऋण	2.46	2.59	2.75
4. सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशों की बिक्री	2.01	—	—
5. डिबेंचरों/अधिमान शेयरों का विमोचन	0.70	0.33	0.17
6. निवेशों की बिक्री	0.16	1.74	1.70
7. गारंटी दायित्वों के रूप में वसूली	—	0.07	0.01
8. शेयरों के लिये माँगी गई राशि	—	0.83	0.83
उधार उप-जोड़	26.17	30.45	25.53
9. बॉंड जारी करके बाजार से उधार	4.95	8.80	24.17
10. विदेशी संस्थाओं से उधार	3.10	2.95	3.52
11. रिजर्व बैंक आफ इंडिया से निवल उधार	1.24	1.68	2.68
12. केन्द्रीय सरकार से उधार	—	0.09	0.11
उप जोड़	9.29	13.52	30.48
जोड़	35.46	43.97	56.01

	1970-71	1971-72	1972-73
(ख) निधियों का उपयोग			
औद्योगिक संस्थाओं की सहायता			
1. सहायता संवितरणों के रूप में			
(क) ऋण			
रुपया ऋण	13.16	17.85	23.86
विदेशी मुद्रा ऋण	3.10	2.95	4.31*
(ख) हामीदारी दायित्वों के रूप में	0.73	0.56	2.10
औद्योगिक इकाइयों के शेयर-डिबेंचरों में अभिदान			
(ग) प्रत्यक्ष अभिदान	0.14	1.72	0.24
(घ) निगम द्वारा दी गई हामीदारियां	0.02	0.19	1.83
उप-जोड़	17.15	23.27	32.34
सरकार की अदायगी			
2. ऋणों की अदायगी	2.29	3.34	4.71
3. कर के लिए व्यवस्था	2.37	2.17	1.62
उप-जोड़	4.66	5.51	6.33
अन्य उपयोग			
4. रिजर्व बैंक से प्राप्त ऋणों की अदायगी	—	1.24	1.68
5. विदेशी संस्थाओं से प्राप्त ऋणों की अदायगी	2.26	2.40	2.22
6. बाँडों का विमोचन	—	5.49	—
7. अधिलाभांश	0.42	0.42	0.57
8. अन्य	1.79	3.18	1.09
9. अन्त में नकदी और बैंक शेष	9.18	2.46	11.78
उप-जोड़	13.65	15.19	17.34
जोड़	35.46	43.97	56.01

*संयुक्त राज्य/भारत पूंजी निवेश ऋणों के अधीन संवितरित 0.79 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं।

उद्योगों को दी जाने वाली सहायता के स्रोत

69. 30 जून, 1973 तक निगम ने जो रकम संवितरित की है और हामीदारी लेने के कारण उसे जो शेयर और डिबेंचर लेने पड़े थे उनकी कुल राशि 322.11 करोड़ रुपये है। ये निम्नलिखित स्रोतों से पूरे किये गये हैं :

	(रुपये करोड़ों में)
प्रदत्त पूंजी	10.00
आरक्षित निधियां	18.34
बाँड जारी करके बाजार से प्राप्त ऋण	85.17
केन्द्रीय सरकार से लिया गया ऋण	69.47
रिजर्व बैंक से लिया गया ऋण	2.68
विदेशी ऋण	42.73
रुपया ऋणों की वापसी और निवेशों की बिक्री	93.72
जोड़	322.11

ऋणों की वापसी अदायगी की प्रगति

70. सारणी 11 और 12 में वे रकमें दिखाई गई हैं जो पिछले पाँच वर्षों में ब्याज और मूलधन की अदायगी के रूप में लेनी थीं और जो रकम वसूल हुई थी। इसमें प्रत्येक वर्ष के बाकीदारी की रकमों का ब्यौरा दिया गया है। 30 जून, 1973 को 180.21 करोड़ रुपये के कुल बकाया ऋणों में ब्याज की 691.72 लाख रुपये की बाकीदारी तथा मूलधन 555.94 लाख रुपये की बाकीदारी थी, जो कुल बकाया ऋणों का क्रमशः 3.83 प्रतिशत तथा 3.08 प्रतिशत है।

सारणी—11

ब्याज

(रुपये, लाखों में)

30 जून को समाप्त हुआ वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया रकम	वर्ष के प्रारंभ में बकाया ब्याज	वर्ष के दौरान ब्याज की देय रकम*	खाना 3 और 4 का जोड़	वर्ष के दौरान ब्याज की प्राप्त रकम	वर्ष के दौरान ब्याज की अदायगी में चूक होने से बकाया रकम*
1	2	3	4	5	6	7
1969	13553.04	202.81	1026.64	1229.45	917.78	311.67
1970	14207.50	311.67	1084.89	1396.56	1023.84	372.72
1971	14998.54	372.72	1161.08	1533.80	983.05	550.75
1972	15606.32	550.75	1165.96	1716.71	1081.15	598.40
1973	16564.97	598.40	1357.50	1955.90	1106.81	691.72

*इसमें वे राशियाँ शामिल नही है, जिनकी मियाद बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। तकनीकी रूप से ऐसे मामलों को चूकें नहीं माना जाता।

सारणी—12

मूलधन

(रुपये, लाखों में)

30 जून को समाप्त हुआ वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया ऋण*	वर्ष के प्रारम्भ में मूलधन की देय रकम	वर्ष के दौरान मूलधन की देय रकम	खाना 3 और 4 का जोड़	वर्ष के दौरान मूलधन से प्राप्त रकम	वर्ष के दौरान मूलधन की अदायगी में चूक होने से बकाया रकम**
1	2	3	4	5	6	7
1969	13553.04	149.32	944.90	1094.22	811.99	256.51
1970	14207.50	256.51	1163.86	1420.37	1004.24	313.21
1971	14998.54	313.21	1354.43	1667.64	1151.66	498.03
1972	15606.32	498.03	1531.34	2029.37	1287.39	637.06
1973	16564.97	637.06	1633.39	2270.45	1478.54	555.94

*इसमें वे बकाया ऋण शामिल नही हैं जिनकी किश्तें अदायगी में चूक होने के कारण आस्थगित कर दी गई हैं और जिनकी गारंटी निगम ने दी थी और इसलिए निगम को उन्हे अदा करना पड़ा। ये ऋण और उनके ब्याज का ब्यौरा सारणी 14 में दिया गया है।

**इनमें वे राशियाँ शामिल नही हैं जिनकी मियाद बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। तकनीकी रूप से ऐसे मामलों को चकें नहीं माना जाता।

71. 30 जून, 1973 तक बाकीदारी का उद्योगवार ब्यौरा और पिछले वर्ष के तुलनात्मक आँकड़े, निम्नलिखित सारणी में दिये गये हैं।

सारणी—13

(रुपये, लाखों में)

उद्योग	30-6-72 तक की बाकीदारियाँ			30-6-73 तक की बाकीदारियाँ		
	संस्थाओं की संख्या	मूलधन	ब्याज	संस्थाओं की संख्या	मूलधन	ब्याज
चीनी	4	38.38	75.53	8	56.00	108.65
सूती वस्त्र	19	211.74	180.12	14	152.57	172.07
पटसन	1	—	1.94	1	2.03	—
लकड़ी और कार्क	1	92.48	31.81	—	—	—
कागज तथा कागज उत्पाद	3	18.10	64.12	4	19.80	88.73
रबर उत्पाद	3	13.59	17.04	3	30.07	32.91
मूल औद्योगिक रसायन	1	21.00	24.93	1	24.00	33.15
विविध रसायन तथा रसायन उत्पाद	4	7.40	2.94	2	12.00	4.35
कांच	1	6.00	3.84	2	10.00	8.10
विविध अधातु खनिज उत्पाद	4	66.79	68.78	5	84.35	83.50
धातु उत्पाद	3	10.88	4.03	2	3.96	0.01
मशीनरी तथा उपस्कर	13	68.43	46.29	10	82.88	54.80
बिजली मशीनरी तथा उपस्कर	1	1.80	0.41	4	12.56	6.28
मोटर गाड़ियां और उनके पुर्ज	1	9.90	16.84	1	15.02	26.40
साइकल	1	13.25	5.68	—	—	—
खनन-कोयला	1	2.50	2.11	3	8.60	6.04
होटल	1	5.25	7.11	1	7.35	10.11
सीमेंट	—	—	—	1	7.36	11.32
कृत्रिम रेशे तथा रेजिन्स	1	34.34	18.95	1	—	8.07
लोहा तथा इस्पात	6	7.73	20.27	5	16.14	28.86
उर्वरक	1	7.50	5.66	1	10.00	8.37
विविध खाद्य उत्पाद	—	—	—	1	1.25	—
जोड़	70	637.06	598.40	70	555.94	691.72

वर्ष के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में बाकीदारी संस्थाओं की संख्या 19 से घट कर 14 रह गई। बाकीदारी रकमों में भी कमी हुई है। कपास की उपलब्धता में सुधार होने तथा लाभकारी कीमतों के कारण परियोजनाओं में सुधार होना शुरू हुआ है। अन्य कठिनाइयों, जैसे, परियोजना को समय पर कार्यरूप न देने से लागत में अतिव्यय, अकुशल प्रबन्ध तथा श्रम संकटों के अतिरिक्त बिजली की सारे देश में कमी से इन परियोजनाओं का कार्य प्रभावित हुआ। मार्च, 1973 में धागे के उत्पादन, कीमत तथा वितरण पर नियंत्रण लग जाने से स्थिति और बिगड़ गई है क्योंकि उत्पादन तथा माल छोड़ने के आदेशों में उचित तालमेल नहीं रहा। बाकीदारी वाली परियोजनाओं पर लगातार नजर रखी जा रही है। तथा उनके पुनर्स्थापन के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। वर्ष के दौरान सरकार ने उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन एक इकाई तथा 'रुग्ण' वस्त्र अधिग्रहण (प्रबन्ध अधिग्रहण) अधिनियम, 1972 के अधीन 3 इकाईयों का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया। निगम की बकाया को प्राप्त करने के लिये राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि० से विचार विमर्श चल रहा है, जो प्राधिकृत नियन्त्रक नियुक्त किए गए हैं।

चीनी उद्योग में बाकीदारी संस्थाओं की संख्या 4 से बढ़कर 8 हो गई है। इसका प्रमुख कारण देश के विभिन्न भागों में सूखा पड़ने से फैक्टरियों को प्राप्त होने वाले गन्ने की पूर्ति में कमी होना था। इससे इन इकाइयो के लाभ पर दुष्प्रभाव पड़ा।

कागज उद्योग में लाभ की स्थिति लगातार संतोषजनक रही। निगम द्वारा वित्तपोषित कुछ इकाइयां उनकी अपनी विशेष परिस्थितियों के कारण देय रकमें समय पर नहीं चुका सकी। पिछली वार्षिक रिपोर्ट मे एक इकाई के पुनर्प्रवर्तन का उल्लेख किया गया था जिसमें निगम का भारी जोखिम था जिसके लिये दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओ ने वित्तीय सहायता मंजूर कर दी है इस परियोजना को न्यायालय द्वारा अनुमोदित पुर्नस्थापन योजना के दायरे में ही चालू किया जा रहा है।

मृत्तिका शिल्प तथा भट्टी में लगाने वाली ईंटों की इस्पात और अन्य उद्योगों से मांग बढ़ जाने के कारण इस उद्योग की स्थिति में और सुधार हुआ है। यद्यपि एक इकाई को पिछले असन्तोषप्रद परिणामों से पूर्णतः मुक्ति पाने में कुछ और समय लगेगा और निगम इसकी समस्या से भली प्रकार अवगत है तथा निगम अन्य भागीदार संस्थाओं के साथ मिलकर इसके उपचार के लिये कार्य कर रहा है। एक अन्य मामले में जिसमें फैक्टरी पट्टे पर दी गई है निगम की बकाया पूरी राशि का समापन किया गया है। केन्द्रीय सरकार ने संसद के एक अधिनियम द्वारा उपक्रम को को अपने अधिकार में ले लिया तथा निगम ने न्यायालय में दिये जाने वाले मुआवजे की राशि के लिये रक्षित दावेदार के रूप में अपना दावा दायर कर दिया है। मुआवजे की रकम पर एक और राष्ट्रीयकृत बैंक ने भी दावा किया है और उसी के आधार पर मुआवजे की राशि में निगम तथा बैंक के हित का निर्णय कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा किया जा रहा है।

अन्टोबायोटिक के लिये मूल औषधि का निर्माण करने वाली एक वित्तपोषित संस्था ने कुछ तकनीकी दोषों के कारण अक्तूबर, 1971 में अपना काम बन्द कर दिया था और इसने पुनः जनवरी, 1973 में एक पुनर्स्थापन योजना के अधीन उत्पादन शुरू कर दिया। एक भागीदार वित्तीय संस्था ने भी इसके लिये सहायता मंजूर की है। लेकिन कम्पनी के अन्तिम उत्पाद की कम कीमत निश्चित किये जाने से बिक्री तथा लाभ पर पुर्नस्थापन की आशाओं के विपरीत प्रभाव पड़ा। कम्पनी ने अब कुछ व्युतपादित उत्पादन करने की योजना बनाई है। इस कम्पनी ने ब्याज आदि की अदायगी में कुछ रियायतों के लिये भागीदार वित्तीय संस्थाओं के पास पहुंच की है। प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

बाकीदारी की स्थिति में इंजीनियरिंग उद्योग ने पिछले वर्ष की तुलना में कोई सुधार नहीं दिखाया। बाकीदारी संस्थाओं की संख्या 25 से 22 रह गई। इन संस्थाओं का कार्य बिजली तथा कच्चे माल व विशेषकर इस्पात तथा पुर्जों की कमी के कारण असन्तोषप्रद रहा। श्रम संकट, उत्पादन की बढ़ती लागत तथा कमजोर व अकुशल प्रबन्ध और कुछ मामलों में कार्यकर पूंजी का अभाव इस असंतोषप्रद स्थिति का कारण रहे।

वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं में से कुछ को अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ मिलकर वित्तीय सहायता प्रदान की गई, अदायगियों के मामले में उचित परिवर्तन करके और पुर्नस्थापन की योजना के रूप में प्रबन्ध को मजबूत किया गया। अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ इन संगठित प्रयासों से कुछ संस्थाओं के प्रबन्ध में सफलतापूर्वक परिवर्तन लाया गया, संस्थाओं ने पुनः कार्य करना शुरू कर दिया है। आशा है वे निकट भविष्य में सफलता प्राप्त कर लेंगी।

चूकें करने वाली परियोजनाओं पर बराबर नजर रखी जा रही है तथा उनके पुनर्स्थापन के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। आवश्यकतानुसार निगम चूकें करने वाली संस्थाओं की समस्यायें हल करने के लिये अन्य भागीदार वित्तीय संस्थाओं के साथ सम्पर्क रख रहा है। सभी असफल होने के पश्चात निगम की बकाया को वसूल करने के लिये कानूनी कार्रवाई भी शुरू की गई है।

72. जिन आस्थगित अदायगियों के लिये निगम ने गारंटी दी थी उनकी किस्तों में चूकें होने के कारण निगम द्वारा पिछले पांच वर्षों में अदा की गई बाकीदारी की रकम और उस पर देय ब्याज आदि नीचे सारिणी में दिया गया है।

सारणी—14

जिन आस्थगित अदायगियों के लिये निगम ने गारंटी दी थी उनकी किस्तों की अदायगी में चूकें होने के कारण निगम द्वारा अदा की गई बाकीदारी की रकम और उस पर देय ब्याज आदि

(रुपये, लाखों में)

30 जून को समाप्त हुआ वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में बाकीदारी की रकम	वर्ष के दौरान बाकीदारी की रकम	खाना 2 और 3 का जोड़	वर्ष के दौरान वसूलियां	वर्ष के अन्त में देय बाकीदारी की रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1969 . .	415.05	116.27	531.32	3.89	527.43
1970 . .	527.43	52.24	579.67	285.83*	293.84
1971 . .	293.84	25.71	319.55	2.72	316.83
1972 . .	316.83	32.10	348.93	112.22**	236.71
1973 . .	236.71	217.23	453.94	4.10	449.84

*इसमें 279.44 लाख रुपये की वह राशि शामिल है, जिसे नये ऋणों में परिवर्तित करके मियाद बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है।

**इसमें 30.17 लाख रुपये की वह राशि शामिल है, जिसकी मियाद बढाने की मंजूरी दे दी गई है।

73. विभिन्न वर्गों के अंशधारियों के पास निगम के जो शेयर थे, समीक्षाधीन वर्ष में उनके वितरण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ ।

30 जून, 1973 को शेयरों का वितरण नीचे लिखे अनुसार था :

शेयरों का वितरण	शेयरों की संख्या	कुल का प्रतिशत
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	10,000	50
अनुसूचित बैंक	4,067	20
बीमा संस्थाएं आदि	4,314	22
सहकारी बैंक	1,619	8
	20,000	100

लेखे

इस वर्ष का लाभ-हानि विवरण (रुपये, लाखों में)

	इस वर्ष	पिछले वर्ष
74. इस वर्ष के कारोबार की सकल आय	1498.17	1498.12
सकल आय में से निम्नलिखित घटाने के बाद बांडों और अन्य ऋणों पर अदा किया गया ब्याज	917.13	847.84
अन्य खर्चे तथा निवेशों की बिक्री से हानि	129.11	166.70
निवेशों के मूल्य में ह्रास	—	48.00
कर के लिये व्यवस्था	161.53	216.83
इस वर्ष का निवल लाभ	290.40	218.75
290.40 लाख रुपये के निवल लाभ को इस प्रकार विनियोजित किया गया :		
1) सामान्य, आरक्षित निधि को अन्तरित	82.70	82.70
(2) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(i) (VIII) के अन्तर्गत विशेष आरक्षित निधि को अंतरित	40.00	44.00
(3) दातव्य आरक्षित निधि को अन्तरित	40.00	—
(4) अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिये आरक्षित निधि को अंतरित	70.00	49.18
(5) स्टाफ कल्याण निधि को अन्तरित	1.00	1.00
(6) 10.00 करोड़ रुपये की प्रदत्त शेयर पूंजी पर 6 प्रतिशत वार्षिक दर से अधिलाभांश की अवायगी	56.70	41.87
	290.40	218.75

सामान्य आरक्षित निधि

75. चालू वर्ष के लाभों में से 82.70 लाख रुपये की रकम सामान्य आरक्षित निधि में अन्तरित कर दी गई है, जो अब 1,000.00 लाख रुपये हो गई है ।

सामान्य आरक्षित निधि के अतिरिक्त कुल 519.78 लाख रुपये की निम्नलिखित विशेष आरक्षित निधियां हैं ।

	(रुपये, लाखों में)
(1) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 32क के अधीन विशेष आरक्षित निधि	100.00
(2) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(i) (VIII) के अधीन विशेष आरक्षित निधि	419.78
	519·78

सामान्य और आरक्षित निधियो की कुल रकमो का जोड़, 1,519.78 लाख रुपये है ।

इसके अतिरिक्त संदिग्ध ऋणों के लिये कुल 273.00 लाख रुपये तथा दातव्य निधि के लिये 38.71 लाख रुपये की रकम आरक्षित है । इस प्रकार निगम के पास आरक्षित निधियो की कुल रकम 1,834.42 लाख रुपये है जो प्रदत्त पूंजी से 834.42 लाख रुपये अधिक है ।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(i) (VIII) के अधीन विशेष आरक्षित निधि

76. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (i) (viii) के अधीन चालू वर्ष के लाभ में से 40.00 लाख रुपये की राशि विशेष आरक्षित निधि को अन्तरित कर दी गई । यह राशि चालू वर्ष की कर निर्धार्य आय के 10 प्रतिशत के बराबर है । इस प्रकार इस निधि की जमा रकम 419.78 लाख रुपये हो गई है ।

दातव्य आरक्षित निधि

77. औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 32ख के अधीन समीक्षाधीन वर्ष के लाभों में से दातव्य आरक्षित निधि की 40.00 लाख रुपये की राशि अन्तरित कर दी गई है । जिसका उपभोग निम्न प्रकार से किया जायेगा :—

(क) व्यवहार्यता अध्ययन, परियोजना रिपोर्टों, मार्केट तथा टेकनोइकनेमिक सर्वेक्षणों तथा ऐसे अन्य उद्देश्यों, जो औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन दें, के व्यय को पूरा करने के लिये ;

(ख) विकास बैंकिंग तथा वित्तीय और औद्योगिक प्रबन्ध के क्षेत्रों में—

(1) शोध करने तथा शोध को प्रोत्साहन देने के लिये;

(2) वित्तीय संस्थाओं के कर्मचारियों को भारत तथा बाहर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये; तथा

(3) विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों तथा शोध प्रतिष्ठानों में चेयरो की स्थापना करने के लिये;

(ग) व्यावसायिकों तथा नये उद्यमकर्ताओं द्वारा लगाई गई परियोजनाओं को सहायता देने के लिये ;

(1) उनको मंजूर ऋणो अथवा अग्रिमो पर सामान्य व्याज दर में आर्थिक सहायता;

(2) उन द्वारा प्रवर्तित परियोजनाओं, विशेषकर औद्योगिक रूप से कम विकसित क्षेत्रों में लगाई गई परियोजनाओं को तकनीकी तथा प्रबन्धकीय सहायता देना;

(घ) उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिये सहायक अथवा आकस्मिक सहायता प्रदान करना ।

अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिये व्यवस्था

78. वर्ष के अन्त में ऋण खाते की समीक्षा संतोषजनक पाई गई । फिर भी, निगम के कार्यक्षेत्र के विस्तार, कुछ संस्थाओं के पुनः स्थापना की योजनाओं के परिपक्व होने में लगने वाले अधिक समय को ध्यान में रखते हुए संचालकों ने दूरदर्शिता से काम लेकर समीक्षाधीन वर्ष के लाभ में से 70.00 लाख रुपये संदिग्ध ऋणों की आरक्षित निधि की अन्तरित करने का निर्णय किया है ।

आयकर के लिये व्यवस्था

79. 30 जून, 1971-72 को समाप्त हुए लेखा वर्षों कर निर्धारण वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 को कर निर्धारण की कार्यवाही की वार्षिक लेखा बन्द होने से पहले अन्तिम रूप नहीं दिया गया था । अतः वर्ष के लेखे में इसका कोई समायोजन नहीं किया गया है । 30 जून, 1973 को समाप्त हुए लेखा वर्ष के लिये कर लेखे में 161.53 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

निवल लाभ

80. इस वर्ष सकल लाभ 451.93 लाख रुपये हुआ । कराधान के लिये 161.53 लाख रुपये की व्यवस्था करने के पश्चात निवल लाभ 218.75 लाख रुपये से 290.40 लाख रुपये हो गया । पिछले वर्ष के 176.88 लाख रुपये की तुलना में इस वर्ष आरक्षित निधियों में 233.70 लाख रुपये का विनियोजन किया गया ।

इस वर्ष के लाभों में से 82.70 लाख रुपये की राशि सामान्य आरक्षित निधि को अन्तरित करने से यह निधि 30 जून, 1973 को निगम की प्रदत्त पूंजी के बराबर हो गई इसलिये औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 32 के अनुसार निगम ने अपनी प्रदत्त पूजी पर 30 जून, 1973 को समाप्त हुए वर्ष के लिये 6 प्रतिशत का अधिलाभांश देने की घोषणा की ।

तुलन पत्र के साथ संलग्न अनुसूची

81. तुलन पत्र के साथ संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित के बारे में ब्यौरा दिया गया है ।

(1) उन संस्थाओं द्वारा देय ऋण जिनसे निगम के संचालक केवल संचालक के रूप में हितबद्ध हैं ।

(2) उन संस्थाओं को संवितरित ऋण जिनसे निगम के संचालक, केवल संचालक के रूप में हितबद्ध हैं।

उन संस्थाओं पर कुल 215.14 लाख रुपये के ऋण बकाया है जिनमें निगम के संचालक केवल संचालक के नाते हितबद्ध हैं । 153.29 लाख रुपये के ऋण संबंधित संचालकों के निगम का संचालक बनने से पूर्व मंजूर किए गए थे और शेष 61.85 लाख रुपये उनके निगम का संचालक बनने के बाद मंजूर किये गये । यह राशि निगम को प्राप्त होने वाले कुल बकाया ऋणों की 185.15 करोड़ रुपये की रकम का लगभग 0.3 प्रतिशत है । वर्ष के दौरान उन संस्थाओं को कुल 14.86 लाख रुपये के ऋण संवितरित किये गये जिनसे निगम के संचालक, संचालक के रूप में हितबद्ध हैं ।

पिछले वर्षों का कार्य परिणाम

82. निगम के पिछले पांच वर्षों के लाभ-हानि लेखे का संक्षिप्त विवरण नीचे सारणी में दिया गया है ।

सारणी–15

(रुपये, लाखों में)

	30 जून को समाप्त हुआ वर्ष				
	1969	1970	1971	1972	1973
उपार्जित लाभ	1086.78	1200.34	1257.84	1383.31	1356.97
अन्य लाभ	107.03	81.23	88.11	114.81	141.20
कुल आय	1193.81	1281.57	1345.95	1498.12	1498.17
अदा किया गया ब्याज	739.24	793.56	820.34	847.84	917.13
बांडों पर बट्टा और दलाली	17.87	1.37	1.17	3.26	7.61
स्थापना खर्च जिसमें चिकित्सा शुल्क तथा खर्च और कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज भी शामिल है	29.35	35.03	48.24	61.33	71.03
राष्ट्रीय रक्षा कोष को दान	—	—	—	5.00	—
अन्य खर्च तथा निवेशों की बिक्री से हानि	15.24	18.79	28.94	97.11	50.47
कुल खर्च	801.70	848.75	898.69	1014.54	1046.24
सकल लाभ	392.11	432.82	447.26	483.58	451.93
निवेशों के मूल्य में ह्रास के लिए व्यवस्था	—	—	—	48.00	—
कर के लिये व्यवस्था	221.79	237.00	237.00	216.83	161.53
निवल लाभ	170.32	195.82	210.26	218.75	290.40
आरक्षित निधियों में	145.69	171.19	186.53	176.88	233.70
अधिलाभांश	24 63	24 63	41 73	41 87	56 70

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम में संशोधन

83. वर्ष के दौरान निगम के काम-काज से प्राप्त अनुभव के आधार पर औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 में संशोधन किये गये । यह बात उल्लेखनीय है कि 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना होने से इस अधिनियम में संशोधन किया गया था । हाल ही में किये गये संशोधनों की कुछ उल्लेखनीय बातें नीचे दी गई हैं ।

(1) एक महत्वपूर्ण संशोधन का सम्बन्ध औद्योगिक संस्थाओं द्वारा निगम से सहायता प्राप्त करने की पात्रता के बारे में है । कुछ दिन पहले तक भारत में पंजीकृत पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां अथवा सहकारी समितियां ही निगम से सहायता प्राप्त कर सकती थी । वर्तमान संशोधन से प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों के रूप में निगमित संस्थायें भी पात्रता की सीमा में आ गई हैं । इससे प्राइवेट अथवा सरकारी क्षेत्र की पब्लिक अथवा प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों के रूप में निगमित औद्योगिक संस्थायें निगम से सहायता प्राप्त कर सकेंगी ।

(2) निगम का कार्य क्षेत्र बढ़ रहा है और इसकी 10 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी को, जो पूर्ण रूप से जारी तथा प्रदत्त हो चुकी है, को बढ़ाने की आवश्यकता थी । औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम में संशोधन हो जाने से अधिकृत पूंजी 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दी गई है । इससे निगम को अपने इक्विटी आधार को मजबूत करने तथा उधार लेने की समर्थता को बढ़ाने में मदद मिलेगी ।

(3) सरकार द्वारा सरकारी उप-क्रमों पर समिति के सुझाव, बोर्ड से केन्द्रीय समिति के खत्म कर देने को स्वीकार कर लिए जाने के तदनुसार केन्द्रीय समिति से सम्बन्धित धाराएं समाप्त कर दी गई हैं तथा अधिनियम की अन्य धाराओं में तदनुरूप संशोधन किए गये हैं ।

(4) इस अधिनियम की धारा 21 की उपधाराओं (1) तथा (4) में उल्लिखित उधार लेने की सीमाओं से सम्बन्धित व्यवस्थायें भी संशोधित की गई हैं । इस संशोधन में व्यवस्था की गई है कि निगम को उधार लेने की शक्तियों का दस गुणा करते समय प्रदत्त पूंजी तथा निगम की आरक्षित निधि, सभी आरक्षित निधियां, अर्थात् धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित आरक्षित निधि, धारा 32-ख के अधीन स्थापित दातव्य आरक्षित निधि तथा निगम की अन्य आरक्षित निधियों (अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिये आरक्षित निधियां अथवा सम्पत्ति और परिसम्पत्तियों के ह्रास मूल्य अथवा विशेष आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिये आरक्षित निधियां छोड़कर) का भी गणन किया जायेगा ।

(5) संशोधन में यह भी व्यवस्था की गई है कि निगम के बांडों तथा डिबेंचरों, विशेषकर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को निर्गमित, के लिये केन्द्रीय सरकार की गारन्टी आवश्यक नहीं है ।

संशोधन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निगम के बांड तथा डिबेंचर भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 तथा बीमा अधिनियम, 1938 तथा बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 के उद्देश्यों के लिये स्वीकृत प्रतिभूतियां है । इसमें निगम को यह अधिकार भी दिया गया है कि निगम अपने स्रोतों पर दबाव कम करने के लिये ऋणों तथा अग्रिम में सम्बन्धित पूर्णतः अथवा आंशिक अधिकार तथा हित अन्य संस्थाओं को हस्तान्तरण कर सकते हैं । निगम को यह भी अधिकार दिया गया है कि निगम भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय संस्थाओं के शेयरों में अभिदान अथवा क्रय कर सकता है ।

(6) निगम द्वारा संव्यवहार कार्य से सम्बन्धित अधिनियम की धारा 123 के उपबन्धों को कई बातों में संशोधन किया गया है ।

इस संशोधन से हामीदारी कार्यों के अन्तर्गत निगम को जो शेयर लेने पड़े उन पर से सारे वर्ष की कालावधि से अधिक की वर्तमान पाबंदी हटा दी गई है ।

इसमें एक और खण्ड जोड़ दिया गया है जिसके द्वारा निगम कोई अन्य प्रकार का कार्य कर सकता है जिसे विकास बैंक के सुझाव पर केन्द्रीय सरकार प्राधिकृत करे ।

निगम के कार्य की परम्परागत प्रतिभूत आधारित पहुंच से नवीनतम विचारधारा परियोजना आधारित धारणा के अनुरूप बनाने के लिये प्रतिभूति प्राप्त करने का उपबन्ध निगम की स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया है ।

(7) मूल अधिनियम की धारा 26 में कुछ प्रतिबन्धी उपबन्ध जोड़ दिये गये हैं जिसमें निगम पर उन औद्योगिक संस्थाओं, जिनमें निगम का कोई संचालक हो अथवा जिसमें निगम के एक अथवा अधिक संचालकों का भारी हित हो, को वित्तीय सहायता मंजर करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ।

(8) विदेशी मुद्रा ऋणों से सम्बन्धित विनिमय दर की परिवर्तनशीलता से पैदा होने वाले दायित्व के बारे में मूल अधिनियम की धारा 27 में कुछ संशोधन किये गये हैं । आजकल विनिमय दर में परिवर्तन होने से पैदा हुए दायित्वों का पूरा भार ऋण प्राप्त करने वाली संस्थाओं पर पड़ता है । अधिनियम के संशोधन हो जाने से विनिमय दर में परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाली कोई भी हानि ऋण प्राप्त करने वाली संस्थाओं द्वारा उसी स्थिति में वहन की जायेगी जब तक वे निगम के प्रति अपना दायित्व पूरा नहीं करते । उस अवधि के पश्चात् विदेशी मुद्रा में सामान्य बाजार परिवर्तनों से होने वाली हानि को निगम वहन करेगा तथा केन्द्रीय सरकार ने सामान्य बाजार परिवर्तनों से भिन्न उतार-चढ़ाव जैसे विदेशी मुद्रा की तुलना में भारतीय मुद्रा के अवमूल्यन अथवा पुनर्मूल्यन से पैदा होने वाले जोखिमों का दायित्व अपने ऊपर ले लिया है।

(9) निगम द्वारा प्राप्त किये गये अनुभवों के आधार पर अधिनियम की धारा 28 (चूकों के मामले में निगम के अधिकारों से सम्बन्धित) तथा धारा 30 (दावों के लिये विशेष उपबन्धों वाली) को भी उचित रूप में संशोधित किया गया है । इन संशोधनों से निगम चूकें करने वाली संस्थाओं से अपना बकाया प्राप्त करने के लिये प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सकेगा । अब निगम अपना बकाया प्राप्त करने के लिये सम्बन्धित जिला न्यायालय में पहुंच करने के बजाय सीधे संबंधित उच्च न्यायालय अथवा जहां उच्च न्यायालय न हो, उच्च न्यायालय की शक्तियांप्राप्त न्यायिक आयुक्त के कार्यालय में पहुंच कर सकता है, जिनके क्षेत्राधिकार में औद्योगिक संस्था अपना समग्र कारोबार अथवा कारोबार का अधिक भाग कर रही है । इसके अतिरिक्त संशोधन में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इन कार्यवाहियों में न्यायालय की बंधक सम्पत्तियों के लिये रिसीवर को नियुक्त करने का अधिकार भी होगा ।

(10) अब तक निगम द्वारा घोषित अधिलाभांश की अधिकतम सीमा 5 प्रतिशत थी । धारा 32 के एक संशोधन से यह पाबन्दी हटा दी गई है तथा यह निगम की स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया है कि निगम अपने वार्षिक कार्य परिणामों के आधार पर उचित अधिलाभांश घोषित करे । इसके अतिरिक्त संशोधन द्वारा यह उपबन्ध भी निकाल दिया है जिसके द्वारा निगम को अधिलाभांश घोषित करने के अतिरिक्त अपने लाभों का अधिशेष केन्द्रीय सरकार को हस्तान्तरित करना पड़ता था, क्योंकि अब केन्द्रीय सरकार के पास निगम के कोई शेयर नहीं हैं।

(11) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम के अन्तर्गत 'दातव्य आरक्षित निधि' से सम्बन्धित एक नई धारा की व्यवस्था की गई है । यह निगम के वार्षिक लाभों तथा केन्द्रीय सरकार अथवा अन्य क्षेत्रों से प्राप्त आर्थिक सहायता में से बनाई जायेगी । निगम द्वारा दातव्य आरक्षित निधि का उपयोग सामाजिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिये किया जायेगा ।

(12) मूल अधिनियम की धारा 43 के अधीन बनाये गये विनियमों के लिये केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन तथा तदनसार इन विनियमों को संसद् पटल पर रखे जाने से संबंधित उपबन्ध हटा दिया गया है।

संचालक मण्डल

अध्यक्ष

84. औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 10 (1) (क) की शर्तों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना सं० 2(13) औ० वि०—1/73 दिनांक 21 जून, 1973 के द्वारा श्री चरन दास खन्ना को 18 मई, 1973 के अपराह्न से एक और वर्ष के लिये निगम के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया ।

अन्य संचालक

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 10(1)(ख) के अधीन केन्द्रीय सरकार ने श्री बी० बी० लाल के स्थान पर औद्योगिक विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव, श्री आर० वी० रमन को नामित किया ।

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 10(1) (क) के अधीन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने क्रमशः डा० बी० बी० भट्ट तथा श्री जी० रामानुजम के स्थान पर महाप्रबन्धक, श्री सी० एस० वेंकट राव तथा इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कलकत्ता के उप-प्रधान, श्री विष्णु बैनर्जी को नामित किया ।

बोर्ड श्री बी० बी० लाल, डा० बी० बी० भट्ट तथा श्री जी० रामानुजम द्वारा की गई अमूल्य सेवाओं की सराहना करते हैं तथा नये संचालकों का हार्दिक स्वागत करते हैं ।

बोर्ड और अन्य समितियों की बैठकें

85. इस वर्ष के दौरान बोर्ड की बारह बैठकें हुईं, जिनमे से छः नई दिल्ली में, और एक-एक बैठक बम्बई, मद्रास जयपुर, अहमदाबाद, पटना तथा बंगलौर में हुई ।

इस वर्ष के दौरान बोर्ड की समिति की भी एक बैठक हुई ।

सलाहकार समितियां

86. वर्ष के दौरान विभिन्न सलाहकार समितियों की बैठकों की संख्या नीचे दी गई है :–

सलाहकार समिति का नाम—	बैठकों की संख्या
रसायन प्रक्रिया और सम वर्गीय उद्योग	8
इंजीनियरिंग	9
खनिज	9
वस्त्र	9
पटसन	2

इन बैठकों में कुल 68 संस्थाओं से विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता के लिये प्राप्त हुए आवेदनों पर विचार किया गया ।

निगम ने पहले की तरह विभिन्न उद्योगो के विशेषज्ञों और सलाहकारों की एक नामिका रखी ताकि विभिन्न उद्योगों के विशेषज्ञों के लिये उनकी विशेषज्ञता का लाभ उठाया जा सके और अवसर की आवश्यकतानुसार विचारार्थ मामलों की जटिलता तथा उनके स्वरूप और संबंधित विशेषज्ञता प्राप्त क्षेत्रों के अनुसार नामिका में से कुछ विशेषज्ञों को सम्बन्धित समिति का सदस्य सहयोजित किया जा सके ।

निगम की रजत जयन्ती

87. रजत जयन्ती समारोहों को मनाने के लिये निगम ने इन समारोहों का आयोजन किया :
(1) निगमित तथा कम्पनी क्षेत्र से ऋण प्राप्त करने वाली संस्थाओं का सम्मेलन;
(2) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम रजत जयन्ती प्रथम स्मृति भाषण, तथा
(3) प्रबन्ध विकास संस्थान का उद्घाटन ।

निगमित कम्पनी क्षेत्र से ऋण प्राप्त करने वाली संस्थाओं का सम्मेलन

निगम तथा निगम से ऋण प्राप्त करने वाली संस्थाओं के मध्य अधिक सूझबूझ पैदा करने के दृष्टिकोण से विचार विमर्श के लिए मंच स्थापित करने के तौर पर निगम ने 10 फरवरी, 1973 को नई दिल्ली मे निगमित कम्पनी क्षेत्र की संस्थाओं के एक सम्मेलन का आयोजन किया । सम्मेलन का उद्घाटन केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री यशवन्तराव बलवन्तराव चाह्वाण ने किया तथा इस सम्मेलन मे ऋणी संस्थाओं के वरिष्ठ प्रबन्धकों, राज्य स्तर तथा अखिल भारतीय स्तर की वित्तीय सस्थाओं एवं सरकार के अधिकारियों को मिलाकर 400 के लगभग प्रतिनिधियों ने भाग लिया । इस सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने बहुत ही लाभकारी सुझाव दिये तथा राष्ट्र के औद्योगिक विकास में योगदान देने के लिये एवं नये उद्यमकर्ताओं को प्रोत्साहन देने के वास्ते पिछले 25 वर्षों के समय में दिये गये योगदान के लिये निगम को भारी श्रद्धांजलियां अर्पित कीं ।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम रजत जयन्ती

प्रथम स्मृति भाषण

निगम की रजत जयन्ती मनाने के लिये निगम ने 'भारतीय औद्योगिक वित्त निगम रजत जयन्ती स्मृति भाषण' की स्थापना की है । यह एक वार्षिक कार्यक्रम होगा । यह भाषण, प्रतिवर्ष प्रख्यात व्यावसायिक विकास बैंकर द्वारा दिया जाया करेगा । इन भाषणों के

स्थापित करने का उद्देश्य विकास बैंकिंग के क्षेत्र मे उच्च तथा व्यावसायिक साहित्य का निर्माण करना है । इसके साथ ही इनका उद्देश्य विकास बैंकिंग के क्षेत्र म व्यावसायिको को सम्मान प्रदान करता है ।

प्रथम रजत जयन्ती स्मृति भाषण 7 मार्च, 1973 को पश्चिमी जर्मनी के प्रमुख विकास बैंक क्रदिस्तास्तल (के० एफ० डब्ल्यू०) के प्रबन्ध मण्डल के मिस्टर हैन्स इरिक बैंकम द्वारा दिया गया । भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री एस० जगन्नाथन् ने समारोह की अध्यक्षता की । मिस्टर बैंकम के स्मृति भाषण का विषय 'छोटे तथा मध्य दर्जे के उद्योगो के प्रवर्तन के विशेष संदर्भ में विकास बैंकिंग के नये पहलु' था । इस भाषण को भारी सख्या मे प्रख्यात बैंकरो, उद्योगपतियो, अर्थशास्त्रियो, प्रबन्धको तथा विदेशी महनुभावो ने सुना ।

प्रबन्ध विकास संस्थान

स्मरण रहे कि सचालक बोर्ड ने अपनी पिछली रिपोर्ट में, निगम से वित्त प्राप्त करने वालो, विशेषकर निगम की सहायता से प्रथम बार उद्योग मे प्रवेश करने वाले नये उद्यमकर्ताओ तथा व्यावसायिको को आधुनिक प्रबन्ध तकनीको मे प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये निगम द्वारा प्रबन्ध विकास सस्थान की स्थापना का उल्लेख किया था । यह भी प्रस्ताव है कि सस्थान निगम के स्टाफ को सभी स्तरो पर तथा राज्य एव अखिल भारतीय स्तर की वित्तीय सस्थाओ के स्टाफ को भी सभी स्तरो पर विकास बैंकिंग मे प्रशिक्षण प्रदान करेगा ।

सस्थान का उद्घाटन 8 मार्च, 1973 को फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी के क्रदिस्तास्तल (के० एफ० डब्ल्यू०) के प्रबन्ध मण्डल के सदस्य मि० हैन्स इरिक बैंकम ने किया । उत्सव का सभापतित्व भारी उद्योग मत्री श्री टी० ए० भाई ने किया ।

अपने क्षेत्र मे प्रख्यात व्यक्तियो से इस सस्थान के बोर्ड आफ गवर्नर्स का गठन किया गया है । इसके बोर्ड मे के० एफ० डब्ल्यू०, भारत सरकार तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के सदस्य भी हैं । बोर्ड के अन्य सदस्य उद्योग, अर्थशास्त्र, वित्त, तकनीकी तथा प्रशासन प्रबन्ध क्षेत्रो के प्रमुख व्यक्ति हैं ।

भारतीय रिजर्व बैंक के भूतपूर्व उप-गवर्नर तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के उपाध्यक्ष डा० वी० के० मदान को सस्थान के बोर्ड आफ गवर्नर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है । सस्थान के लिये वरिष्ठ शिक्षक वर्ग की नियुक्ति की जा रही है तथा आशा है कि 1973 के अन्त तक सस्थान कार्य करना शुरू कर देगा ।

निगम के कार्यालय

88 निगम के दो और कार्यालयो ने कानपुर तथा पटना में क्रमश: 29 जुलाई, 1972 तथा 19 अगस्त, 1972 से कार्य करना शुरू कर दिया है । वर्ष के अन्त तक चण्डीगढ, भोपाल और कोचीन मे तीन कार्यालय खुल जाने से निगम के कार्यालयो की सख्या चौदह हो गई है । जयपुर, नागपुर तथा पूना में कार्यालय खोलने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

स्टाफ कल्याण कार्य

89. दो वर्ष पूर्व स्थापित की गई कर्मचारी कल्याण निधि का उपयोग देश के विभिन्न केन्द्रो मे अवकाश गृह स्थापित करने तथा निगम के निम्न तथा मध्य वर्गीय कर्मचारियो की सन्तानो को व्यावसायिक अध्ययनो के लिये छात्र-वृत्तिया प्रदान करने हेतु किया जा रहा है । अभी तक पुरी (उडीसा), उटाकामुड, बैंगलौर तथा पचमढ़ी (मध्य प्रदेश) मे अवकाश गृह स्थापित किये जा चुके है ।

निगम ने कर्मचारियो के लिये सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर निगम के समग्र स्टाफ के लिये जीवन बीमा निगम के साथ व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा व्यवस्था की है । ये कल्याण-कार्य, अन्य लाभो, जैसे अशदायी भविष्य कल्याण निधि, उपदान, चिकित्सा सुविधाये, अवकाश यात्रा रियायत, आदि लाभो के अतिरिक्त दिये गये है ।

प्रधान कार्यालय मे निगम के स्टाफ के लिये हाउसिंग कालोनी का कार्यक्रम हाथ मे लिया गया है ।

रजत जयन्ती की स्मृति में निगम के समग्र स्टाफ को स्मृति-उपहार बाटे गये । 30 जून, 1972 को एक वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले सभी कर्मचारियो को एक मास का वेतन उपहार-स्वरूप दिया गया । जिन कर्मचारियो ने निगम की सेवा मे इसकी स्थापना के प्रथम वर्ष मे प्रवेश किया, उन्हे विशेष स्मृति उपहार प्रदान किये गये ।

कर्मचारियों का प्रशिक्षण

90. निगम अपने कर्मचारियो को भारत तथा बाहर के प्रबन्ध सस्थानो मे प्रशिक्षण के लिये भेजकर प्रबन्ध विकास की ओर विशेष ध्यान दे रहा है ।

बैंकर प्रशिक्षण कालेज, बम्बई, प्रशासनिक स्टाफ कालेज आफ इण्डिया, हैदराबाद, नेशनल इन्स्टीच्यूट फौर ट्रेनिग इन इडस्ट्रियल इजीनियरिग, बम्बई , इण्डियन इन्स्टीच्यूट आफ मैनेजमेन्ट, अहमदाबाद, आदि द्वारा आयोजित पाठ्य-क्रमो मे निगम के बीस अधिकारियो ने भाग लिया । एक अधिकारी ने आर्थिक विकास तथा योजना के एशियाई सस्थान, बैकाक द्वारा विकास बैको के लिए आयोजित परियोजना विश्लेषण तथा मूल्याकन के विशेष पाठ्य-क्रम मे भाग लिया । एक अन्य अधिकारी को पश्चिमी जर्मनी के कामर्ज बैंक के पास, प्रशिक्षण के लिये भेजा गया ।

लेखा परीक्षक

91. 30 जून, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने मैसर्स रे० एण्ड रे०, कलकत्ता को निगम के लेखा परीक्षको के रूप मे नियुक्त किया । 28 सितम्बर, 1972 को निगम के शेयर-धारियो की वार्षिक साधारण बैठक मे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को छोडकर अन्य शेयर-धारियो की ओर से उक्त अवधि के लिये मैसर्स हरिभक्ति एण्ड कम्पनी, कम्बई को फिर से लेखा परीक्षक चुना गय । मैसर्स हरिभक्ति एण्ड कम्पनी कार्य-निवृत्त हो जायेगे, लेकिन उनका फिर मे चुनाव किया जा सकता है ।

प्राप्त सहायता के लिए आभार प्रदर्शन

92 बोर्ड को भारत सरकार के विभिन्न मत्रालयो और विभागो तथा अखिल भारतीय वित्तीय सस्थाओ से जो सहयोग और सहायता मिली है, उसके लिये वह उनकी प्रशसा करता है । जिन सदस्यो ने निगम की विभिन्न सलाहकार समितियो में कार्य किया है बोर्ड उनकी अमूल्य सहायता और सलाह के लिये उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है जिन्होने विभिन्न ऋणी सस्थाओ के सचालक बोर्डों मे निगम के द्वारा नामित किए गए सचालको के रूप मे कार्य किया है । वर्ष के दौरान निगम के अधिकारियो और कर्मचारियो द्वारा वफादारी और निष्ठापूर्वक की गई सेवा के लिए बोर्ड उनकी सराहना करता है ।

सचालको की ओर से
चरन दास खन्ना
अध्यक्ष

भारतीय औद्योगिक

नई

30 जून 1973 को

पिछले वर्ष	देयताएं			इस वर्ष
रु०		रु०	रु०	रु०
	1. अधिकृत पूंजी			
10,00,00,000	पांच-पांच हजार रुपये के 40,000 शेयर			20,00,00,000
	जारी, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत मूलधन की वापसी, अदायगी और न्यूनतम वार्षिक अधिलाभांश की अदायगी के सम्बन्ध में भारत सरकार की गारंटी प्राप्त)			
5,00,00,000	पूरी तरह से प्रदत्त पांच-पांच हजार रुपये के 10,000 शेयर 2-1/4% के अभिलाभांश के लिए गारंटी प्राप्त		5,00,00,000	
2,00,00,000	पूरी तरह से प्रदत्त पांच-पांच हजार रुपये के 4,000 शेयर (द्वितीय श्रेणी) (4 प्रतिशत के हिसाब से, न्यूनतम वार्षिक अधिलाभांश की अदायगी के सम्बन्ध में गारंटी प्राप्त)		2,00,00,000	
1,34,60,000	पूरी तरह से प्रदत्त पांच-पांच हजार रुपये के 2,692 शेयर (तृतीय श्रेणी), (4 प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वार्षिक अधिलाभांश की अदायगी के सम्बन्ध में गारंटी प्राप्त)		1,34,60,000	
82,70,000	पांच-पांच हजार रुपये के 3,308 शेयर (चतुर्थ श्रेणी), (4-1/2% के हिसाब से न्यूनतम वार्षिक अधिलाभांश की अदायगी के सम्बन्ध में गारंटी प्राप्त)		1,65,40,000	10,00,00,000
9,17,30,000				
	2. रिजर्व और आरक्षित निधि			
	(i) सामान्य आरक्षित निधि (धारा 32 के अन्तर्गत)			
8,34,60,000	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	9,17,30,000		
82,70,000	लाभ हानि लेखे से अन्तरित	82,70,000		
9,17,30,000			10,00,00,000	
1,00,00,000	(ii) विशेष आरक्षित निधि (धारा 32 क के अन्तर्गत)		1,00,00,000	
	(iii) वातव्य आरक्षित निधि (धारा 32 ख के अन्तर्गत)			
	लाभ हानि लेखे से अन्तरित	40,00,000		
—	घटाइये : उपयोग की गई राशि	1,28,746		
			38,71,254	
	(iv) विशेष आरक्षित निधि (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अन्तर्गत)			
3,35,78,362	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	3,79,78,362		
44,00,000	लाभ-हानि लेखे से अन्तरित	40,00,000		
3,79,78,362			4,19,78,362	
13,97,08,362				
9,17,30,000	आगे ले जाया गया		15,58,49,616	10,00,00,000

वित्त निगम

दिल्ली

तुलन-पत्र

पिछले वर्ष	परिसम्पत्तियां				इस वर्ष
रु०			रु०	रु०	रु०
	1. नकद और बैंक शेष				
52,99,493	(i) हाथ में नकद तथा भारतीय रिजर्व बैंक के खातों में			1,22,89,204	
	(ii) अन्य बैंकों के साथ जमा				
	(क) चालू खातों में :				
3,85,363	भारत में		59,820		
14,444	विदेशी बैंकों में		8,748		
3,99,807			68,568		
1,89,00,000	(ख) जमा खातों में		10,52,50,000	10,53,18,568	
1,92,99,807					
	(iii) औद्योगिक वित्त निगम स्टाफ कल्याण निधि के नकद तथा शेष				
—	(क) हाथ में नकद		4		
	(ख) बैंक के शेष				
	(i) बचत खातों में	64,939			
—	(ii) जमा खातों में	1,25,000	1,89,939	1,89,943	11,77,97,715
2,45,99,300					
	2. निवेश मूल्य लागत				
	(i) धारा 20 के अंतर्गत				
21,00,000	भारतीय यूनिट ट्रस्ट की प्रारम्भिक पूंजी			21,00,000	
	(ii) धारा 23 (i) (घ) के अंतर्गत				
14,74,52,290	(क) औद्योगिक संस्थाओं के स्टाक, शेयर, बांड तथा डिबेंचर		14,83,00,350		
61,500	(ख) शेयरों, डिबेंचरों आदि पर आवेदन मुद्रा		1,15,250	14,84,15,600	
14,75,13,790					
	(iii) धारा 23 (i) (च) के अधीन				
2,09,37,935	(क) शेयर		2,25,88,070		
—	(ख) शेयरों के लिये अदा की गई आवेदन मुद्रा		5,88,750	2,31,76,820	
2,09,37,935					
17,05,51,725					
2,45,99,300	आगे ले जाया गया			17,36,92,420	11,77,97,715

तुलन

पिछले वर्ष	देयताएं			इस वर्ष
रु०		रु०	रु०	रु०
9,17,30,000	आगे लाया गया			10,00,00,000
13,97,08,362	**रिजर्व और आरक्षित निधि** (जारी)		15,58,49,616	
	(v) स्टाफ कल्याण निधि			
1,00,000	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	2,00,000		
—	घटाइये : उपयोग की गई राशि	6,768		
1,00,000		1,93,232		
1,00,000	लाभ-हानि लेखे से अन्तरित	1,00,000	2,93,232	15,61,42,848
2,00,000				
13,99,08,362				
	3. सरकार से विशेष अनुदान			
	ऋदितांस्तल के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार प्राप्त			
	अ		20,23,000	
—	घटाइये : उपयोग की गई राशि		20,00,000	23,000
	4. संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि			
1,53,81,634	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष		2,03,00,000	
49,18,366	लाभ हानि लेखे से अन्तरित		70,00,000	2,73,00,000
2,03,00,000				
	5. उपचंत डाली गई रकमें			
2,43,84,792	(i) उपचन्त ब्याज		4,06,01,435	
4,33,270	(ii) उपचन्त बचनबद्धता प्रभार		4,48,958	
57,516	(iii) उपचन्त प्रासगिक प्रभार		1,00,104	
—	(iv) उपचन्त गारटी कमीशन		3,051	4,11,53,548
2,48,75,578				
	6. निवेशों के मूल्य-ह्रास के लिये व्यवस्था			
—	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष		48,00,000	
—	घटाइये : उपयोग की गई राशि		25,50,000	
—			22,50,000	
48,00,000	लाभ-हानि लेखे से अन्तरित		22,50,000	—
48,00,000				
28,16,13,940	आगे ले जाया गया			32,46,19,396

पत्र (जारी)

पिछले वर्ष	परिसम्पत्तियां			इस वर्ष
रु०		रु०	रु०	रु०
2,45,99,300	आगे लाया गया			11,77,97,715
17,05,51,725	**निवेश मूल्य लागत** (जारी)		17,36,92,420	
	(iv) धारा 23 (i) (झ) के अन्तर्गत			
1,37,35,000	डिबेंचर		1,27,35,000	18,64,27,420
18,42,86,725				
	रु० 13,27,53,935 कथित			
	रु० 13,69,10,255 बाजार मूल्य			
	रु० 5,36, 73,475 (सम-मूल्य पर)			
	3. ऋण और पेशगियां			
1,41,06,97,771	भारतीय मुद्रा में		1,56,32,38,687	
27,42,28,521	विदेशी मुद्रा में		28,82,20,777	1,85,14,59,464
1,68,49,26,292	(संस्थाओं को दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का ब्यौरा अनुसूची में दिया गया है, जिनसे निगम के संचालक हितबद्ध हैं)			
	4. (भूमि पट्टे पर)			
—	वर्ष के दौरान अधा की राशि			12,16,050
	5. मोटर कारें, साइकिलें, फर्नीचर, जुड़नार, फिटिंग इत्यादि			
13,53,720	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष		18,98,056	
6,04,219	वर्ष के दौरान वृद्धियां		2,86,080	
19,57,939			21,84,136	
59,883	घटाइये : बेची गई/फेंकी गई परिसम्पत्तियों की लागत		49,904	
18,98,056			21,34,232	
4,64,998	घटाइये : पिछले वर्ष तक का ह्रास मूल्य	6,11,095		
1,83,024	इस वर्ष का ह्रास मूल्य	1,90,422		
6,48,022		8,01,517		
36,927	बेची गई/फेंकी गई परिसंपत्तियों का ह्रास मूल्य	26,134	7,75,383	13,58,849
6,11,095				
12,86,961				
	6. अन्य परिसम्पत्तियां			
	प्रोद्भूत ब्याज			
4,75,802	(i) बैंकों में जमा रकमों पर	8,27,973		
19,25,284	(ii) डिबेंचरों में	16,58,846		
24,01,086		24,86,819		
1,89,50,99,278	आगे ले जाया गया			2,15,82,59,498

तुलन

पिछले वर्ष	देयतायें			इस वर्ष
रु०		रु०	रु०	रु०
28,16,13,940	आगे लाया गया			32,46,19,396
	7. बांड (आरक्षित) धारा 21 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा रक्षित			
6,00,33,100	(i) 4-1/2 प्रतिशत बांड, 1974		6,00,33,100	
4,45,50,000	(ii) 4-3/4 प्रतिशत संपरिवर्तित बांड, 1976		4,45,50,000	
6,58,48,100	(iii) 4-/3/4 प्रतिशत बांड, 1976		6,58,48,100	
2,00,00,000	(iv) 5-1/2 प्रतिशत बांड, 1977		2,00,00,000	
6,12,90,000	(v) 5-/1/2 प्रतिशत बांड, 1978		6,12,90,000	
8,24,86,700	(vi) 5-3/4 प्रतिशत बांड, 1979		8,24,86,700	
8,33,30,800	(vii) 5-3/4 प्रतिशत बांड, 1980		8,33,30,800	
5,50,00,000	(viii) 5-3/4 प्रतिशत बांड, 1981		5,50,00,000	
4,95,00,000	(ix) 5-3/4 प्रतिशत बांड, 1982		4,95,00,000	
8,80,08,800	(x) 5-3/4 प्रतिशत बांड, 1983		8,80,08,800	
—	(xi) 5-3/4 प्रतिशत बांड, 1984		11,00,67,300	
—	(xii) 5-3/4 प्रतिशत बांड, 1985		13,16,67,800	85,17,82,600
	8. उधार लिए गए ऋण			
61,00,47,500	(i) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से 3.25 करोड़ रुपये के अंकित मूल्य के निगम द्वारा जारी किये गये बांडों द्वारा प्राप्त ऋण [धारा 21 (3) (ब) के अन्तर्गत]		2,68,00,000	
1,68,00,000				
73,98,12,817	(ii) भारत सरकार से ऋण [धारा 21 (4) के अन्तर्गत]		69,26,83,632	
8,52,000	(iii) कदितांस्तल के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार भारत सरकार से ऋण		20,23,000	
22,16,30,935	(iv) विदेशी वित्तीय संस्थाओं से ऋण		23,40,39,696	95,55,46,328
97,90,95,752				
	9. वर्तमान देयतायें और व्यवस्थायें			
	क. वर्तमान देयतायें			
98,41,187	फुटकर लेनदार		1,16,99,927	
	प्रोद्भूत होने वाला ब्याज			
8,285	(क) रिजर्व बैंक के ऋणों पर			
1,43,35,356	(ख) भारत सरकार के ऋणों पर	1,34,02,490		
2,41,84,828				
1,87,07,57,192	आगे ले जाया गया	1,34,02,490	1,16,99,927	2,13,19,48,324

पत्र (जारी)

पिछले वर्ष	परिसम्पत्तियां			इस वर्ष
रु०		रु०	रु०	रु०
1,89,50,99,278	आगे लाया गया			2,15,82,59,498
	अन्य परिसम्पत्तियां (जारी)			
24,01,086		24,86,819		
1,68,77,068	(iii) ऋणों तथा अग्रिमों पर	2,09,53,053		
1,20,240	(i) अन्य	1,95,291	2,36,35,163	
1,93,98,394				
	वचनबद्धता और अन्य प्रोद्भूत			
8,94,748	ब्याज		12,94,607	
91,61,416	फुटकर ऋण		52,67,123	
13,48,315	कर्मचारियों को अग्रिम		18,99,771	
94,981	लेखन-सामग्री के स्टाक		97,739	
65,469	टेलीफोन जमा		60,459	
83,360	पूर्ववत्त खर्चे		93,719	
1,91,440	विनिमय अन्य अन्तर		3,06,294	
18	पास में मौजूदा टिकटें		18	3,26,54,893
3,12,38,141				
	7. देयतायें			
	दुतरफा मदें			
5,87,97,407	(क) धारा 23 (i) ख के अन्तर्गत गारन्टियां		5,18,76,356	
11,19,91,022	(ख) धारा 23(1) (ग) के अन्तर्गत विदेशी ऋण गारन्टियां		6,31,74,968	
1,05,16,015	(ग) आस्थगित फ्रांसिसी ऋण मूलधन के लिए		94,91,242	
2,69,95,774	(घ) भुनाने के लिए पेश किए गए तथा पास में मौजूदा चैक	1,15,50,352	1,15,50,352	14,60,92,918
20,83,00,218				
2,13,46,37,637	आगे ले जाया गया			2,33,70,07,309

तुलन

पिछले वर्ष	देयताए			इस वर्ष
रु०		रु०	रु०	रु०
1,87,07,57,192	आगे लाया गया			2,13,19,48,324
2,41,84,828	**(क) वर्तमान देयताये** (जारी)	1,34,02,490	1,16,99,927	
10,05,476	(ग) (i) विदेशी मुद्राओं के ऋणो पर	8,31,900		
		1,42,34,390		
80,10,379	(ii) बाडो पर	1,04,88,679		
3,054	(iii) अन्य	—	2,47,23,069	
3,32,03,737				
7,30,949	अग्रिम गारटी कमीशन		6,00,859	
1,17,500	उचन्त विधिक प्रभार		72,700	
—	दावा न किया गया अधिलाभाश		193	
3,364	विदेशी मुद्रा ऋणो पर बचन-बद्धता प्रभार		22,814	3,71,19,562
3,40,55,550				
	(ख) व्यवस्थाये			
	(i) कराधान के लिये			
4,77,86,971	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	4,59,27,479		
2,16,83,364	समीक्षाधीन वर्ष के लिए व्यवस्था	2,11,99,071		
6,94,70,335		6,71,26,550		
2,35,42,857	घटाइये : वर्ष के दौरान समायोजन	—		
4,59,27,478		6,71,26,550		
55,03,279	घटाइये : स्त्रोत पर काटा गया कर	81,82,716		
2,72,39,262	अग्रिम अदा किया गया कर	4,77,24,392	5,59,07,108	1,12,19,442
3,27,42,541				
1,31,84,937				
41,86,596	(ii) प्रस्तावित अधिलाभांश		56,69,663	1,68,89,105
1,73,71,533				
41,53,144	**10. औद्योगिक वित्त निगम कर्मचारी भविष्य निधि**			49,57,400
	11. लाभ-हानि लेखा			
2,18,74,962	लाभ-हानि लेखे के अनुसार निवल लाभ		2,90,39,663	
	(क) (i) घटाइये सामान्य आरक्षित निधि को अन्तरित	82,70,000	82,70,000	
82,70,000				
1,36,04,962				
1,92,63,37,419	आगे ले जाया गया	82,70,000	2,90,39,663	2,19,09,14,391

पत्र (जारी)

पिछले वर्ष	परिसम्पत्तियाँ	इस वर्ष
रु०		रु०
2,13,46,37,637	आगे लाया गया	2,33,70,07,309
2,13,46,37,637	आगे ले जाया गया	2,33,70,07,309

कुलम

पिछले वर्ष	देयताएं				इस वर्ष
रु०			रु०	रु०	रु०
1,92,63,37,419		आगे लाया गया			2,19,09,14,391
1,36,04,962	लाभ-हानि लेखा (जारी)	82,70,000		2,90,39,663	
44,00,000	(क) (ii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अन्तर्गत) विशेष आरक्षित निधि को अन्तरित	40,00,000			
—	(iii) दातव्य आरक्षित निधि	40,00,000			
1,00,000	(iv) स्टाफ-कल्याण निधि	1,00,000			
49,18,366	(v) संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित	70,00,000	2,33,70,000		
41,86,596					
41,86,596	(ख) प्रस्तावित अधिलाभांश		56,69,663	2,90,39,663	—
2,18,74,962					
	12. आकस्मिक देयतायें				
	(i) बुतरफा मदें				
5,87,97,407	(क) धारा 23 (1) (ख) के अन्तर्गत दी गई गारंटियां			5,18,76,356	
11,19,91,022	(ख) धारा के 23 (1) (ग) के अधीन विदेशी ऋणों की गारंटियां			7,31,74,968	
1,05,16,015	(ग) आस्थगित फ्रांसिसी ऋण, मूलधन के लिए वसूली			94,91,242	
2,69,95,774	(घ) वसूली के लिए प्राप्त चैक			1,15,50,352	14,60,92,918
20,83,00,218					
	(ii) धारा 23 (1) (क) के अन्तर्गत हामीदारी संविदा (पिछले वर्ष—1,81,00,000 रु०)			27,00,000	
	(iii) धारा 23 (1) (घ) तथा धारा, 23 (1) (च) के अन्तर्गत निवेश के रूप में अंशतः प्रदत्त शेयरों के लिए दावा न की गई राशि (पिछले वर्ष—65,49,685 रु०)			68,74,500	
2,13,46,37,637					2,33,70,07,309

हरिभक्ति एण्ड कम्पनी
रे० एण्ड रे०
सनदी लेखापाल

बलदेव पसरीचा
महाप्रबन्धक

चरन दास खन्ना
अध्यक्ष

श्री एम० के० वेंकटाचलम्
सरदार सन्तोख सिंह
श्री एफ० के० एफ० नारीमन्
डा० सैम्युल पाल
} संचालक

श्री एस० जे० उत्तमसिंग
श्री सी० पी० शाह
श्री विष्णु बैनर्जी
} संचालक

पत्र (जारी)

पिछले वर्ष	परिसम्पत्तियां			इस वर्ष
रु०		रु०	रु०	रु०
2,13,46,37,637	आगे लाया गया			2,33,70,07,309
2,13,46,37,637				2,33,70,07,309

टिप्पणियां

1. निगम द्वारा ग्रहित निवेशों के मूल्य ह्रास के लिए उचित व्यवस्था नहीं की गई है क्योंकि निगम का विचार है कि विकास के कार्य में इस प्रकार का ह्रास सामान्य रहता है।

2. धारा 23 (1) (ध) के अन्तर्गत एक कम्पनी की साधारण शेयर पूंजी में नियोजित 1,97,900 रुपये शामिल हैं, कम्पनी ने ऐच्छिक परिसमापन कर दिया है। सम्भवतः निगम की नियोजित पूर्ण राशि वसूल न की जा सकेगी।

टिप्पणियां (जारी)

3. इस राशि के लिए विशेष व्यवस्था नही की गई, क्योकि 'उचंत में डाला गया ब्याज' और 'संदिग्ध ऋण के लिए आरक्षित निधि' खातों में उचित व्यवस्था है।

4. कुछ ऋण खातों पर पहली जनवरी, 1972 से 30 जून, 1972 तक ब्याज आधारित नही किया गया क्योकि अदायगी में बार-बार चूके की गई तथा अदायगी संदिग्ध है। इस वर्ष के दौरान उक्त अवधि के लिए (चालू वर्ष के लिये भी) ब्याज का गणन किया गया है और राशि ब्याज उचंत खाते मे डाली गई है।

5. वचनबद्धता और अन्य प्रभारों मे शामिल है —दो संस्थाओ से 4,48,958 रुपये बकाया है, जिनकी अदायगी संदिग्ध है और उचंत खाते मे डाले गये।

6. फुटकर ऋणों में निम्नलिखित शामिल है :—

(क) एक कम्पनी के शेयरों के आवेदन और आबंटन के लिए 50 प्रतिशत अंकित मूल्य की राशि के 1,97,525 रुपये, क्योकि निगम ने आबंटन से सम्बन्धित कम्पनी पर मुकदमा दायर किया है।

(ख) कुछ उप-देनदारों की अतिरिक्त देयता के 7,87,975 रुपये जो उन्होंने रुपये के जून, 1966 में अव-मूल्यन से पहले मूलधन की किस्तों के रूप मे जमा किए है और जो विवादग्रस्त है, तथा जिनकी वसूली संदिग्ध है और इसके लिए विशेष व्यवस्था नहीं की गई है।

7. कर्मचारियों को भविष्य मे अदा की जाने वाली निवृत्ति उपदान देयता (अनिश्चेय राशि) के लिए कोई व्यवस्था नही की गई है।

8. आवश्यकतानुसार पिछले वर्ष के आँकड़ों को पुन. एकत्रित किया गया है।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

नई दिल्ली

30 जून, 1973 को तुलन-पत्र में उल्लिखित ऋणों और पेशगियों के ब्यौरे को दर्शाने वाली अनुसूची

		रु०
(क)	उन संस्थाओं द्वारा देय ऋण जिनसे निगम के संचालक केवल संचालक के रूप में हितबद्ध हैं।	2,15,14,138
(ख)	उन संस्थाओं को संवितरित रकम जिनसे निगम के संचालक, संचालक के रूप में हितबद्ध है।	14,86,332
(ग)	(i) मूलधन या ब्याज की ऐसी किस्तों की रकम जिनको चुकाने में वर्ष के दौरान किसी समय चूक हुई हो।	8,54,44,755
	(ii) मूलधन या ब्याज की ऐसी किस्तों की कुल रकम जो वर्ष का अन्त होने के बाद भी देय हों।	16,97,50,135
	(iii) ऐसी संस्थाओं द्वारा देय मूलधन या ब्याज की किस्तों की कुल रकम जिनसे निगम के संचालक केवल संचालक के नाते हितबद्ध हैं।	—

टिप्पणी : इस अनुसूची में 8 संस्थाओं द्वारा मशीनरी पूर्तिकारों को आस्थगित अदायगी की किस्तों में की जाने वाली चूकें शामिल हैं इन चूकों के लिए निगम ने आस्थगित अदायगी गारंटी के अधीन अदायगी की है और इन अदायगियों को ऋण माना गया है।

भारतीय औद्योगिक

मई

30 जून, 1973 को समाप्त हुए

पिछले वर्ष		व्यय		इस वर्ष
रु०				रु०
8,47,83,686	बाबत	बॉंडों, डिबेंचरों आदि पर ब्याज		9,17,12,854
60,71,869	,,	स्थापना व्यय		71,03,452
2,46,483	,,	संचालकों तथा समिति सदस्यों की फीस तथा खर्चे		2,53,532
18,59,505	,,	किराया, कर बीमा, रोशनी		19,67,655
2,90,514	,,	डाक, तार, टिकटें तथा टेलीफोन		3,17,482
3,81,854	,,	छपाई, लेखन सामग्री और विज्ञापन		6,05,433
13,997	,,	विधि प्रभार		30,290
25,000	,,	लेखा-परीक्षा फीस		5,000
1,83,024	,,	ह्रास मूल्य		0,422
3,14,637	,,	यात्रा तथा विराम व्यय		3,51,814
4,71,669	,,	अन्य व्यय		10,07,597
2,18,242	,,	विदेशी मुद्रा ऋणों पर हामीदारी		1,68,630
1,07,397	,,	बट्टे खाते डाले गये पिछले वर्ष के वचनबद्धता प्रभार		—
3,25,514	,,	बॉंडों पर दलाली		7,60,703
56,10,000	,,	निवेशों की बिक्री से हानि		1,29,490
5,00,000	,,	राष्ट्रीय रक्षा कोष में दान		—
50,000	,,	वित्तीय प्रबन्ध तथा शोध संस्थान को अनुदान		—
48,00,000	,,	निवेशों की बिक्री से मूल्य ह्रास के लिए व्यवस्था		—
	,,	कराधान के लिए व्यवस्था	2,11,99,071	
2,16,83,364	,,	घटाइये : पिछले वर्षों के लिए आयकर की वापसी प्राप्त	50,45,741	1,61,53,330
2,18,74,962	,,	तुलन-पत्र को ले जाया गया निवल लाभ		2,90,39,663
14,98,11,717				14,98,17,347

हरिभक्ति एण्ड कम्पनी
रे० एण्ड रे०
सनदी लेखापाल

बलदेव पसरीचा
महाप्रबन्धक

चरन दास खन्ना
अध्यक्ष

श्री एम० के० वेंकटाचलम्
सरदार संतोखसिंह
श्री एफ० के० एफ० नारीमान्
डा० सैम्युल पाल
संचालक

श्री एस० जे० उत्तमसिंग
श्री सी० पी० शाह
श्री विष्णु बैनर्जी
संचालक

वित्त निगम

दिल्ली

वर्ष का लाभ-हानि लेखा

पिछले वर्ष		आय	इस वर्ष
रु०			रु०
13,83,31,236	द्वारा	ब्याज	13,56,97,130
33,07,646	,,	कमीशन	26,72,579
26,96,229	,,	निवेशों की बिक्री से लाभ	30,16,473
18,032	,,	परिसम्पत्तियों की बिक्री से लाभ	9,886
34,09,180	,,	शेयरों पर अधिलाभांश	38,05,980
15,89,104	,,	बचनबद्धता प्रभार	21,38,941
2,60,290	,,	विविध आय	2,26,358
—	,,	वापस प्राप्त निवेश मूल्य ह्रास के लिये व्यवस्था	22,50,000
14,98,11,717			14,98,17,347

टिप्पणियां : (क) 'ब्याज' में बकाया प्राप्त हुए 3,24,119 रुपये शामिल हैं जो पहले उचंत लेखे में डाले गये थे ।

(ख) 'ब्याज' में 1,65,40,762 रुपये नहीं दिखाये गये हैं जिनकी वसूली संदिग्ध समझी गई है, यह उचंत लेखे में डाले गये हैं ।

(ग) कुछ लेखों पर ब्याज आभारित नही किया गया है जहां ब्याज की अदायगी में बार-बार चूकें की गई क्योंकि इनकी वसूली संदिग्ध समझी गई है ।

(घ) 'कमीशन' में बकाया रकमो की वसूली के 3,050 रुपये शामिल नहीं है, जो गारंटी कमीशन के उचंत लेखे में अंतरित किये गये ।

(ङ) 'हामीदारी प्रभार' में 15,688 रुपये शामिल नहीं हैं । जिनकी वसूली संदिग्ध समझी गई तथा उचंत लेखे में डाले गये ।

(च) 'विविध आय' में 42,588 रुपये शामिल नहीं हैं जो प्रासंगिक प्रभार होने से वसूली में संदिग्ध समझे गये तथा उचंत लेखे में डाले गये ।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अंशधारी,

हम भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के, नीचे हस्ताक्षर करने वाले लेखा-परीक्षक निगम के 30 जून, 1973 के तुलन-पत्र और लेखों के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

हमने सम्बन्धित वाउचरों और लेखो तथा शाखा-कार्यालयों से प्राप्त परीक्षित विवरणियो के साथ संलग्न तुलन-पत्र की जांच कर ली है। ये विवरणियां संलग्न तुलन-पत्र में शामिल कर ली गई है। हम इस बात की रिपोर्ट देते हैं कि हमने जहां कही भी कोई स्पष्टीकरण या जानकारी मांगी है, वह हमें सम्बन्धित स्पष्टीकरण या जानकारी दी गई है और वह संतोषप्रद रही है। हमारी राय में प्रस्तुत तुलन-पत्र पूर्ण और निष्कपट है और जहां तक हमें जानकारी और स्पष्टीकरण दिये गये है और जैसा कि निगम के बही-खातों से पता चलता है, यह तुलन-पत्र निगम के अधिनियम और नियमावली के अनुसार इस प्रकार उचित रीति से बनाया गया है कि इससे निगम के कार्यों का सच्चा और सही चित्र सामने आ जाता है।

हरिभक्ति एण्ड कम्पनी
रे० एण्ड रे०
सनदी लेखापाल

मद्रास
तारीख : 30 अगस्त, 1973

परिशिष्ट 'क'

1 जुलाई, 1972 से 30 जून, 1973 तक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा मंजूर की गई वित्तीय सहायता का विवरण

(रुपये लाखों में)

क्रम सं०	संस्था का नाम तथा परियोजना का स्थान	मंजूर की गई वित्तीय सहायता (सकल)					परियोजना विवरण अथवा सहायता का प्रयोजन
		ऋण	हामीदारियां	गारंटियां	जोड़	परियोजना लागत	
1	2	3	4	5	6	7	8
	आन्ध्र प्रदेश						
1.	मै० आन्ध्र प्रदेश पेपर मिल्स लि०, राजा मुन्दरी, जिला : पूर्वी गोदावरी। अध्यक्ष : श्री जी० सी० बगुर (बंगुर ग्रुप)	25.00 (अति०)	0.28*	—	25.28	620.00	कागज तथा गत्ते दोनों की प्रति वर्ष 45,000 टन से 70,000 टन विस्थापित उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये विस्तार योजना।
2.	आन्ध्रा सुगर्स लि०, कोव्वूर, जिला : पश्चिमी गोदावरी। अध्यक्ष : एम० टिम्मराजू। प्रबन्ध सचालक : एम० हरिशचन्द्र प्रसाद	4.76 (पो०स्ट्र०) (अति०)	—	—	4.76	6.80	विस्तार योजना के रूप में सिलोकोन रेकटि फायर संयंत्र के लिये प्रारम्भिक पुर्जों का आयात।
3.	मै० डोल्फिन होटल्स लि०, विशाखापटनम, प्रबंध संचालक : रामोजी राव चौ०	—	3.00	—	3.00	100.00	100 दोहरे कमरों वाला एक नया चार स्टार होटल बनाना।

*साधारण शेयरो में अभिदान।

1	2	3	4	5	6	7	8
4	मै० नेलिमरला जूट मिल्स क० लि०, नेलिमरला जिला विशाखापत्तनम् अध्यक्ष जे० पी० मनोरिया प्रस्तावित प्रबन्ध सचालक एम० एस० झुनझुनवाला	98 00 2 00 (पौ० स्टर्लिंग)	—	—	100 00	228 00	बोरो की प्रतिवर्ष 16,000 टन से 27,600 टन वार्षिक उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रक्रिया मशीनरी का आधुनिकीकरण तथा सन्तुलन ।
5	मै० पन्यम सीमेन्ट्स एण्ड मिनरल इन्डस्ट्रीज लि०, (i) सीमेट नगर, जिला करनूल (अधिसूचित कम विकसित जिला) (ii) हगारी, जिला बैलारी प्रबन्ध सचालक एम० सोमापा	75 00	—	—	75 00	540 00	(i) करनूल जिले की फैक्टरी का प्रतिवर्ष 3 88 लाख टन से 4 74 लाख टन उत्पादन बढ़ाने के लिये विस्थापित क्षमता मे विस्तार । (ii) हगारी मे प्रतिवर्ष 14,850 टन कैल्शियम कार्बाइड की नई परियोजना लगाना ।
6	मै० सिरपुर पेपर मिल्स लि०, सिरपुर-कागजनगर जिला अदिलाबाद अध्यक्ष के० पी० सिधी उपाध्यक्ष आई० एम० भण्डारी (बिरला ग्रुप)	12.60 (पौ० स्टर्लिंग)	—	—	12 60	23 90	प्रतिवर्ष कागज तथा गत्ते की उत्पादन क्षमता 40,000 टन से 44,500 टन बढ़ाने के लिये विस्तार योजना के लिये सतुलन उपस्कर का आयात ।
7	मै० सूर्यलक्ष्मी काटन मिल्स लि०, महबूब नगर (अधिसूचित कम विकसित जिला) प्रबध सचालक लक्ष्मीनारायण अग्रवाल	30.00	—	—	30 00	45.22	18,448 से 25,000 तकुओ की सख्या बढाने के लिए विस्तार ।
			बिहार				
8	मै० भारत रबर रिजेनेरेटिंग क० लि०, आदित्यनगर, जमशेदपुर के समीप, सिंहभम सचालक किशोरी लाल धनधानिया	8 50 12 28 (ज० मा०)	2.00	—	22 78	61 28	प्रतिवर्ष 2,400 टन क्षमता से रबर के पुनार्वेतन के लिये नई परियोजना ।
9	मै० उषा अलायज एण्ड स्टील्स लि०, आदित्यनगर, जमशेदपुर के समीप जिला सिंहभम अध्यक्ष बसन्त कुमार झावर, प्रस्तावित प्रबन्ध सचालक बज कुमार झावर	50 00	10 00*	—	60 00	283 00	प्रतिवर्ष 28,5000 टन की विस्थापित क्षमता से उच्च कार्बन इस्पात बिल्टो का निर्माण करने के लिये नई परियोजना लगाना ।

*इसमे 2 45 लाख रुपये का प्रत्यक्ष अभिदान शामिल है ।

1	2	3	4	5	6	7	8
			गुजरात				
10.	मै० सेन्ट्रल पल्प मिल्स लि०, फोर्ट सौन्द, जिला : सूरत अध्यक्ष : एस० एल० किरलोस्कर प्रबन्ध संचालक : एम० एस० पारेखे	25.00 24.78 (पौंड स्टर्लिंग)	10.00 (अति०)	—	59.78	410.00	(i) प्रतिवर्ष 33,000 टन से 40,000 टन गत्ते का उत्पादन बढ़ाने के लिये। (ii) प्रतिवर्ष 16,500 टन कागज का उत्पादन करने के लिये विस्तार योजना।
11.	मै० श्री चालथन विभाग खांड उद्योग सहकारी मण्डली लि०, चालथन, जिला : सूरत अध्यक्ष : के० वी० मेहता	130.00*	—	—	130.00	228.00	प्रतिवर्ष 1,250 टन गन्ना पेरने की क्षमता वाली नई फैक्टरी लगाना।
12.	मै० ओरियन्ट ओबरेसिव्ज लि०, पोरबन्दर, जिला : जूनागढ़, (अधिसूचित कम विकसित जिला) अध्यक्ष : आर० एल० राजगढ़ियां, प्रस्तावित प्रबन्ध संचालक : एस० जी० राजगढ़ियां।	55.00	15.00	—	70.00	229.92	प्रतिवर्ष 4,500 टन अलमोनियम आक्साइड अबरेसिव्ज दाने बनाने के लिये नई परियोजना लगाना।
			हरियाणा				
13.	मै० एसकोर्टस लि०, फरीदाबाद जिला : गुड़गांव प्रबन्धसंचालक : एच० पी० नन्दा	1.84 (ज०मा०) (अति०)	—	—	1.84	1.84	कुछ सूक्ष्मीकरण यंत्रों का आयात।
14.	मै० एक्सलसियर प्लांट्स कारपोरेशन लि०, फरीदाबाद, जिला : गुड़गांव अध्यक्ष : वी० नन्जापा प्रबन्ध संचालक : जे० एन० रैना	3.50 (अति०)	—	—	3.50	11.18 (अतिव्यय)	प्रतिवर्ष 12 संयंत्रों की क्षमता से मशीनीकृत ईंटें बनाने के लिये परियोजना लागत में अतिव्यय।
15.	मै० ज्ञान ग्रो इन्डस्ट्रीज लि०, गन्नौर के पास जिला : सोनीपत अध्यक्ष : ज्ञान सिंह प्रस्तावित पूर्णकालिक संचालक : एच० एस० वहाली	—	2.00	—	2.00	34.00	प्रतिदिन 25 टन ग्वार गोंद तथा दाना बनाने के लिए नई परियोजना।
16.	मै० इंडस्ट्रीयल केबल्स (इण्डिया) लि०, किला जफरगढ़, जिला : जींद, (अधिसूचित कम विकसित जिला) अध्यक्ष : चौ० राघवेन्द्र सिंह, प्रबन्ध संचालक : चौ० देवेन्द्र सिंह	85.00	—	—	85.00	115.00	प्रतिवर्ष 12,000 टन इस्पात तारे बनाने के लिये नई इकाई लगा कर विशाखन।

*परियोजना को जीवन बीमा निगम द्वारा सहायता दिये जाने के परिणामस्वरूप 90.00 लाख रुपये कम कर दिये गये।

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	मै० रेक्सर इण्डिया लि०, (i) फरीदाबाद, जिला · गुडगांव (ii) कलकत्ता मुख्य कार्यकारी अशोक प्रताप सिंह	23.00	—	—	23.00	49.35	(i) फरीदाबाद की इकाई प्रतिवर्ष 300 टन पोलेस्टरफिलम का धातुकरण तथा 100 टन स्टैम्पिग तथा कोयला, इसुलेशन पैकिग सामान का उत्पादन । (ii) कलकत्ता की इकाई में प्रतिवर्ष 100 टन धातु धागे का उत्पादन बढ़ाने के लिये विस्तार योजना ।
	केरल						
18.	मै० पुनालूर पेपर मिल्स लि०, पुनालूर, जिला : किलोन अध्यक्ष तथा प्रबन्ध संचालक : एल० एन० डालमिया	65.16 43.22 (ज०मा०)	—	—	108.38	605.00	प्रतिवर्ष 12,500 टन से 33,000 टन प्रत्येक कागज तथा गत्ते का उत्पादन बढ़ाने के लिये योजना का आधुनिकीकरण तथा विस्तार ।
	मध्य प्रदेश						
19.	मै० बिलासपुर स्पिनिग मिल्स एण्ड इन्डस्ट्रीज लि०, बिलासपुर (अधिसूचित कम विकसित जिला) प्रबन्ध संचालक : बी० के० नोपानी	45.00 (अति०)	—	—	45.00	125.00	12,064 तकुओं से 25,024 तकुये बढाने के लिए विस्तार ।
20.	मै० श्री सिन्थेटिक्स लि०, उज्जैन, अध्यक्ष : जी० एल० बन्गुर कार्यचालक संचालक · डी० पी० मालू, (बंगूर ग्रुप)	30.00 (अति०)	—	—	30.00	80.00 (अतिव्यय)	प्रतिवर्ष 2.25 टन नाइलोन-6, फिलामिट धागे तथा 0.75 टन पोलेस्टर फिलामिट धागे का उत्पादन करने के लिये परियोजना के अतिव्यय के कुछ भाग को पूरा करना ।
	महाराष्ट्र						
21.	मै० अकोला सहकारी सूत गिरनी लि०, मलकापुर, जिला : अकोला, प्रबन्ध संचालक : डी० के० दमानिया	100.00	—	—	100.00	200.00	20,240 तकुओं वाला नया सूत कताई मिल लगाना ।
22.	मै० बालासाहेब देसाई सहकारी शक्कर कारखाना लि०, मरली, जिला · सतारा प्रबन्ध संचालक : डी० आर० सल्वी	150.00*	—	—	150.00*	278.00	प्रतिदिन 1,250 टन गन्ना पेरने की क्षमता वाली चीनी फैक्टरी लगाना ।

*परियोजना लागत में जीवन बीमा निगम के योगदान को राशि कम कर दी जायेगी ।

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	मै० भारत गियर्स लि०, मुम्बरा जिला : थाना, प्रबन्ध संचालक : एन० जी० कामत	20.00 16.82 (ज०मा०) 38.12 (पौ०स्टर्लिंग)	18.00	—	92.94	460.00	प्रतिवर्ष 1,000 टन आटोमोबाइल गियर बनाने के लिये नई परियोजना लगाना ।
24.	बूको-वूल्फ न्यू इण्डिया इंजीनियरिंग वर्क्स लि०, पिम्परी, पूना प्रबन्ध संचालक : आर० एमूलर	23.52 (ज० मा०)	—	—	23.52	34.27	एक टेरेटलेथ का आयात ।
25.	मै० जी० एल० होटल्स लि०, औरंगाबाद (अधिसूचित कम विकसित जिला) अध्यक्ष : महारानी पृथ्वी बीर कौर	—	5.00**	—	5.00	77.09	75 दोहरे कमरों वाले अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के नये होटल का निर्माण ।
26.	मै० ग्राहम फर्थ स्टील प्राड्क्टस (इण्डिया) लि०, गौरगाँव, बम्बई अध्यक्ष : डा० प्राणलाल जे० पटेल	20.00 27.67 (पौ०स्टर्लिंग)	17.28@	—	64 95	83.47	प्रतिवर्ष शीतकृत इस्पात पत्तियों का 3,600 टन से 7,200 टन उत्पादन विस्थापित क्षमता में विस्तार ।
27.	मै० कन्नड़ सहकारी शक्कर कारखाना लि० कन्नड़ जिला : औरंगाबाद (अधिसूचित कम विकसित जिला) प्रबन्ध संचालक : एम० जी० सतपुटे	160.00	—	—	160.00	298.00	प्रतिदिन 1,250 टन गन्ना पेरने की क्षमता वाला नया चीनी कारखाना लगाना ।
28.	मै० कोपरगाँव सहकारी शक्कर कारखाना लि०, काल्पैवदी, जिला : अहमदनगर, प्रबंध संचालक : आर०डी० होलकर	60.00 (अति०)	—	—	60.00	98.00	प्रतिदिन 1,750 टन से 2,200 टन गन्ना पेरने की क्षमता बढ़ाने के लिये ।
29.	मै० कृष्णा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, रेवारे बूदरूक, जिला : सतारा प्रबन्ध संचालक : राम रगबोर	100.00 (अति०)	—	—	100.00	250.00	प्रतिदिन 2,600 टन से 5,000 टन गन्ना पेरने की क्षमता बढ़ाने के लिए ।
30.	मै० महिन्द्रा सिन्टर्ड प्राडक्ट्स लि०, पिम्परी, पूना संचालक : पी० एस० महिन्द्रा	2.97 (ज. मा.)	—	—	2.97	4.97	कार्बन ब्रुशों का निर्माण बढ़ाने के लिये उच्च क्षमता स्वचालित प्रेस तथा रेमिंग मशीन का आयात ।
31.	मै० सह्याद्री सहकारी शक्कर कारखाना लि०, यशवन्त नगर, जिला : सतारा प्रबन्ध संचालक : वी० जी० सल्वी	150.00*	—	—	150.00	279.93	1250 टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता वाली नई चीनी परियोजना लगाना ।

*परियोजना लागत में जीवन बीमा निगम के योगदान की राशि कम कर दी जायेगी ।

**बाद में 4.00 लाख रुपये कर दिये गये ।

@राशि 14.00 लाख रुपये कर दी गई, इसमें 3 0,0 लाख रुपये का प्रत्यक्ष अभिदान शामिल है ।

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	मै० सेतकारी सहकारी शक्कर कराखान, लि०, सांगली, जिला : उत्तरी सतारा प्रबन्धक संचालक : वी० डी० दिवान	177.00 (अति०)	—	—	177.00	527.00	2,600 टन से 5,000 टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता में विस्तार।
33.	मै० सिद्देश्वर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, सिलौद जिला : औरंगाबाद (अधिसूचित कम विकसित जिला) प्रबन्ध संचालक : ए० एम० पाटिल	150.00	—	—	150.00	294.00	1,250 टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता वाली नई चीनी फैक्टरी लगाना।
34.	मै० रिपोरेक्स इण्डिया लि०, मुंधवा इन्डस्ट्रियल इस्टेट, पूना। अध्यक्ष :एन० एम० डन्डेकर, प्रबन्ध संचालक : बी० के० सिरके	15.00 (अति०)	—	—	15.00	78.00 (अतिव्यय)	परि-संरचित 'सिपोरेक्स' हल्के कन्करीट स्लैब/ब्लाक बनाने के लिये नई परियोजना लागत के अतिव्यय को पूरा करना।
35.	मै० टाटा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कं० लि०., खपौली, बम्बई अध्यक्ष : नवल एच० टाटा	10.00	6.25 (डिबें)	—	16.25		बिजली के उत्पादन, सचरण तथा वितरण के लिये पुर्नस्थापना/आधुनिकीकरण योजना।
36.	मै० आन्ध्र,थैली पावर सप्लाई कं० लि०., भिवपुरी, बम्बई प्रबन्ध संचालक: पी० एम० अग्रवाल (टाटा ग्रुप)	20.00	6.25 (डिबें) (अति०)	—	26.25	1380.41	बिजली के उत्पादन, संचरण तथा वितरण के लिये पुनर्स्थापना/आधुनिकीकरण योजना।
37.	मै० टाटा पावर कम्पनी लि०, भीरा, बम्बई	20.00	12.50 (डिबें) (अति०)	—	32.50		
38.	मै० वसन्त सहकारी शक्कर कारखाना लि०., पीफाली, जिला : योतमल, (अधिसूचित कम विकसित जिला) प्रबंध संचालक : एस० बी० टक्कर	150.00	—	—	150.00	283.00	1,250 टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता वाली नई परियोजना लगाने के लिये।
39.	मै० विनायक सहकारी शक्कर, कारखाना लि०., दयोदंगरी, बोरसर गांव, जिला : औरंगाबाद (अधिसूचित कम विकसित जिला) अध्यक्ष : जी० डी० पाटिल	150.00	—	—	150.00	290.00	1,250 टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता वाली चीनी फैक्टरी लगाने के लिये।
			मैसूर				
40.	मै० श्री चमुन्देश्वरी सुगर्स लि०, गांव: के एम० दूदों, जिला : मंडया अध्यक्ष : एन० महालिंगम प्रबंध संचालक : एन० चन्दापा	60.00	5.00	—	65.00	350.00	1,250 टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता वाली चीनी फैक्टरी लगाना।

*परियोजना लागत में जीवन बीमा निगम के योगपान की राशि कम कर दी जायेगी।

1	2	3	4	5	6	7	8
41.	मै० चित्रदुर्गा कापर कं० लि०., इंगलदल, जिला : चित्रदुर्गा अध्यक्ष : एम० डी० शिवानन्जापा प्रबंध संचालक : डा० बी० पी० राधाकृष्ण (मैसूर राज्य सरकार की कम्पनी)	100.00*	—	—	100.00	213.72	प्रतिदिन 22-25 प्रतिशत तांबे के दाने बनाने के लिएं तांबा के विकास तथा अन्वेषण और एक प्रोसैसिंग इकाई की नई योजना ।
42.	मै० देवनगिरी काटन मिल्स लि०, देवनगिरी, जिला : चित्रदुर्गा प्रबन्ध संचालक : आर० एल० श्रीनिवास गुप्ता तथा आर० आर० श्रीनिवासामूर्ति	0.31 (ज०मा०) (अति०)	—	—	0.31	0.31	आधुनिकीकरण योजना के अधीन सलाइवर लैप मशीन का आयात ।
43.	मै० गंगावती सुगर्स लि०, मरली जिला : रायचुर, (अधिसूचित कम विकसित जिला) अध्यक्ष : टी० शमन्ना, प्रबन्ध संचालक : एन० चन्दापा तथा एच० आर० बासवराज	50.00	10.00**	—	60.00	525.00	2,500 टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता वाली चीनी फैक्टरी लगाना ।
44.	मै० हिरण्यकेशी सहकारी शक्कर कारखाना नियमित, शंकेश्वर जिला : बेलगांव (अधिसूचित कम विकसित जिला) प्रबन्ध संचालक : एस० वी० पाटिल	50.00	—	—	50.00	90.21	प्रतिदिन 1,750 टन से 2,600 टन गन्ना पैरने की क्षमता में विस्तार ।
45.	मै० मैसूर, पैट्रो-केमिकल्स लिमिटेड, देवोसुगर, जिला : रायचुर (अधिसूचित कम विकसित जिला) अध्यक्ष : टी० शमन्ना, आई० ए० एस० प्रस्तावित प्रबंध संचालक : एस० एस० धनूका	28.00 32.00 (ज० म०)	20.00	—	80.00	445.00	प्रतिवर्ष 6,000 टन पैथालिक अनहाइड्राइड बनाने के लिये नई परियोजना ।
46.	मै० साउदर्न एसबेस्टस लि०, करुर गांव, जिला : धारवाड़ (अधिसूचित कम विकसित जिला) संचालक : पी० आर० रामासुब्रह्मन्याराजा तथा एस० अर्जुन राजा	40.00	—	—	40.00	87.61	प्रति वर्ष तत्काल 36,000 टन एस्वेस्टस सीमेंट सीटें तथा छत की सहायक सामग्री बनाने तथा बाद में 3,600 टन पाईप और फिटिंग का सामान. बनाने के लिये नई इकाई लगाकर विस्तार योजना ।

*भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 50.00 लाख रुपये का योगदान देगा ।

**इसमें प्रत्यक्ष अभिदान शामिल है ।

1	2	3	4	5	6	7	8
47.	मै० वेल्कास्ट स्टील्स लि०, बैंगलौर, प्रस्तावित प्रबंध संचालक : विनोद नारायण	46.75	3.00	—	49.75	80.09	प्रति वर्ष 4,500 टन अलाय इस्पात की ग्राईंडिंग वाले बनाने के लिये परियोजना लगाना ।
48.	मै० वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लि० दन्देली, जिला : उत्तरी कनारा (अधिसूचित कम विकसित जिला) अध्यक्ष : गोविन्द लाल बंगूर, तकनीकी संचालक : ए० डी० चौधरी, (बंगूर ग्रुप)	50.00 (अति०)	—	—	50.00	585.00	प्रत्येक पल्प तथा कागज की 45,000 टन वार्षिक से 63,000 टन वार्षिक विस्थापित क्षमता बढ़ाने के लिये विस्तार योजना ।
			नागालैंड				
49.	मै० नागालैंड सुगर मिल्स कं० लि० दिमापुर, जिला : कोहिमा । (अधिसूचित कम विकसित जिला) अध्यक्ष : आई० लुंगालंग प्रस्तावित प्रबन्ध संचालक : डेनियल केन्ट, आई० ए० एस० (नागालैण्ड राज्य सरकार की कम्पनी)	50.00	—	—	50.00	370.00	1,000 टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता वाली नई फैक्टरी लगाना ।
			उड़ीसा				
50.	मै० बरगढ़ कोपरेटिव सुगर मिल्स लि०, तोरा, रूहानिया जिला : सम्बलपुर प्रबन्ध संचालक : सी० बी० सुब्बाराव	30.00 (अति०)	—	—	30.00	81.66 (अतिव्यय)	प्रतिदिन 1,250 टन गन्ना पेरने की क्षमता वाली नई परियोजना की लागत में अति व्यय को पूरा करना ।
51.	मै० उड़ीसा इन्डस्ट्रीज लि०, कलकत्ता, रुड़केला के समीप जिला : सुन्दरगढ़, अध्यक्ष : बी० एन० मोहन्ती प्रबन्ध संचालक : विसन दयाल झुनझुनवाला तथा ब्रह्मदत्त झुनझुनवाला ।	45.00 (अति०)	—	—	45.00	226.13	रिफैक्टरी यूनिट की प्रतिवर्ष 24,000 टन से 52,800 टन उत्पादन विस्थापित क्षमता विस्तार ।
52.	मै० स्ट्रा प्राडक्टस लि०, जेयकेपुर-रायगढ़, जिला : कीरापुट (अधिसूचित कम विकसित जिला) प्रबन्ध संचालक : हरिशंकर सिंघानिया (जे० के० सिंघानिया ग्रुप)	60.00 (अति०)	—	—	60.00	107.47	कागज मिल में प्रति वर्ष 3,000 टन क्षमता बढ़ाने के लिय विस्तार ।
		17.94 (ज० मा०) (अति०)	—	—	17.94	25.50	वर्तमान कागज मिल के फिटिंग सयंत्र में लगाने के लिये एक सुपर कलैंडर का आयात

1	2	3	4	5	6	7	8
			पंजाब				
53.	मै० मोहता अलायज एण्ड स्टील्स लि०, धन्वारी कलां, जिला : लुधियाना अध्यक्ष : एम० के० मोहता	—	5.00	—	5.00	116.00	प्रति वर्ष 23,000 टन इस्पात सिल्लियों/ बिलिटों के उत्पादन के लिये नई परियोजना ।
54.	मै० आदित्य मिल्स लि०, मदनगंज, किशन गढ़, जिला : अजमेर प्रबंध संचालक : अश्विनी कुमार कनोरिया (कनोरिया बी० ग्रुप)	—	—	28.72	28.72	37.25	कुछ स्वदेशी संतुलन तथा प्रति स्थापन यंत्रों का प्राप्त करना ।
55.	मै० केशोरायपटन सहकारी सुगर मिल्स लि०, केशोरायपटन, जिला : बुन्दी प्रबन्ध संचालक : बी० एस० सूद	15.00 (अति०)	—	—	15.00	15.00 (अतिव्यय)	1,250 टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता वाली नई चीनी फैक्टरी लगाने में अति व्यय को पूरा करना ।
56.	मै० राजस्थान स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स लि० गुलाबपुरा, जिला : झीलवाड़ा (अधिसूचित कम विकसित जिला) प्रबन्ध संचालक : एल० एन० झुनझुनवाला	55.00	—	—	55.00	150.00	8,640 तकुओं वाली कृत्रिम रेशा इकाई लगाकर विस्तार ।
			तमिलनाडु				
57.	मै० अमरावती श्री वेंकटेशा पेपर मिल्स लि०, जिला : मदुरई (अधिसूचित कम विकसित जिला) प्रबंध संचालक : बी० गंगुस्वामी-नायडू	10.53 (ज०मा०)	—	—	10.53	52.40	3,000 टन दैनिक से 6,000 टन दैनिक कागज की विस्थापित उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये संतुलन उपस्करों का आयात ।
58.	मै० अरुण सुगर्स लि०, पैनडम जिला: दक्षिणी अरकाट (अधिसूचित कम विकसित जिला) अध्यक्ष : के० पलानी प्रबंध संचालक : पी० मरुथई मिल्ले	40·00	—	—	40.00	98.56	2,000 टन दैनिक से 3000 टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता बढ़ाने के लिये विस्तार ।
59.	मै० कोयम्बतूर काटन मिल्स लि०, उपिलीपलयम, जिला: कोयम्बतूर प्रबंध संचालक : श्री के० सुन्दरम (नायडू जी० बी० ग्रुप)	60.00*	—	—	60.00	96.47	आधुनिकीकरण-नवीकरण की योजना ।
60.	मै० कोलम्बियन कार्बन (इंडिया) लि०, मनाली जिला: चिंगलेपुट, प्रस्तावित अध्यक्ष : आर० आर० कमानी (कमानी ग्रुप)	50.00	20.00	—	70.00	485.00	प्रति वर्ष 13,612 टन विस्थापित क्षमता से फर्नेस ग्रेड कार्बन बनाने के लिए नई परियोजना विस्तार ।

*बाद में रद्द कर दी गई ।

1	2	3	4	5	6	7	8
61.	मै० मद्रास सीमेंट्स लि०, तल्लुका पट्टी जिला : रामानाथा पुरम (अधिसूचित कम विकसित जिला) प्रबन्ध संचालक : रामासुब्रह्मन्या राजा	75.00 (अति०)	10.00	—	85.00	970.00	प्रति वर्ष 1.90 लाख टन से 4.00 लाख टन सीमेंट उत्पादन विस्थापित क्षमता बढ़ाने के लिये परियोजना का विस्तार।
62.	मै० माइक्रो टूल्ज लि०, पट्टाभिराम, जिला · चिंगलेपुट संचालक : एस० पी० राव	7.50 (अति०)	—	4.50	12.00	40.00	प्रतिवर्ष 400 टन हाथ के औजार बनाने के लिये परियोजना का पुहैर्स्थापन ।
63.	मै० ओरियन्टल होटल्स लि०, मद्रास प्रबन्ध संचालक : डी० सुब्बारामा रेड्डी	30.00	7.50	—	37.50	400.00	
64.	मै० शक्ति सुगर्स लि०, अप्पाकुडल, जिला : कोयम्बतूर प्रबन्धक संचालक : एन० महालिंगम	50.00	—	—	50.00	254.95	2,500 टन से 4,000 टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता में विस्तार ।
	उत्तर प्रदेश						
65.	मै० अलायज इन्टर्नेशनल प्राडक्ट्स लि०, अनुग्रह नगर, जिला: मुरादाबाद (अधिसूचित कम विकसित जिला) प्रबन्ध संचालक : डी० एन० सिन्हा	75.00*	1.98@	62.56**	139.54	200.00	प्रतिवर्ष 2,400 टन विस्थापित क्षमता से सुक्ष्म, औद्योगिक फास्टनर्स बनाने के लिये नई परियोजना ।
66.	मै० कोआपरेटिव टैक्सटाइल मिल्स लि०, सहकारी नगर, जिला : बुलन्दशहर, (अधिसूचित कम विकसित जिला), सचिव : आर० पी० श्रीवास्तव	115.00	—	—	115.00	143.39	9,840 से 25,040 तकुओं को वृद्धि का विस्तार ।
67.	मै० काशी सहकारी चीनी मिल्स लि०, उरई, जिला : वाराणासी महाप्रबन्धक : पी० के० मिश्र	10.00 (अति०)	—	—	10.00	29.69 (अति० व्यय)	1,250 टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता वाली इकाई की लागत के अतिव्यय को पूरा करने के लिये ।

*भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा योगदान दिये जाने से राशि 37.50 लाख रुपये कर दी गई ।

@साधारण शेयरों में अभिदान ।

**भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा योजना दिये जाने से राशि 31.28 लाख रुपये कर दी गई।

1	2	3	4	5	6	7	8
68.	मै० किच्छा सुगर कं० लि०, किच्छा, जिला : नैनीताल अध्यक्ष : एस० एस० एल० कक्कड़ आई० ए० एस० प्रबन्ध संचालक : आर० पी० खोमला (उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की कम्पनी)	135.00	—	—	135.00	429.13	2,000 टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता वाली नई चीनी फैक्टरी लगाना ।
69.	मै० महाराष्ट्र स्टील्स लि०, बुलन्दशहर, (अधिसूचित कम विकसित जिला) संचालक : मुकुल जैन	52.00	5.00	—	57.00	120.00	15,000 टन वार्षिक की दर से नरम इस्पात सिल्लियाँ बनाने के लिये नई परियोजना ।
70.	मै० मीना स्टील्स लि०, जिला : उन्नाव (अधिसूचित कम विकसित जिला) प्रस्तावित प्रबन्ध संचालक : जी० के० सोमानो	—	3.00	—	3.00	114.00	15, 000 टन वार्षिक की दर से नरम इस्पात सिल्लियां बनाने के लिये नई परियोजना ।
71.	मै० मोहन स्टील्स लि०, (अधिसूचित कम विकसित जिला) प्रबन्ध संचालक : राम शंकर गुप्त	—	3.00	—	3.00	113.58	15,000 टन वर्षिक सिल्लियां बनाने के लिये नई परियोजना ।
72.	मै० नार्दर्न इण्डिया होटल लि०, आगरा अध्यक्ष : आर० के० खन्ना प्रबन्ध संचालक (नामित) : एच० एल० खन्ना	—	5.00	—	5.00	91.50	84 दोहरे कमरों वाले चार स्टार विलास होटल का निर्माण ।
73.	मै० स्वदेशी पोलेटैक्स लि०, गाजियाबाद, जिला : मेरठ अध्यक्ष तथा प्रबन्धक संचालक : सीताराम जैपुरिया (जैपुरिया ग्रुप)	20.00 (अति०)	—	—	20.00	276.96 (अति-व्यय)	प्रतिवर्ष 6,100 टन की विस्थापित क्षमता से पोलेस्टर स्टेपल रेशे के निर्माण के लिए नई परियोजना पर अति-व्यय ।
74.	मै० त्रिवेणी सीट ग्लास वर्क्स लि., इरादत्तगंज, जिला : इलाहाबाद, प्रस्तावित प्रबन्ध संचालक : डी० एन० अग्रवाल ।	40.00	5.00	—	45.00	247.00	प्रतिवर्ष 50 लाख मीटर सीट ग्लास का उपादन करने के लिये नई परियोजना ।
75.	मै० युनिवर्सल ग्लास लि०, साहिबाबाद, जिला : मेरठ संचालक : एल० पी० जायसवाल	30.00	5.00	—	35.00	210.00	प्रतिवर्ष 18,000 टन की विस्थापित क्षमता से कांच की बोतले ,पात्र तथा अन्य खोखलें बर्तन बनाने के लिये नई परियोजना ।

1	2	3	4	5	6	7	8
			पश्चिमी बंगाल				
76.	मै० अलाइड रेसिन्ज एण्ड केमिकल्स लि०, रामपुर, जिला : 24 परगना। संचालक : कल्याण सेन तथा मिलन सेन	1.17 (ज० मा०)	—	—	1.17	5.95	पारा थर्मलहाइड्राइड उत्पादन के लिये एक पतली फिल्म शोषक का आयात।
77.	मै० आकलैंड जूट कम्पनी लि०, जगत दल, जिला : 24 परगना अध्यक्ष : एस० के० घोष निदेशक, एस० सी० ककड़ियां	45.00 (अति०)	—	—	45.00	68.82	मिल की कताई क्षमता बढ़ाने के लिये खड्डियों का विस्तार।
78.	मै० बंगाल ट्रूल्ज लि०, डम-डम, कलकत्ता प्रबन्धक संचालक :श्रवण कुमार टोडो	9.18 (ज० मा०) 0.71 (पौ०स्ट्र)	—	—	9.89	40.54	प्रतिवर्ष 138 टन की क्षमता से आरा ब्लेड तथा चाकू बनाने के लिये नई इकाई लगाने की विस्तार योजना।
79.	मै० भारत इलैक्ट्रीकल इंडस्ट्रीज (i) कलकत्ता (ii) अक्तूबर, मद्रास के समीप प्रबन्ध संचालक : एस० बी० दत्त प्रबन्ध,संचालक व तकनीकी सलाहकार : एस० सेन	33.00 23.33 (पौ० स्ट्र) 26.66 (ज० मा०)	12.00	—	94.99	114.52	(i) कलकत्ता की इकाई में प्रतिवर्ष 286 लाख कांच सैल बनाने तथा (ii) कोयम्बत्तूर में जी-एल० एस० लैपों के लिये 54 लाख खोल बनाने के लिये नई इकाई लगाकर परियोजना विस्तार।
80.	मै० ब्राइट वायर्स लि०, मध्यग्राम जिला :24 परगना। प्रस्तावित प्रबंध संचालक : एस० एन० अग्रवाल	30.00	5.00	—	35.00	156.00	प्रतिवर्ष 23,100 टन जस्ती कृत इस्पात तारों के लिये नई परियोजना लगाकर विस्तार।
81.	मै० इस्टइंड पेपर इंडस्ट्रीज लि० बंसबेरिया जिला : हुगली, (अधिसूचित कम विकसित जिला) संचालक : जे० एम० जातिया (जातिया जी० डी० ग्रुप)	11.25 (ज० मा०)	—	—	11.25	15.28	कुछ संतुलन/प्रतिस्थापन उपस्करों का आयात।
82.	मै० इम्पायर जूट कंपनी लि०. टिटागढ़, जिला : 24 परगना। अध्यक्ष स० पी कनोरिया संचालक : एस० एस० मुनमुनवाला मुख्य कार्यकारी : बी० एस० गुप्त (सूरज मल नागरमल ग्रुप)	80.00	—	—	80.00	105.69	मिल के कताई तथा प्रारंभिक अनुभागों का आधुनिकीकरण।
83.	मै० जार्ज साल्टर (इंडिया) लि०, टिटागढ़, जिला : 24 परगना मुख्य कार्यकारी : ए० एन० राय, (बर्ड हैल्जर्ज ग्रुप)	5.41 (ज०मा०)	—	—	5.41	9.21	एक यूनिवर्सल स्पिनिंग कोयलिंग मशीन तथा स्पिनिंग एंड ग्राइंडिंग मशीन के आयात के लिये।

1	2	3	4	5	6	7	8
84.	मै० हडा टैक्साटाइल इंडस्ट्रीज लि० विष्णुपुर, जिला : 24 परगना प्रबंध संचालक : के० बी० हडा	23.00 (अति०)	0.30*	—	23.30**	73.00	9,504 अतिरिक्त तकुये लगाने की विस्तार योजना ।
85.	मै० हिन्दुस्तान नेशनल ग्लास एण्ड इंडस्ट्रीज लि०, रिसरा, जिला : हुगली (अधिसूचित कम विकसित जिला) प्रबंध संचालक ओ० एम० सौमानी ।	8.98 (ज० मा०) (अति०)	—	—	8.98	71.41	प्रतिवर्ष 28,600 टन खोखले बर्तनों का, 34,800 टन उत्पादन बढ़ाने के लिये आधुनिकीकरण तथा विस्तार
86.	मै० स्टील एण्ड अलायड प्राडक्ट्स लि०, कलकत्ता अध्यक्ष : जी० बसु प्रबंध संचालक : एस० के० मजूमदार ।	5.35 (ज० मा०) (अति०)	—	—	5.35	10.81	प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख सोधे शेंक ट्रिवस्ट ड्रिल बनाने के लिये कुछ यंत्रों का आयात ।
87.	मै० एस० एण्ड पी० इंजीनियरिंग प्राडक्ट्स लि०, कलकत्ता संचालक : अभिजोत सैन	—	2.50	—	2.50	69.55	क्रमश : प्रति वर्ष 1,00,090 छत के पंखे तथा 10,000 मोपेड़ों का उत्पादन करने के लिये दी गई परियोजनायें लगाना ।
	दिल्ली						
88.	मै० साल्वानिया एंड लक्ष्मण लि०, दिल्ली । अध्यक्ष तथा प्रबन्ध संचालक : एल० एस० अग्रवाल	20.00 (अति०) 45.84 (पो० स्ट्र)	15.00 (अति०)	—	80.84	344.00	जी० एल० एस० लेम्पों, कोयलों तथा लीड वायरों और विविधि प्रकार के लैम्पों का उत्पादन करने के लिए विस्तार योजना ।
	गोआ, दमन तथा दिउ						
89.	मै० मद्रास रबर फैक्टरी लि०, गाँव उस्गाव, गोआ (अधिसूचित कम विकसित क्षेत्र) प्रबन्ध संचालक : के० एम० मम्मेन मपिल्ले	100.00	—	—	100.00	367.25	आटोमोबाइल टायरों तथा ट्यबों प्रत्येक का प्रतिवर्ष 3 लाख की सख्या मे उत्पादन करने के लिये नई इकाई लगा कर विस्तार ।
90.	मै० संजीवनी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पिलिये गाँव, पणजी, गोआ, (अधिसूचित कम विकसित क्षेत्र)	150.00	—	—	150.00	300.00	1,250 टन वार्षिक गन्ना पेरने की क्षमता वाली नई चीनी फैक्टरी लगाना ।
		4559.65	250.84	95.78	4906.27	18344.24	
	एक संस्था को 1970-71 में मंजूर विदेशी मुद्रा उप-ऋण के कुछ भाग के सपरिवर्तन द्वारा मंजूर राशि ।	0.34	—	—	0.34	—	

*साधारण शेयरो में अभिदान ।

**बाद में रद्द कर दी गई ।

नोट : अन्यथा उल्लेख न किये जाने की स्थिति में, खाना 3 में दिये गये आँकड़े रुपया ऋणों के बोधक है ।

परिशिष्ट 'ख'

30 जून, 1973 तक (रद्द की गई/वापस ली गई मंजूरियों का समायोजन करने के बाद) मंजूर की गई निवल वित्तीय सहायता का राज्य/क्षेत्रवार विवरण

(रुपये लाखों में)

राज्य/क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	कुल मंजूरियाँ					कुल का प्रतिशत
		रुपया ऋण	विदेशी मुद्रा उप-ऋण	हामीदाहियाँ तथा प्रत्यक्ष अभिक्षान	मशीनरी की आस्थगित अदायगियों और विदेशी ऋणों के लिए गारंटियाँ	जोड़	
आन्ध्र प्रदेश	37	1546.07	231.69	186.10	925.82	2889.68	6.6
असम	7	285.99	115.86	350.00	—	751.79	1.7
बिहार	27	1440.91	211.01	275.00	329.75	2256.67	5.1
गुजरात	47	2356.95	437.17	212.32	127.30	3133.74	7.1
हरियाणा	32	963.85	230.93	106.38	19.08	1320.24	3.4
केरल	19	1128.16	166.30	29.50	172.47	1496.43	3.0
मध्य प्रदेश	16	676.20	82.70	226.25	39.82	1024.97	2.3
महाराष्ट्र	137	7944.57	959.64	657.28	375.93	9937.42	22.6
मेघालय	1	95.00	—	—	—	95.00	0.2
मैसूर	48	2198.60	226.33	303.50	221.52	2949.95	6.7
नागालैंड	1	50.00	—	—	—	50.00	0.1
उड़ीसा	16	999.24	220.43	85.00	—	1304.67	3.0
पंजाब	14	585.90	156.15	30.00	9.96	782.01	1.8
राजस्थान	14	792.75	127.97	22.50	786.07	1729.29	3.9
तामिलनाडु	67	3388.05	512.41	582.88	1231.31	5714.65	13.0
उत्तर प्रदेश	53	2524.59	604.47	300.23	353.59	3782.88	8.6
पश्चिमी बंगाल	77	2589.53	658.06	225.00	532.13	4004.72	9.1
दिल्ली	3	207.62	45.84	24.75	83.33	361.54	0.8
अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1	11.00	—	—	—	11.00	—
पांडीचेरी	1	52.00	—	—	8.16	60.16	0.2
गोआ	3	250.00	—	75.00	—	325.00	0.8
जोड़	621	30086.92	4986.96	3691.69	5216.24	43981.81	100.00

परिशिष्ट 'ग'

30 जून, 1973 तक (रद्द की गई वापस ली गई मंजूरियों के समायोजन के बाद) राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए मंजूर की गई वित्तीय सहायता का विवरण

(रुपये, लाखों में)

रा० औ० व कोड संख्या	उद्योग समूह	परियोजनाओं की संख्या	कुल मंजूरियां					कुल का प्रतिशत
			रुपया ऋण	विदेशी मुद्रा उप-ऋण	हामींदारियां तथा प्रत्यक्ष अभिदान	मशीनरी की आस्थगित अदायगियों और विदेशी ऋणों के लिये गारंटियां	जोड़	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	खाद्य उत्पाद							
206	—चीनी	108	9901.53	7.86	64.00	—	9973.39	22.7
202,210 211, 222	—अन्य खाद्य उत्पाद	4	27.50	3.74	10.90	—	42.14	0.1
231,241 248	सूती वस्त्र	97	3914.88	147.52	204.50	306.93	4573.83	10.4
251	पटसन वस्त्र	14	690.81	2.00	—	—	692.81	1.6
270, 273	लकड़ी तथा लकड़ी उत्पाद	5	82.26	106.17	7.00	—	195.43	0.4
280, 281	कागज तथा कागज उत्पाद	30	1420.24	704.92	180.35	551.16	2856.67	6.5
300से303	रबर उत्पाद	12	957.78	174.89	79.00	265.61	1477.28	3.4
	रसायन और रसायन उत्पाद :							
310	—मूल औद्योगिक संघटित तथा विघटित रसायन और गैसें	23	1332.30	559.04	144.25	431.36	2466.95	5.6
311	उर्वरक	13	1380.00	41.36	395.93	1278.96	3096.15	7.0
316	—कृत्रिम तथा अन्य मानव निर्मित रेशे	15	641.00	481.48	124.25	42.35	1289.08	2.9
316	—कृत्रिम रैसिन्ज तथा प्लास्टिक सामान	9	275.00	235.93	80.00	—	590.93	1.3
305, 312 313, 315 318, 319	—अन्य रसायन तथा रसायन उत्पाद	19	309.00	208.09	83.35	—	600.94	1.4
	अधातु खनिज उत्पाद							
321	—कांच तथा कांच उत्पाद	13	344.38	71.52	30.00	—	445.90	1.0
324, 328	—सीमेंट	25	1457.00	348.16	215.89	18.54	2039.59	4.6
320, 323 329	—अन्य अधातु खनिज उत्पाद	15	533.90	34.43	53.00	—	621.33	1.4
	मूल धातु तथा अलाय उद्योग							
330से332	—लोहा तथा इस्पात एवं फेरो-अलाय	41	1479.86	479.87	499.85	103.26	2562.84	5.8
	आगे ले जाया गया	443	24747.44	3607.48	2172.27	2998.07	33525.26	76.1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	आगे लाया गया	443	24747.44	3607.48	2172.27	2998.07	33525.26	76.1
333 से 336, 339	—अलोह धातु उद्योग	12	946.34	5.16	302.00	1945.65	3199.15	7.3
340, 341, 343 344, 349	—धातु उत्पाद सिवाय मशीनरी तथा परिवहन यन्त्र	26	412.04	169.02	176.98	62.78	820.82	1.9
	मशीनरी सिवाय बिजली मशीनरी							
350	—कृषि यन्त्र तथा कल पुर्जे	8	419.99	38.91	53.50	—	512.40	1.2
351 से 357, 359	—औद्योगिक तथा अन्य मशीनरी	42	1086.59	495.91	194.70	103.76	1880 .96	4.3
360, 365, 369	—बिजली मशीनरी, उपस्कर, कल-पुर्जे	34	821.68	245.61	134.74	—	1202.03	2.7
	परिवहन उपस्कर तथा सामान							
371,372	—लोकोमोटिव, रेलवे वैगन तथा कोच	4	105.00	—	10.00	—	115.00	0.3
374	—मोटर गाड़ियां तथा कल-पुर्जे	17	294.58	321.34	186.00	—	801.92	1.8
375	—साइकल, स्कूटर तथा मोटर पुर्जे	6	298.84	88.34	—	26.95	414.13	1.0
376	अन्य परिवहन उपस्कर	3	176.20	8.85	—	—	185.05	0.4
380, 382 385	विविध निर्माण उद्योग	3	7.10	6.34	—	—	13.44	—
40	बिजली-उत्पादन, संचरण तथा वितरण	6	93.00	—	75.00	—	168.00	0.4
	खान तथा खादान							
100	—कोयला खान	3	120.00	—	—	—	120.00	0.3
110	कच्चा पैट्रोल तथा प्राकृतिक गैस	1	—	—	350.00	—	350.00	0.8
120, 125 127	—कच्ची धातु खान	3	260.00	—	—	—	260.00	0.6
691	होटल उद्योग	9	298.12	—	26.50	79.03	403.65	0.9
710	जहाजरानी	1	—	—	10.00	—	10.00	—
	जोड़	621	30086.92	4986.96	3691.69	5216.24	43981.81	100.0

परिशिष्ट 'घ'

वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों का निपटान

(रुपये, लाखों में)

राज्य/क्षेत्र	संस्थाओं की संख्या जिनके आवेदन पत्र वर्ष के प्रारम्भ (1-2-72)* में विचाराधीन थे		संस्थाओं की संख्या जिनसे वर्ष के दौरान (1-1-72 से 30-6-73) आवेदन प्राप्त हुए	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	—	—	9	626.01
असम	1	651.48	1	75.00
बिहार	1	270.00	3	1225.78
गुजरात	2	410.00	2	311.00
हरियाणा	—	—	6	165.85
केरल	—	—	1	108.38
मध्यप्रदेश	—	—	3	206.00
महाराष्ट्र	11	1690.11	17	2833.87
मैसूर	4	452.00	10	1609.80
नागालैंड	—	—	1	100.00
उड़ीसा	1	100.00	4	226.59
पंजाब	1	233.00	1	5.00
राजस्थान	1	28.72	3	177.50
तमिलनाडु	3	165.00	9	1593.54
उत्तर प्रदेश	2	228.57	19	2503.93
पश्चिमी बंगाल	5	248.91	12	881.42
दिल्ली	1	110.00	—	—
गोआ	—	—	2	250.00
जोड़	33	4587.79	103	12899.67

परिशिष्ट 'घ'—(जारी)

(रुपये, लाखों में)

राज्य/क्षेत्र	संस्थाओं की संख्या जिन्होंने वर्ष के दौरान (1-7-72 से 30-6-73) आवेदन वापिस ले लिये		संस्थाओं की संख्या जिन्हें वर्ष के दौरान (1-7-72 से 30-6-73) सहायता मंजूर की गई		संस्थाओं की संख्या जिनसे आवेदन वर्ष के अंत (30-6-73) में विचाराधीन थे	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	1	38.33	7	250.64	1	30.00
असम	—	—	—	—	2	726.48
बिहार	—	—	2	82.78	2	1200.00
गुजरात	—	—	3	259.78	1	130.00

परिशिष्ट घ—(समाप्त)

1	6	7	8	9	10	11
हरियाणा	—	—	5	115·34	1	38.00
केरल	—	—	1	108.38	—	—
मध्य प्रदेश	—	—	2	75.00	1	76.00
महाराष्ट्र	3	536.20	19	1626.38	6	1146.23
मैसूर	1	15.00	9	495.06	4	385.00
नागालैण्ड	—	—	1	50.00	—	—
उड़ीसा	—	—	3**	152.94	1	58.65
पंजाब	—	—	1	5.00	1	233.00
राजस्थान	—	—	3	98.72	1	52.50
तमिलनाडु	—	—	8	365.03	4	368.00
उत्तर प्रदेश	1	28.00	11	567.54	9	1593.03
पश्चिमी बंगाल	1	53.52	12	322.84	4	632.27
दिल्ली	—	—	1	80.84	—	—
गोआ	—	—	2	250.00	—	—
	7	671.05	90	4906.27	38	6669.16

*वर्ष के प्रारम्भ में विचाराधीन आवेदन पत्रों की संख्या पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में दिखाई गई संख्या से मेल नहीं खाती, क्योंकि बाद में आवेदकों द्वारा कुछ परिवर्तन किये गये।

**एक संस्था के मामले में, वर्ष के प्रारम्भ में एक आवेदन विचाराधीन था तथा वर्ष के दौरान एक और आवेदन प्राप्त हुआ।

परिशिष्ट ङ

30 जून, 1973 तक प्रत्येक राज्य में (रद्द की गई/वापस ली गई मंजूरियों का समायोजन करने के बाद) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा मंजूर की गई निवल आर्थिक सहायता के उद्योगवार वितरण का विवरण

(रुपये लाखों में)

रा०औ०व० कोड संख्या	उद्योग समूह	आंध्र प्रदेश	असम	बिहार	गुजरात
1	2	3	4	5	6
	खाद्य उत्पाद				
206	—चीनी	705.00	60.00	191.50	535.50
202, 210, 211, 222	अन्य खाद्य उत्पाद	—	—	—	—
231, 241 248	सूती वस्त्र	300.44	26.17	92.70	525.70
251	पटसन वस्त्र	100.00	78.50	—	—
270, 273	लकड़ी तथा लकड़ी उत्पाद	—	100.74	—	7.00
280, 281	कागज तथा कागज उत्पाद	163.86	100.00	529.97	255.27
300 से 303	रबर उत्पाद	—	—	22.78	—
	रसायन तथा रसायन उत्पाद				
310	—मूल औद्योगिक संगठित तथा विघटित रसायन तथा गैसें	237.45	—	—	207.17
311	—उर्वरक	963.29	36.38	—	520.00
316	—कृत्रिम तथा मानव निर्मित रेशे	—	—	—	508.25
316	—कृत्रिम रेशिन्ज तथा प्लास्टिक सामान	162.24	—	—	13.22
305 312, 313, 315, 318, 319	—अन्य रसायन तथा रसायन उत्पाद	—	—	—	10.64

परिशिष्ट 'ङ' —(जारी)

1	2	3	4	5	6
	अधातु खनिज पदार्थ				
321	—कांच तथा कांच उत्पाद	40.00	—	84.93	—
324 328	—सीमेंट	144.89	—	429.76	142.30
320, 323, 329	—अन्य अधातु खनिज उत्पाद मूल धातु तथा अलाय उद्योग	—	—	177.75	70.00
320 से 332	—लोहा तथा इस्पात और फेरी अलायज	15.00	—	537.42	—
	आगे ले जाया गया	2832.17	401.79	2066.81	2795.15

रा० औ व० कोड संख्या	उद्योग समूह	हरियाणा	केरल	अध्य प्रदेश	मेघालय
1	2	7	8	9	10
	खाद्य उत्पाद				
206	—चीनी	106.00	180.00	80.00	—
202, 210 211, 222	अन्य खाद्य उत्पाद	3.90	—	—	—
231, 241, 248	सूती वस्त्र	159.23	41.68	348.96	—
251	पटसन वस्त्र	—	—	—	—
270, 273	लकड़ी तथा लकड़ी उत्पाद	—	56.69	—	—
280, 281	कागज तथा कागज उत्पाद	50.58	148.38	—	—
300 से 303	रबर उत्पाद	—	33.33	—	—
	रसायन तथा रसायन उत्पाद				
310	—मूल औद्योगिक संगठित तथा विघटित रसायन तथा गैसे	—	100.00	—	—
311	—उर्वरक	—	306.00	—	—
316	—कृत्रिम तथा मानव निर्मित रेशे	23.00	49.20	126.25	—
316	—कृत्रिम रेशिल्ज तथा प्लास्टिक सामान	—	—	—	—
305, 312, 313, 315, 318, 319	—अन्य रसायन तथा रसायन उत्पाद	12.00	82.00	22.38	—
	अधातु खनिज पदार्थ				
321	—कांच तथा कांच उत्पाद	—	35.00	—	—
324, 328	—सीमेंट	—	—	329.59	95.00
320, 323, 329	—अन्य अधातु खनिज उत्पाद मूल धातु तथा अलाय उद्योग	101.98	—	—	—
330 से 332	—लोहा तथा इस्पत और फेरी अलायज	365.67	42.36	48.71	—
	आगे ले जाया गया	822.36	1074.64	955.89	95.00

परिशिष्ट 'ङ'—(जारी)

रा०औ०व० कोड संख्या	उद्योग समूह	महाराष्ट्र	मैसूर	नागालैण्ड	उड़ीसा
1	2	11	12	13	14
	खाद्य उत्पाद				
206	—चीनी	4949.20	881.75	50.00	205.00
202, 210, 211, 222	अन्य खाद्य उत्पाद . . .	—	—	—	—
231, 241, 248	सूती वस्त्र	708.20	315.33	—	172.88
251	पटसन वस्त्र . . .	—	—	—	—
270, 273	लकड़ी तथा लकड़ी उत्पाद . .	—	—	—	—
280, 281	कागज तथा कागज उत्पाद . .	150.47	649.80	—	255.75
300 से 303	रबर उत्पाद . . .	104.67	10.00	—	—
	रसायन तथा रसायन उत्पाद				
310	—मूल औद्योगिक संघटित तथा विघटित रसायन तथा गैसें .	606.97	80.00	—	29.29
311	—उर्वरक . . .	31.50	165.00	—	—
316	—कृत्रिम तथा मानव निर्मित रेशे .	143.03	—	—	—
316	—कृत्रिम रेसिन्ज तथा प्लास्टिक के सामान	294.30	15.00	—	—
305, 312, 313, 315, 318, 319	—अन्य रसायन तथा रसायन उत्पाद .	41.85	52.38	—	—
	अधातु खनिज पदार्थ				
321	—कांच तथा कांच उत्पाद . .	54.83	1.50	—	—
324, 328	—सीमेंट . . .	—	48.00	—	100.00
320, 323, 329	—अन्य अधातु खनिज उत्पाद . .	46.00	2.85	—	101.85
	मूल धातु तथा मिश्रण उद्योग				
330 से 332	—लोहा तथा इस्पात और फेरो मिश्रण .	808.66	—	—	195.00
	आगे ले जाया गया . .	7939.68	2221.81	50.00	1059.67

परिशिष्ट 'ङ'—(जारी)

रा० औ० व० कोड संख्या	उद्योग समूह	पंजाब	राजस्थान	तमिलनाडु	उत्तर प्रदेश
1	2	15	16	17	18
	खाद्य उत्पाद				
206	—चीनी	315.00	95.00	884.44	585.00
202, 210, 211, 222	अन्य खाद्य उत्पाद . . .	—	—	—	38.24
231, 241, 248	सूती वस्त्र	158.85	347.22	440.89	600.17
251	पटसन वस्त्र . . .	—	—	—	—
270, 273	लकड़ी तथा लकड़ी उत्पाद . .	—	—	—	—
280, 281	कागज तथा कागज उत्पाद . .	—	—	10.53	261.90

परिशिष्ट 'ङ'—(जारी) (रुपये, लाखों में)

रा० औ० व० कोड संख्या	उद्योग समूह	पंजाब	राजस्थान	तामिलनाडु	उत्तर प्रदेश
1	2	15	16	17	18
300 से 303	रबर उत्पाद	—	—	302·82	358·34
	रसायन तथा रसायन उत्पाद				
310	—मूल औद्योगिक संघटित तथा विघटित रसायन तथा गैसें	—	—	737·79	249·21
311	—उर्वरक	—	253·98	300·00	445·00
316	—कृत्रिम तथा मानव निर्मित रेशे	—	55·80	110·00	273·45
316	—कृत्रिम रेसिन्ज तथा प्लास्टिक सामान	—	—	105·00	—
305, 312, 313, 315 318, 319	—अन्य रसायन तथा रसायन उत्पाद	—	—	129·11	42·25
	अधातु खनिज पदार्थ				
321	—कांच तथा कांच उत्पाद	—	—	—	100·65
324, 328	—सीमेंट	—	50·00	700·00	—
320, 323, 329	—अन्य अधातु खनिज उत्पाद	—	—	3·00	—
	मूल धातु तथा अलाय उद्योग				
330 से 332	—लोहा तथा इस्पात और फेरो अलायज	5·00	—	136·07	388·95
	आगे ले जाया गया	478·85	802·00	3859·70	3343·16

परिशिष्ट 'ङ'—(जारी) (रुपये, लाखों में)

रा०औ०व० कोड संख्या	उद्योग समूह	पश्चिमी बंगाल	केन्द्र शासित क्षेत्र	जोड़	परियोजनाओं की संख्या
1	2	19	20	21	22
	खाद्य उत्पाद				
206	—चीनी	—	150·00	9973·39	108
202, 210, 211, 222	अन्य खाद्य उत्पाद	—	—	42·14	4
231, 241, 248	सूती वस्त्र	235.95	99·46	4573·33	9
251	पटसन वस्त्र	541·31	—	692·81	47
270, 273	लकड़ी तथा लकड़ी उत्पाद	20·00	11·00	195·43	15
280, 281	कागज तथा कागज उत्पाद	280·16	—	2856·67	30
300 से 303	रबर उत्पाद	545·34	100·00	1477·28	12
	रसायन तथा रसायन उत्पाद				
310	—मूल औद्योगिक संघटित तथा विघटित रसायन और गैसें	219·07	—	2466·95	23
311	—उर्वरक	—	75·00	3096·15	13
316	—कृत्रिम तथ मानव निर्मित रेशे	—	—	1289·08	15
316	—कृत्रिम रेसिन्ज तथा प्लास्टिक सामान	1·17	—	590·93	9
305, 312, 313, 315, 318, 319	—अन्य रसायन तथा रसायन उत्पाद	208·13	—	600·94	19

परिशिष्ट 'ङ' (जारी)

(रुपये लाखों में)

रा० औ० व० कोड संख्या	उद्योग समूह	पश्चिमी बंगाल	केन्द्र प्रशासित क्षेत्र	जोड़	परियोजनाओं की संख्या
1	2	19	20	21	22
	अधातु खनिज उत्पाद				
321	—कांच तथा कांच उत्पाद	128·99	—	445·90	13
324, 328	—सीमेंट	—	—	2039·59	25
320, 323, 329	—अन्य अधातु खनिज उत्पाद	118·00	—	621·33	15
	मूल धातु तथा अलाय उद्योग				
330 से 332	—लोहा तथा इस्पात और फेरो अलाय	20·00	—	2562·84	41
	आगे ले जाया गया	2291·12	435·46	33525·26	443

परिशिष्ट 'ङ' (जारी)

रा० औ० व० कोड संख्या	उद्योग समूह	आंध्र प्रदेश	असम	बिहार	गुजरात
1	2	3	4	5	6
	आगे लाया गया	2832·17	401·79	2066·81	2795·15
333 से 336, 339	—अलौह धातु उद्योग	—	—	—	—
40, 341, 343, 44, 349	धातु उत्पाद सिवाय मशीनरी तथा परिवहन उपस्कर	—	—	—	47·00
	मशीनरी सिवाय बिजली मशीनरी				
350	—कृषि यन्त्र तथा पुर्जे	—	—	—	—
351 से 357, 359	—औद्योगिक तथा अन्य मशीनरी	7·30	—	87·86	231·59
360 से 365, 369	बिजली मशीनरी, उपस्कर, कल पुर्जे, परिवहन उपस्कर तथा पुर्जे	29·08	—	12·00	—
371, 372	—लोकोमोटिव, रेलवे वैगन तथा कोच	—	—	15·00	—
374	—मोटर गाड़ियाँ तथा पुर्जे	—	—	25·00	—
375	—मोटर साइलकल, स्कूटर तथा पुर्जे	11·79	—	—	—
376	—अन्य परिवहन उपस्कर	—	—	—	—
380, 382, 385	विविध निर्माण उद्योग	6·24	—	—	—
40	बिजली-उत्पादन, संचरण तथा वितरण	—	—	—	40·00
	खान तथा खदान				
100	—कोयला	—	—	50.00	—
110	—कच्चा पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस	—	350·00	—	—
120, 125, 127	—कच्ची धातु खान	—	—	—	—
691	—होटल उद्योग	3·00	—	—	—
710	—जहाजरानी	—	—	—	—
	जोड़	2889.68	751·79	2256·67	3133·74
	परियोजनाओं की संख्या—राज्य-वार :	(37)	(7)	(27)	(47)

परिशिष्ट 'ङ' (जारी)

रा० औ० व० कोड संख्या	उद्योग समूह	हरियाणा	केरल	मध्य प्रदेश	मेघालय
1	2	7	8	9	10
	आगे लाया गया	822.36	1074.64	955.89	95.00
333 से 336, 339	—अलौह धातु उद्योग	—	304.79	—	—
40, 341, 343, 44, 349	धातु उत्पाद सिवाय मशीनरी तथा परिवहन उपस्कर	103.50	—	—	—
	मशीनरी सिवाय बिजली मशीनरी				
350	—कृषि यंत्र तथा पुर्जे	60.00	—	—	—
351 से 357, 359	—औद्योगिक तथा अन्य मशीनरी	85.37	—	40.00	—
360 से 365, 369	बिजली मशीनरी, उपस्कर कल पुर्जे परिवहन उपस्कर तथा पुर्जे	133.95	117.00	29.08	—
371, 372	—लोकोमोटिव, रेलवे वैगन तथा कोच	—	—	—	—
374	—मोटर गाड़ियाँ तथा पुर्जे	—	—	—	—
375	—मोटर साइकल, स्कूटर तथा पुर्जे	69.21	—	—	—
376	—अन्य परिवहन उपस्कर	45.85	—	—	—
380, 382, 385	विविध निर्माण उद्योग	—	—	—	—
40	बिजली-उत्पादन, संचरण तथा वितरण	—	—	—	—
	खान तथा खदान				
100	—कोयला	—	—	—	—
110	—कच्चा पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस	—	—	—	—
120, 125, 127	—कच्ची धातु खान	—	—	—	—
691	—होटल उद्योग	—	—	—	—
710	—जहाजरानी	—	—	—	—
	जोड़	1320.24	1496.43	1024.97	95.00
परियोजनाओ की संख्या—राज्य वार :		(32)	(19)	(16)	(1)

परिशिष्ट 'ङ' (जारी)

(रुपये, लाखों में)

रा० औ० व० कोड संख्या	उद्योग समूह	महाराष्ट्र	मैसूर	नागालैण्ड	उड़ीसा
1	2	11	12	13	14
	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम				
333 से 336 339	—अलौह धातु उद्योग	65.27	215.00	—	170.00
40, 341, 343, 44, 349	धातु उत्पाद सिवाय मशीनरी तथा परिवहन उपस्कर	42.71	—	—	—

परिशिष्ट 'ङ'—जारी

रा०औ०व० कोड संख्या	उद्योग समूह	महाराष्ट्र	मैसूर	नागालैंड	उड़ीसा
1	2	11	12	13	14
	मशीनरी सिवाय बिजली मशीनरी				
350	—कृषि यंत्र तथा पुर्जे	13·00	32·50	—	—
351 से 357, 359	—औद्योगिक तथा अन्य मशीनरी	668·27	77·75	—	—
360 से 365, 369	बिजली मशीनरी, उपस्कर, फल पुर्जे परिवहन उपस्कर तथा पुर्जे	390·23	170·39	—	—
371, 372	—लोकोमोटिव, रेलवे वैगन तथा कोच	—	70·00	—	—
374	—मोटर गाड़ियां तथा पुर्जे	428·77	62·50	—	—
375	—मोटर साइकल, स्कूटर तथा पुर्जे	158·79	—	—	—
376	—अन्य परिवहन उपस्कर	—	—	—	—
380, 382, 385	—अन्य परिवहन उपस्कर	—	—	—	—
380, 382, 385	विविध निर्माण उद्योग	6·20	—	—	—
40	बिजली-उत्पादन, संचरण तथा वितरण	125·00	—	—	—
	खान तथा खदान				
100	—कोयला	—	—	—	—
110	—कच्चा पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस	—	—	—	—
120, 125, 127	—कच्ची धातु खान	—	100·00	—	75·00
691	—होटल उद्योग	89·50	—	—	—
710	—जहाजरानी	10·00	—	—	—
	जोड़	9937·42	2949·95	50·00	1304·67
	परियोजनाओं की संख्या—राज्य-वार :	(17)	(48)	(1)	(16)

परिशिष्ट 'ङ' (जारी)

(रुपये, लाखों म)

रा० औ० व० कोड संख्या	उद्योग समूह	पंजाब	राजस्थान	तमिलनाडु	उत्तर प्रदेश
		15	16	17	11
333 से 336, 339	—अलौह धातु उद्योग	—	668·35	1188·50	40·00
340, 341, 343, 344, 349	धातु उत्पाद सिवाय मशीनरी तथा परिवहन उपस्कर	—	66·20	38·00	122·39
	मशीनरी सिवाय बिजली मशीनरी	109·16	192·74	15·00	90·00
350	—कृषि यंत्र तथा पुर्जे	—	—	214·23	40·00
351 से 357 359	—औद्योगिक तथा अन्य मशीनरी	—	—	214·23	40·00

परिशिष्ट 'ङ' (जारी)

रा० औ० व० कोड संख्या	उद्योग समूह	पंजाब	राजस्थान	तमिलनाडु	उत्तर प्रदेश
1	2	15	16	17	18
360 से 365, 369	बिजली मशीनरी, उपस्कर , कल पुर्जे परिवहन उपस्कर तथा पुर्जे	60·28	—	40·88	4·00
371, 372	—लोकोमोटिव, रेलवे वैगन तथा कोच	—	—	—	—
374	—मोटर गाड़ियां तथा पुर्जे	133·72	—	30·00	101·93
375	—मोटर साइकल, स्कूटर तथा पुर्जे	—	—	174·34	—
376	—अन्य परिवहन उपस्कर	—	—	—	—
380, 382, 385	विविध निर्माण उद्योग	—	—	—	0·90
40	बिजली-उत्पादन, संचरण तथा वितरण	—	—	—	—
	खान तथा खदान				
100	—कोयला	—	—	—	—
110	—कच्चा पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस	—	—	—	—
120, 125, 127	—कच्ची धातु खान	—	—	85·00	—
691	—होटल उद्योग	—	—	69·00	40.50
710	—जहाजरानी	—	—	—	—
	जोड़	782·01	1729·29	5714·65	3782·88
परियोजनाओं की संख्या —राज्य-वार :		(14)	(14)	(67)	(53)

परिशिष्ट 'ङ' —जारी

(रुपये लाखों में)

रा० औ० व० कोड संख्या	उद्योग समूह	पश्चिमी बंगाल	केन्द्र प्रशासित क्षेत्र	जोड़	परियोजनाओं की संख्या
1	2	19	20	21	22
333 से 336, 339	—अलौह धातु उद्योग	547·24	—	3199·15	12
40, 341, 343, 44, 349	धातु उत्पाद सिवाय मशीनरी तथा परिवहन उपस्कर	401·02	—	820·82	26
	मशीनरी सिवाय बिजली मशीनरी				
350	—कृषि यंत्र तथा पुर्जे	—	—	512·40	8
351 से 357, 359	—औद्योगिक तथा अन्य मशीनरी	408·59	—	1880·96	42
360 से 365, 369	बिजली मशीनरी, उपस्कर, कल पुर्जे परिवहन उपस्कर तथा पुर्जे	94·55	120359	1202·03	34
371, 372	—लोकोमोटिव, रेलवे वैगन तथा कोच	30·00	—	115·00	4
374	—मोटर गाड़ियां तथा पुर्जे	20·00	—	801·92	17
375	—मोटर साइकल, स्कटर तथा पुर्जे	—	—	414·13	6
376	—अन्य परिवहन उपस्कर	139·20	—	185·05	3

परिशिष्ट ड़—जारी

(रुपये लाखों में)

रा० औ० व० कोड संख्या	उद्योग समूह	पश्चिम बंगाल	केन्द्र प्रशासित क्षेत्र	जोड़	परियोजनाओं की संख्या
1	2	19	20	21	22
380, 282, 385	विविध निर्माण उद्योग	—	—	13·44	3
40	बिजली-उत्पादन, संचरण तथा वितरण	3·00	—	168·00	6
	खान तथा खदान				
100	—कोयला	70·00	—	120·00	3
110	—कच्चा पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस	—	—	350·00	1
120, 125, 127	—कच्चा धातु खान	—	—	260·00	3
691	—होटल उद्योग	—	201·65	403·65	9
710	—जहाजरानी	—	—	10·00	1
	जोड़	4004·72	757·70	43981·81	621
	परियोजनाओं की संख्या—राज्य-वार :	(77)	(8)	(621)	

परिशिष्ट 'च'

वर्ष 1973 के दौरान देश के चुने हुए उद्योग की कुल विस्थापित क्षमता और औद्योगिक उत्पादन तथा उसमें भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से सहायता प्राप्त औद्योगिक संस्थाओं का योगदान

उद्योग	उत्पाद इकाई	सम्पूर्ण देश के सम्बन्ध में			
		संस्थाओं की संख्या	विस्थापित क्षमता	उत्पादन	प्रतिशत उपयोग
1	2	3	4	5	6
1. रसायन तथा रसायन उत्पाद					
—सल्फ्युरिक एसिड	हजार टनों में	67	1969	1418	72.01
—कास्टिक सोडा	,,	29	407	388	95·33
—तरल क्लोरिन	,,	22	222	135	65·31
—सोडा ऐश	,,	4	471	487	10·33
—इथिलिन	,,	2	75	65	86·77
—बैनजीन	,,	10	94	69	73·40
—बुटाडीन	,,	1	7	6	85·71
—इथिलीन आक्साइड	,,	1	12	7	58·33
—इथिलीन ग्लाइकोल	,,	1	10	6	60·00
—पोलेथलीन ग्लाइकोल	,,	1	1	0·6	60·00
—डाइक्लोरेथिन	,,	1	50	36	72·00
—इसोप्रोनोल	,,	1	1.5	1·5	100·00
—डाइसिटोन अल्कोहल	,,	2	5	3·6	72·00
—मैथालीन आइसोबुटिन केटोन	,,	1	3·7	1·2	32·43
—2-इथोल हैक्सानोल	,,	2	11·6	7·5	64·65

1	2	3	4	5	6
—फिनाइल	हजार टनों मे	2	17	8	47.05
—पैथालिक अन्हाईड्राइड	,,	3	12	5	41.66
—स्ट्रीन	,,	1	14	12	85.71
—पी० एफ० माउल्डिंग पाउडर	,,	3	6	4	66.67
—एच० डी० पोलेथलीन	,,	1	20	19	95.00
—पी० वी० सी० रेसिन्ज	,,	5	63	47	74.16
—सोडियम हाइड्रोस्लफाइट	,,	4	12	7.5	62.5
2. उर्वरक @					
(क) नाइट्रोजन उर्वरक	,,	20	1464	952	65.02
(ख) फास्फेट	,,	34	500	278	55.60
3. सीमेंट	,,	51	19750	11500@@	—
4. कागज तथा कागज उत्पाद	,,	59	924	803	86.90
5. रबर उत्पाद	,,				
—आटोमोबाइल टायर	संख्या हजार में	8	4010	4625	115.33
—आटोमोबाइल ट्यूब	,,	8	4015	4545	113.20
—बाइसिकिल टायर	संख्या हजारों में	15	31826	22400	70·38
—बाइसिकल ट्यूब	,,	16	28950	14600	50·43
6. लोहे की ढलवां वस्तुएं	हजार टनो में	60	350	120	34·28
—इस्पात की ढलवां वस्तुएं	,,	44	135	62	46·92
—बाल तथा रोलर बियरिंग	संख्या लाखों में	7	207	210	101·44
7. मशीनरी					
—कृषि ट्रैक्टर	इकाई	7	42500	18301	43·06
8. बिजली मोटरें	अश्वशक्ति हजारों में	33	3100	2000	64·51
—ट्रांसफार्मर	किलोवाट एम्पियर हजारों में	29	9255	10800	116·69
—ड्राई सैल	संख्या दस लाख में	7	539	619.5	114·93
—पी० आई० एल० सी० पावर तारें	किलोमीटर	11	20397	16800	82·36
—पी० वी० सी० पावर तारें					
9. आटोमोबाइल उद्योग					
—मोटर साइकलें				48	
—स्कूटर	संख्या हजारों में	8	167	64	86·22
—तिपहिये				10	
—मोपेड तथा स्कूट्रेट्स				22	
10. साइकिल (पूर्ण)	संख्या हजारों में	11	3714	2256	60·74
11. सूती वस्त्र					
—सूत	किलोग्राम—लाखो में	*688	184.04 (करघे लाखों में)	9723	—
—कपड़ा	मीटर लाखों में		2.07 (तकुए (लाखो मे)	42449	
12. चीनी					
—सहकारी क्षेत्र	लाख टनों में	87	16.11	*13.14	81·56
—अन्य		149	*24.41	*24.75	101·39

परिशिष्ट 'च' (जारी)

उद्योग	उत्पादन इकाई	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से सहायता प्राप्त औद्योगिक संस्थाओं के सबन्ध में			
		संस्थाओं की संख्या	विस्थापित क्षमता	उत्पादन	प्रतिशत उपयोग
1	2	7	8	9	10
1. रसायन तथा रसायन उत्पाद . . .					
—सलफ्युरिक एसिड . . .	हजार टनों मे	2	23	16	69.57
—कास्टिक सोडा	,,	4	81	56	69.13
—तरल क्लोरिन	,,	5	52	43	82.69
—सोडा एश	,,	2	271	296	109.22
—इथिलिन	,,	1	60	44	73.33
—बैनजीन	,,	1	14	11	78.57
—बुटाडीन	,,	1	7	6	85.71
—इथिलीन आक्साइड . . .	,,	1	12	7	58.33
—इथिलीन ग्लाइकोल . . .	,,	1	10	6	60.00
—पोलेथलीन ग्लाइकोल . . .	,,	1	1	0.6	60.00
—डाइक्लोरिनरेथिन . . .	,,	1	60	36	72.00
—इसोप्रोनोल	,,	1	1.5	1.5	100.00
—डाइसिटोन अल्कोहल . . .	,,	2	5	3.6	72.00
—मैथालीन आइसोबुटिन केटोन . .	,,	1	3.7	132	32.43
—2-इथोल हैक्सानोल . . .	,,	1	8	6	75.00
—फिनाइल	,,	1	12	9	75.00
—पैथालिक अन्हईड्राइड . . .	,,	1	6	3	50.00
—स्ट्रीन	,,	1	14	12	85.71
—पी० एफ० माउल्डिंग पाउडर . .	,,	1	2.4	2	83·33
—एच० डी० पोलेथलीन . . .	,,	1	20	19	95·00
—पी० वी० सी० रेसिन्ज . . .	,,	1	12	4	33·33
—सोडियम हाइड्रोस्लफाइट . . .	,,	1	9	406	51·11
2. उर्वरक@					
(क) नाइट्रोजन उर्वरक . . .	,,	4	606	459	75·74
(ख) फास्फेट	,,	2	84	36	42·85
3. सीमेंट	,,	9	10835	9068	83·69
4. कागज तथा कागज उत्पाद . . .	,,	13	514	439	85·41
5. रबर उत्पाद					
—आटोमोबाइल टायर . . .	संख्या हजारों में	3	1428	944	66·10
—आटोमोबाइल ट्यूब . . .	,,	3	1620	1108	68·39

परिशिष्ट 'च' (जारी)

1	2	7	8	9	10
—साइसिकल टायर	संख्या हजारों में	2	7000	6082	86·88
—साइसिकल ट्यूब	,,	2	7000	3844	54·91
6. लोहे की ढलवां वस्तुएं	हजार टनों में	4	32	13	40·62
—इस्पात की ढलवां वस्तुएं	,,	5	128	34	26·45
—बाल तथा रोलर बियरिंग	संख्या लाखों में	2	42	38	90·47
7. मशीनरी					
—कृषि ट्रैक्टर	इकाई	1	6000	2002	33·36
8. बिजली मोटरें	अश्वशक्ति हजारों में	1	400	289	72·25
—ट्रांसफार्मर	किलोवाट एम्पियर हजारों में	1	1000	1226	12260
—ड्राई सैल	संख्या दस लाख में	1	110	104	94·44
—पी० आई० एल० सी० पावर तारें	किलोमीटर	2	5072	3300	65·06
—पी० वी० सी० पावर तारें					
9. आटोमोबाइल उद्योग					
—मोटर साइकलें		2			
—स्कूटर	संख्या हजरों	3	72	59	81·94
—तिपहिये		3			
—मोपेड तथा स्कूटेट्स		1	30	11	36·66
10. साइकल (पूर्ण)	संख्या हजारों में	2	1300	727	55·92
11. सूती वस्त्र					
—सूत	किलोग्राम-लाखों में	*49	10·29 (करोड़ लाखों में)	742	—
—कपड़ा	मीटर-लाखों में		0·09 (तकुए लाखों में)	1981	—
12. चीनी					
—सहकारी क्षेत्र	लाख टनों में	42	7·77	6·51	83·78
—अन्य क्षेत्र		4	0·72	0·73	101·38

टिप्पणी :—

1. खाना 3, 4 और 5 में दी गई सूचना, औद्योगिक विकास, वाणिज्य तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय की रिपोर्टों पर आधारित हैं ।

2. खाना 7, 8 और 9 में दी गई सूचना निगम की वित्तपोषित इकाइयों से प्राप्त प्रश्नावली पर आधारित है ।

†1972–73 के मौसम के लिये 30 जून, 1973 को उत्पादन ।

*इसमें 290 संयुक्त मिलें शामिल हैं ।

**इसमें 9 संयुक्त मिलें शामिल हैं ।

@1971–72 के आंकड़े ।

@@1972 के पहले 9 महीने के आंकड़े ।

परिशिष्ट 'छ'

30 जून 1973 तक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा मंजूर की गई निवल वित्तीय सहायता का धनराशि के अनुसार वर्गीकरण

(प्रत्येक औद्योगिक संस्था के लिये मंजूर की गई रकमो के अनुसार)

(रुपये, लाखो मे)

	सहकारी		पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां				
	संस्थाओं की संख्या	ऋण	संस्थाओं की संख्या	ऋण	हामीदारियां/ प्रत्यक्ष अभिदान	मशीनरी की आस्थगित अदायगियो और विदेशी ऋणों के लिए गारंटिया	जोड़
1. रकमें, जो दस लाख रु० से अधिक न हों . .	—	—	86	264.58	239.65	—	504.23
2. रकमें, जो दस लाख रु० से अधिक पर 20 लाख रु० से अधिक न हों . .	—	—	48	559.15	188.63	—	747.78
3. रकमें, जो 20 लाख रु० से अधिक पर 30 लाख रु० से अधिक न हों . .	3	75.20	42	916.07	177.70	3.71	1097.48
4. रकमें, जो 30 लाख रु० से अधिक पर 40 लाख रु० से अधिक न हों .	16	592.50	46	1355.79	261.50	36.38	1653.67
5. रकमें, जो 40 लाख रु० से अधिक पर 50 लाख रु० से अधिक न हों .	6	275.00	47	1882.95	248.58	38.68	2170.21
6. रकमें, जो 50 लाख रु० से अधिक पर 60 लाख रु० से अधिक न हों .	8	453.75	28	1431.18	140.50	—	1571.68
7. रकमें, जो 60 लाख रु० से अधिक पर 70 लाख रु० से अधिक न हों .	5	323.00	24	1413.95	95.00	58.75	1567.70
8. रकमें, जो 70 लाख रु० से अधिक पर 80 लाख रु० से अधिक न हों .	10	775.00	21	1266.21	214.72	114.22	1595.15
9. रकमें, जो 80 लाख रु० से अधिक पर 90 लाख रु० से अधिक न हों .	29	2563.31	8	658.70	37.50	—	696.20
10. रकमें, जो 90 लाख रु० से अधिक पर एक करोड़ रु० से अधिक न हों .	7	693.00	13	1218.55	30.50	10.60	1259.65
11. रकमें, जो एक करोड़ रु० से अधिक हों .	30	4798.39	88	13557.60	2057.41	4953.90	20568.91
जोड़	114	10549·15	451	24524·73	3691·69	5216·24	33432·66

परिशिष्ट 'छ' —(जारी)

30 जून 1973 तक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा मंजूर की गई सिवल वित्तीय सहायता का धनराशि के अनुसार वर्गीकरण

(प्रत्येक औद्योगिक संस्था के लिए मंजूर की गई रकमों के अनुसार)

(रुपए, लाखों में)

	जोड़				
	संस्थाओं की संख्या	ऋण	हामीदारियां/प्रत्यक्ष अभिदान	मशीनरी की आस्थगित अदायगियों और विदेशी ऋणों के लिए गारंटियां	जोड़
1. रकमें, जो दस लाख रु० से अधिक न हों	86	264·58	239·65	—	504·23
2. रकमें, जो दस लाख रु० से अधिक पर 20 लाख रु० से अधिक न हों	48	549·15	188·63	—	747·78
3. रकमें, जो 20 लाख रु० से अधिक पर 30 लाख रु० से अधिक न हों	45	991·27	177·70	3·71	1172·68.
4. रकमें, जो 30 लाख रु० से अधिक पर 40 लाख रु० से अधिक न हो	62	1948·29	261·50	36.38	2246·17
5. रकमें, जो 40 लाख रु० से अधिक पर 50 लाख रु० से अधिक न हो	53	2157·95	248·58	38·68	2445·21
6. रकमें, जो 50 लाख रु० से अधिक पर 60 लाख रु० से अधिक न हों	36	1884·93	140·50	—	2025·43
7. रकमें, जो 60 लाख रु० से अधिक पर 70 लाख रु० से अधिक न हों	29	1736·95	95·00	58·75	1890·70
8. रकमें, जो 70 लाख रु० से अधिक पर 80 लाख रु० से अधिक न हों	31	2041·21	214·72	114·22	2370·15
9. रकमें, जो 80 लाख रु० से अधिक पर 90 लाख रु० से अधिक न हों	37	3222·01	37·50	—	3259·51
10. रकमें, जो 90 लाख रु० से अधिक पर एक करोड़ रु० से अधिक न हों	30	1911·55	30·50	10·60	1952·65
11. रकमें, जो एक करोड़ रु० से अधिक हों	118	18355·99	2057·41	4953·90	25367·30
जोड़	565	35073·88	3691·69	5216·24	43981·81

परिशिष्ट 'ज'

लोक वित्तीय संस्थाओं से रियायती दर पर वित्तीय सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित पात्र, जिलों/क्षेत्रों की समेकित सूची

राज्य	चुने हुए जिले
1. आन्ध्र प्रदेश	अनन्तपुर, चित्तूर, कुड्डपा, करीमनगर, खम्माम, कुरनूल, महबूबनगर, मेडक, नालगोंडा, नेलौर, निजामाबाद, ओंगल, श्रीकाकुलम और वारंगल।
2. असम	कछार*, गोलपारा*, कामरूप*, मिकिर हिल्स*, उत्तरी कछार हिल्स*, नवगंग तथा नया लखिमपुर जिला*।
3. बिहार	भागलपुर*, चम्पारन*, दरभंगा*, मुजफ्फरपुर, पालमाऊ*, पूर्णिया, सहर्ष* संथाल परगना*, और सरन।
4. गुजरात	अमरेली, बंसकण्ठ, भावनगर, बढ़ौच*, जूनागढ़, कच्छ, मेहसाना, पंचमहल्स*, सबरकंठ तथा सुरेन्द्रनगर*।
5. हरियाणा	हिसार, जींद तथा मोहेन्द्रगढ*।
6. हिमाचल प्रदेश	चम्बा, काँगड़ा*, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल तथा स्पिति, सिरमूर* और सोलन*।
7. जम्मू व कश्मीर	अनन्तनाग*, बारामूला*, डोडा*, जम्मू*, कथुवा, लद्दाख, पूंछ*, राजौरी, श्रीनगर* तथा उधमपुर।
8. केरल	ऐलैपी*, कन्नानोर*, मालापुरम*, त्रिचूर तथा त्रिवेन्द्रम।
9. मध्य प्रदेश	बालाघाट, बस्तर, बेतुल, बिलासपुर, भीड, छत्तरपुर, चिदवाड़ा, दमोह, दतिया, धर, देवस, गूना, होसगाबाद, झलुआ, खरगाँव, मांडला, मंदसौर, मोरैणा, नरसिंहपुर, पन्ना, रायगढ़, रायपुर, राजगढ़, रायसन, रतलाम, रीवा, सागर, स्योनी, साजापुर, शिवपुरी, सिद्धी, सरगूजा, टिक्कमगढ़, बिदिश तथा सेहोर।
10. महाराष्ट्र	औरंगाबाद*, भंडारा, भीर, बुलडाना, चन्द्रपुर*, कोलावा, धुलिया, जलगाँव, नांदेद, ओसमानाबाद, प्रभानी, रत्नागिरि* और योतमल।
11. मणीपुर	सभी पाँचो जिले*।
12. मेघालय	गारोहिल्स*, तथा संयुक्त खासी तथा जयन्तिया हिल्स*।
13. मैसूर	बेलगाँव, बिदार, बीजापुर, धारवाड़*, गुलबर्ग, हसन, मैसूर*, उत्तरी कनारा, रायचुर*, दक्षिणी कनारा तथा टुंकुर।
14. नागालैण्ड	कोहिमा*, मीकोकचंग* तथा तेनसंग*।
15. उड़ीसा	बालासोर, बोलंगीर*, धेनकनल*, कालाहाँडी*, क्योनझर*, कोरापुट*, मयूरभंज* तथा फुलभानी।
16. पंजाब	भटिंडा, गुरदासपुर, होशियारपुर* तथा संगरुर*।
17. राजस्थान	अलवर*, बंसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा*, चुरु*, डुंगरपुर, जयसलमेर जेलौर, झुनझुनू, झालवाड़ा, जोधपुर*, नागोर*, सीकर, सिरोही, टोंक तथा उदयपुर*।
18. तमिलनाडू	धर्मापुरी, कन्याकुमारी, मदुरई, उत्तरी अरकोट, रामानाथापुरम, दक्षिणी अरकोट, धंजाबुर और तिरुचेरापल्ली।
19. त्रिपुरा	सभी तीनों जिले*
20. उत्तर प्रदेश	अल्मोड़ा*, आजमगढ़, बदायूं बढ़ैच, बलिया*, बाँदा, बाराबंकी, बस्ती* बुलन्दशहर, चमोली, देवरिया, ईटा, इटावा, फैजाबाद*, फरुखाबाद, फतेहपुर, गढ़वाल, गाजीपुर, गोंडा, हमीरपुर, हरदोई, जलोन, जौनपुर, झांसी*, मैनपुरी, मथुरा, मुरादाबाद, पीलीभीत, पिथौरागढ़, प्रतापगढ़, रायबरेली*, शाहजहानपुर, सुलतानपुर, टेहरी गढ़वाल, उन्नाव तथा उत्तरकाशी।

परिशिष्ट 'ज' —(जारी)

21. पश्चिमी बंगाल	बांकुरा, भिरभूम, बुर्दवान, कूचबिहार, दार्जिलिंग, हुगली, जलपाईगुड़ी, मालदा, मिदनापुर*, मुर्शिदाबाद, नदिया*, पुरुलिया*, तथा पश्चिमी दिनाजपुर।

केन्द्र प्रशासित क्षेत्र

1. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह*	सम्पूर्ण क्षेत्र
2. अरुणाचल प्रदेश*	सम्पूर्ण क्षेत्र
3. दादरा और नागर हवेली*	सम्पूर्ण क्षेत्र
4. गोआ, दमन और दियु*	सम्पूर्ण क्षेत्र
5. लकादीव, अमीनदीव और मिनिकाय द्वीपसमूह*	सम्पूर्ण क्षेत्र
6. मिजोरम*	सम्पूर्ण क्षेत्र
7. पांडीचेरी*	सम्पूर्ण क्षेत्र

*ये जिले/क्षेत्र केन्द्रीय सरकार की निवेश आर्थिक सहायता के पात्र हैं।

टिप्पणियां :

(i) **आन्ध्र प्रदेश**

दो क्षेत्र : रायलसीमा खण्ड के 13 ब्लाकों वाला एक क्षेत्र अर्थात् चन्द्रागिरि ब्लाक (चित्तूर जिला) प्रोद्दतूर, कमलापुरम, कुडापा, पुली वेन्दला, राजमपेट, कोडूर तथा सिधोत ब्लाक (जिला कुडापा) सिंहमाला, तदी पत्री तथा कुट्टी ब्लाक (अनन्तपुर जिला) कुरनूल और धोन ब्लाक (कुरनूल जिला) अन्य तेलांगाना खण्ड के 16 ब्लाकों वाला क्षेत्र, सिद्दीपेत (मेढ़क जिला) पेडापल्ली, सुल्तानाबाद, करीमनगर, तथा हजूराबाद ब्लाक (करीमनगर जिला) हनम कोंडा, नरसिंहपेट तथा महबूबाबाद ब्लाक (वारांगल जिला) खम्माम तथा तिरुमलयपलम, ब्लाक (खम्माम जिला) सूर्यपेट, नलगोंडा, मुलुगुडा तथा मकरेकल ब्लाक (नलगोंडा जिला) कल्वाकुर्टी तथा अमंगल ब्लाक (महबूबनगर जिला) केन्द्रीय सरकार की सहायता के पात्र हैं।

(ii) **मध्य प्रदेश—**

छः क्षेत्र : 12 ब्लाकों वाला पूर्वी खण्ड से एक क्षेत्र अर्थात, कोरबा, बलोदा, चम्पा, कोटा, मस्तुरी, तथा बिल्हा खण्ड (बिलासपुर जिला) भटपाड़ा, सिंगा, तिल्दा, धरसिवा, (रायपुर) आभनपुर तथा रजिम ब्लाक (रायपुर जिला) तथा पश्चिमी खण्ड में 10 ब्लाकों वाला अन्य क्षेत्र, अर्थात देवस तथा टौंक ब्लाक (देवस जिला) गुलाना, सुजलपुर तथा साजापुर ब्लाक (साजापुर जिला) पछौर (सरंगपुर) तथा भियौरा ब्लाक (रायगढ़ जिला) तथा चचौरा, राघोगढ़ और गुना ब्लाक (गुना जिला), इन ब्लाकों वाला उत्तरी खंड, अर्थात शिवपुरी तथा करेड़ा (शिवपुरी जिला) दत्तिया तथा स्यौधा (दत्तिया जिला) भोंड, मेहगाँव और गोहद (भींड जिला) मोरेना और जोरा (मोरेना जिला), इन ब्लाकों वाला मध्य खंड—11 अर्थात्, बिना—इटावा, खुरई बेंडा (विनेका), राहतगढ़, सागर, शाहगढ़ (अमरभाऊ) (सागर जिला) टीकमगढ़ तथा बलदेवगढ़ (टीकमगढ़ जिला), विदिशा तथा गयारसपुर (विदिशा) (विदिशा जिला) तथा छत्तरपुर (छत्तरपुर जिला) इन ब्लाकों वाला पश्चिमी खण्ड—11 अर्थात् पेटलवाड़, मेघ नगर (झबुआ जिला) बदनावर, धार, नलचा (जिला धार) महेश्वर तथा बरवाहा (पश्चिमी निमार जिला) (खरगाँव), रतलाम तथा जोरा (रतलाम जिला) मंदसौर, मलहारगढ़ तथा नोमच (मंदसौर जिला) इन ब्लाकों वाला उत्तर-पूर्वी खंड अर्थात् रेवा तथा रायपुर (गढ़) (जिला रेवा), मझौली, सिद्धि, डूसर, तथा वैधान (सिद्धि जिला) संहत, बैकुंठपुर, मनेन्द्रगढ़, सूरजपुर तथा अम्बिकापुर (जिला सरगुजा) क्षेत्र केन्द्रीय सरकार की सहायता के पात्र हैं।

(iii) **तमिलनाडु —**

दस तालुको (उप-तालुकों सहित) वाला एक क्षेत्र, अर्थात् रामानाथापुरम, मदुकुलातुर, शिवगंगा, परमाकुडी, थिरुवदनी तथा थिरुपतुर तालुकें (जिला रामानाथापुरम) मैलूर तालुका (जिला मदूरई) थिरुमयम, अलागुडी और कुलातुर तालुकें (जिला त्रिरुचेरापली)। 9 तालुकों वाला दूसरा क्षेत्र, अर्थात् धर्मापुरी, होसूर, कृष्णागिरि, उधनगरई, वेल्लौर तथा वालाजपत (उत्तरी अरकोट जिला) 8 तालुकों वाला तीसरा क्षेत्र अर्थात्, अरपुकोटई, सत्तूर, श्रीविलीपल्लुर (रामानाथापुरम जिले का पश्चिमी रामानाथापुरम) थिरुमंगलम, नीला कोथई, डिंगीगुल तथा बेदासन्दुर तालुके (जिला मदुरई) क्षेत्र केन्द्रीय सरकार की सहायता के पात्र हैं।

(iv) क्रम-संख्या 4 और 7 केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में उनकी राजधानियों को नगरपालिका सीमाओं के भीतरी भाग को छोड़कर सम्पूर्ण जिले केन्द्रीय सरकार से आर्थिक सहायता के लिए पात्र हैं।

परिशिष्ट 'ख'

30 जून, 1973 तक निगम द्वारा वित्तपोषित 565 संस्थाओं की सूची

क्रम संख्या	संस्था का नाम	प्रथम बार मंजूर होने की तारीख	उद्योग समूह
	आन्ध्र प्रदेश		
1.	जैपुर सुगर कं०	10-11-55	चीनी
2.	के० सी० पी० लि०	10-11-55	चीनी, सीमेंट
3.	चल्लापल्ली सुगर लि०	1-2-56	चीनी
4.	श्री अक्कामम्बा टेक्सटाइल्स लि०	3-5-56	सूती वस्त्र
5.	तिरुपती काटन मिल्स लि०	30-10-56	सूती वस्त्र
6.	सर्वेराया टैक्सटाइल्स लि०	2-4-57	सूती वस्त्र
7.	श्री सर्वेराया सुगर्स लि०	23-4-58	चीनी
8.	अमादलावल्सा कोप० एग्री० एण्ड इन्डिस्ट्रियल सो० लि०	26-10-59	चीनी
9.	चोदावरम कोप० एग्री० एण्ड इन्डिस्ट्रियल सोसायटी लि०	26-10-59	चीनी
10.	पलाकोल कोप० एग्रीकल्चर एण्ड इन्डिस्ट्रियल सोसायटी लि०	31-3-60	चीनी
11.	चित्तूर कोप० सुगर्स लि०	28-4-60	चीनी
12.	सिपको लि०	29-10-60	घड़ियाँ तथा क्लाक
13.	पनयम सीमेन्टस् एण्ड मिनरल इन्डस्ट्रीज लि०	27-4-61	सीमेंट
14.	निजामाबाद कोप० सुगर फैक्टरी लि०	26-8-61	चीनी
15.	आँध्रा सुगर्स लि०	30-5-63	मूलधातु रसायन
16.	हिन्दुस्तान पौल्यमर्स लि०	27-6-63	कृत्रिम रेसिन्ज तथा प्लास्टिक सामान
17.	पेनन्युन टैक्सटाइल्स लि०	28-12-63	सूती वस्त्र
18.	कोरोमन्डल फर्टिलाइजर्स लि०	28-12-63	उर्वरक
19.	आँध्राफाउन्ड्री एण्ड मशीन कं० लि०	26-3-64	लोहा तथा इस्पात
20.	तेलेन्गाना स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०	26-3-64	सूती वस्त्र
21.	सिरपुर पेपर मिल्स लि०	29-9-61	कागज
22.	आंन्ध्रा काटन मिल्स लि०	29-10-64	सूती वस्त्र
23.	विजय स्पिनिंग मिल्स लि०	29-10-64	सूती वस्त्र
24.	मदनापल्ले स्पिनिंग मिल्स लि०	29-4-64	सूती वस्त्र
25.	आंध्रा प्रदेश पेपर्स मिल्स लि०	28-4-66	कागज तथा कागज उत्पाद
26.	मोपेड्स इण्डिया लि०	27-10-66	मोटर साइकिल, स्कूटर तथा कल पुर्जे
27.	राजाहमुंदरी कोप० स्पिनिंग मिल्स लि०	26-12-68	सूती वस्त्र
28.	करीमनर कोप० स्पिनिंग मिल्स लि०	31-12-69	सूती वस्त्र
29.	नेलोर कोप० स्पिनिंग मिल्स लि०	31-12-69	सूती वस्त्र
30.	ऐसोसिएटेड ग्लास इन्डस्ट्रीज लि०	29-1-70	कांच
31.	वेस्ट गोदावरी कोप० सुगर्स लि०	30-9-70	चीनी
32.	कैपिटल लाइटिंग एण्ड इलैक्ट्रोनिक प्रोडक्ट्स लि०	25-5-72	बिजली मशीनरी तथा उपस्कर
33.	जय इंजीनियरिंग वर्क्स लि०	25-5-72	औद्योगिक तथा अन्य मशीनरी और पुर्जे
34.	नैलीमरला जूट मिल्स लि०	30-11-72	पटसन वस्त्र
35.	डोल्फिन होटल्स लि०	28-6-73	होटल
36.	सूर्यलक्ष्मी काटन मिल्स लि०	28-6-73	सूती वस्त्र
	आसाम		
1.	आसाम कोप० सुगर मिल्स लि०	26-6-56	चीनी
2.	आसाम हार्डबोर्ड्स लि०	28-1-61	लकड़ी तथा लकड़ी उत्पाद
3.	एसोसिएटेड इन्डस्ट्रीज (आसाम) लि०	28-1-61	सूती वस्त्र/उर्वरक
4.	आइल इंडिया लि०	29-9-62	कच्चा पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस
5.	आसाम कोप० जूट मिल्स लि०	26-6-69	पटसन वस्त्र
6.	अशोक पेपर मिल्स लि०	30-3-72	कागज तथा कागज उत्पाद

1	2	3	4
	बिहार		
1.	सोदेपुर ग्लास वर्क्स लि०	29-12-48	कांच
2.	हिन्दुस्तान जनरल इलैक्ट्रिकल कारपोरेशन लि०	15-4-50	रेडियो सेट तथा साज सामन
3.	कल्याणपुर लाइम एण्ड सीमेन्ट वर्क्स लि०	8-8-53	सीमेंट
4.	रोहताश इन्डस्ट्रीज लि०	22-5-54	कागज तथा कागज उत्पाद
5.	अशोका सीमेंट्स लि०	25-6-55	सीमेंट
6.	बिहार फायरब्रिक्स एण्ड पोटरीज लि०	25-6-55	मृतिका शिल्प
7.	नार्थ बिहार शुगर मिल्स लि०	10-11-55	चीनी
8.	इंडो-एसाही ग्लास कं० लि०	29-6-57	कांच
9.	ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कं० लि०	25-9-59	लोकोमोटिव तथा रेलवे वैगन
10.	अशोक पेपर मिल्स लि०	19-12-59	कागज तथा कागज उत्पाद
11.	इंडिया फायरब्रिक्स एण्ड इन्सुलेशन कं० लि०	29-11-60	विविध मृतिका शिल्प
12.	ठाकुर पेपर मिल्स लि०	29-12-60	कागज तथा कागज उत्पाद
13.	ऐशियन रिफ्रेक्ट्रीज लि०	28-1-61	विविध मृतिका शिल्प
14.	बिहार कोप० वीवर्स स्पिनिंग मिल्स लि०	27-4-61	सूती वस्त्र
15.	आसाम सिल्कीमैनाईट लि०	20-10-61	कृत्रिम सिल्क
16.	श्रीराम बियरिंग्स लि०	30-11-61	औद्योगिक मशीनरी तथा उपस्कर
17.	ओरियन्टल कोल कं० लि०	26-7-62	कोयला खान
18.	महालक्ष्मी फायब्रस एण्ड इंडस्ट्रीज लि०	30-9-63	सूती वस्त्र
19.	ऐसोशियेटेड सीमेंट कम्पनीज लि०	28-12-64	सीमेंट
20.	पूर्निया कोप० सुगर फैक्टरी लि०	27-1-65	चीनी
21.	हनुमान सुगर इंडस्ट्रीज लि०	27-5-65	चीनी
22.	टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कं० लि०	28-6-65	मोटर गाड़ियां तथा पुर्जे
23.	डुमरो टैक्सटाइल्स लि०	26-5-66	सूती वस्त्र
24.	टाटा योदोगावा लि०	27-6-68	लोहा तथा इस्पात
25.	टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० लि०	27-8-70	लोहा तथा इस्पात
26.	बिहार अलाय स्टील्स लि०	16-1-71	लोहा तथा इस्पात
27.	उषा अलायज एण्ड स्टील्ज लि०	30-8-72	लोहा तथा इस्पात
28.	भारत रबर रिजनरेटिंग कं० लि०	30-11-72	रबर उत्पाद
	गुजरात		
1.	सूरत टैक्सटाइल मिल्स लि०	16-8-49	सूती वस्त्र
2.	महेन्द्रा मिल्स लि०	10-6-50	सूती वस्त्र
3.	दिगविजय सीमेंट कं० लि०	4-11-50	सीमेंट
4.	दिगविजय वूलन मिल्स लि०	9-12-50	ऊनी वस्त्र
5.	ध्रांगधरा केमिकल वर्कस लि०	16-6-51	मूल औद्योगिक रसायन
6.	अरविंद बोर्डस् एण्ड पेपर प्रोडक्टस लि०	25-8-51	कागज तथा कागज उत्पाद
7.	श्री खेवुत एस० के० यू० एम० लि०	6-8-55	चीनी
8.	भावनगर इलैक्ट्रिसिटी कं० लि०	29-9-56	बिजली उत्पादन, संचरण तथा वितरण
9.	प्रभा मिल्स लि०	10-1-57	सूती वस्त्र
10.	श्री विश्लेश्वर के० यू० के० एस० एम० लि०	27-2-58	चीनी
11.	बड़ौदा रेयन कारपोरेशन लि०	9-6-60	कृत्रिम तथा मानव निर्मित रेशे
12.	टेन्सिल स्टील लि०	29-3-61	धातु उत्पाद
13.	इन्डोक्विप इंजीनियरिंग लि०	29-3-62	औद्योगिक मशीनरी तथा उपस्कर
14.	एयर कंट्रोल एण्ड केमिकल इंजीनियरिंग कं० लि०	28-6-62	औद्योगिक मशीनरी तथा उपस्कर
15.	ग्लास लाइन्ड इक्विपमेंट कं० लि०	24-8-62	औद्योगिक मशीनरी तथा उपस्कर

1	2	3	4
16.	अनूप इंजीनियरिंग लि०	28-2-63	औद्योगिक मशीनरी तथा उपस्कर
17.	अरुणोदय मिल्स लि०	25-7-63	सूती वस्त्र
18.	एसोसिएटेड पल्प एण्ड पेपर मिल्स लि०	25-7-63	कागज तथा कागज उत्पाद
19.	कच्छ साल्ट एण्ड एलाइड इन्डस्ट्रीज लि०	31-1-64	मूल औद्योगिक रसायन
20.	सेन्ट्रल पल्प एण्ड पेपर मिल्स लि०	26-3-64	कागज तथा कागज उत्पाद
21.	गुजरात मशीनरी मैन्यु० लि०	30-4-64	औद्योगिक मशीनरी तथा उपस्कर
22.	वुड पौलेमर्स लि०	26-11-64	लकड़ी तथा लकड़ी उत्पाद
23.	एसोसिएटेड सीमेन्ट कम्पनीज लि०	28-12-64	सीमेंट
24.	सौराष्ट्र सीमेंट एण्ड कैमीकल्स लि०	27-1-65	सीमेंट
25.	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कं० लि०	29-4-65	उर्वरक, कृत्रिम रेजिन्स तथा प्लास्टिक सामान
26.	राजप्रकाश स्पिनिंग मिल्स लि०	27-5-65	सूती वस्त्र
27	गुजरात इंडस्ट्रियल ट्रक्स लि०	25-11-65	औद्योगिक मशीनरी तथा उपस्कर
28	न्यू फोरोक स्पिनिंग एण्ड मैन्यु० कं० लि०	24-2-66	सूती वस्त्र
29	टाटा कैमिकल्स लि०	28-4-66	मूल औद्योगिक रसायन
30	माधो विभाग एस० के० यू० एम० लि०	29-8-67	चीनी
31.	उमा तालुका एस० के० यू० एम० लि०	29-8-67	चीनी
32.	सूरत डिस्ट्रिक्ट कोप० स्पिनिंग मिल्स लि०	30-11-67	सूती वस्त्र
33	नर्मदा रू उत्पादकों की सहकारी स्पिनिंग मिल्स कं० लि०	1-2-68	सूती वस्त्र
34.	अलेम्बिक केमिकल वर्क्स कं० लि०	29-2-68	विविध रसायन तथा रसायन उत्पाद
35.	सेल्यूलोज प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया लि०	31-10-68	कागज तथा कागज उत्पाद
36.	सहकारी खांड उद्योग मंडल लि०	28-2-69	चीनी
37.	प्रिसिजन बियरिंग्ज इण्डिया लि०	30-10-70	औद्योगिक मशीनरी तथा उपस्कर
38.	गुजरात पौल्यामाइड्स लि०	16-1-71	कृत्रिम तथा मानव निर्मित रेशे
39.	अमरेली सहकारी कृषि खांड उद्योग लि०	25-2-71	चीनी
40.	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोप० लि०	29-7-71	उर्वरक
41.	सरदार बल्लभभाई पटेल खांड उद्योग कोपरेटिव सोसायटी लि०	27-9-71	चीनी
42.	इरोकोट (इण्डिया) लि०	27-4-72	कागज तथा कागज उत्पाद
43.	श्री चाल्थन विभाग खांड उद्योग सहकारी मंडली लि०	27-7- 2	चीनी
44.	ओरियन्ट ऐब्रेसिव्ज लि०	26-4-73	एब्रेसिव्ज

हरियाणा

1	2	3	4
1.	भारत स्टार्च एण्ड कैमिकल्स लि०	16-2-49	विविध रसायन तथा रसायन उत्पाद
2.	एटलस साइकिल इण्डस्ट्रीज लि०	25-10-52	बाइसाइकिल
3.	पंजाब क्लाथ मिल्स लि०	26-3-55	सूती वस्त्र
4.	हरियाणा कोप० सुगर मिल्स लि०	15-10-55	चीनी
5.	पानीपत कोप० सुगर मिल्स लि०	30-7-56	चीनी
6.	हिन्दुस्तान सैनिटरीवैयर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०	31-3-60	विविध अधातु खनिज उत्पाद
7.	हिन्दुस्तान कोकोकू वायर लि०	20-1-61	धातु उत्पाद
8.	उषा स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०	25-6-61	सूती वस्त्र
9.	एस्कोर्टस् लि०	26-10-61	बिजली मशीनरी/मोटर साइकिल तथा कल पुर्जे
10.	मिल्टन साइकिल इन्डस्ट्रीज लि०	12-11-62	बाइसाइकिल
11.	भारत स्टील ट्यूब्स लि०	30-9-63	लोहा तथा इस्पात
12.	रोहतक टैक्सटाइल मिल्स लि०	27-12-63	सूती वस्त्र
13.	सिकन्दस लि०	25-3-64	धातु उत्पाद
14.	उषा मोविंग्स एण्ड स्टेम्पिंग्ज लि०	29-10-64	धातु उत्पाद
15.	गोपीचन्द टेक्सटाइल मिल्स लि०	25-2-65	सूती वस्त्र
16.	बेहको इन्जीनियरिंग कं० लि०	28-4-66	औद्योगिक मशीनरी तथा उपस्कर

1	2	3	4
17.	ग्लोब यूनाइटेड इन्जीनियरिंग एण्ड फाउन्ड्री कं० लि०	27-1-67	लोहा तथा इस्पात
18.	टेलीसाउन्ड इन्डिया लि०	25-4-68	रेडियो रिसीविंग सेट तथा औजार
19.	केबल वर्क्स (इंडिया) लि०	30-10-68	बिजली मशीनरी तथा उपस्कर
20.	सोमानी पिलकिंगटन्स लि०	24-4-69	विविध अधातु खनिज उत्पाद
21.	एक्सेलसियर प्लान्टस् कारपोरेशन लि०	31-12-69	औद्योगिक मशीनरी तथा उपस्कर
22	डैपरो फूड्स लि०	30-7-70	विविध खाद्य उत्पाद
23.	एस्कोर्टस ट्रैक्टर्स लि०	27-8-70	कृषि औजार तथा पुर्जे
24.	यूनिवर्सल स्टील एण्ड एलायज लि०	28-8-71	लोहा तथा उत्पाद
25.	अमेरिकन यूनिवर्सल इलैक्ट्रिक (इंडिया) लि०	27-11-71	बिजली मशीनरी तथा उपस्कर
26.	वर्धमान स्पिनिंग एण्ड जनरल मिल्स लि०	27-11-71	लोहा तथा इस्पात
27.	जोतिन्द्रा स्टील एण्ड ट्यूब्स लि०	28-1-72	लोहा तथा इस्पात
28.	हरियाणा कोटेज पेपर्स लि०	27-4-72	कागज तथा कागज उत्पाद
29.	रेक्सर इण्डिया लि०	28-9-72	विविध रसायन तथा रसायन उत्पाद
30.	इण्डस्ट्रियल केबल्स (इण्डिया) लि०	30-11-72	धातु उत्पाद
31.	ज्ञान एग्रो इण्डस्ट्रीज लि०	25-1-73.	विविध रसायन तथा रसायन उत्पाद
	केरल		
1.	ट्रावनकोर ओगल ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कं० लि०	2-2-52	कांच
2.	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स (ट्रावनकोर) लि०	17-5-52	उर्वरक
3.	पुनालौर पेपर मिल्स लि०	21-11-53	कागज तथा कागज उत्पाद
4.	ट्रावनकोर टिटानियम प्रोडक्टस् लि०	21-11-53	विविध रसायन तथा रसायन उत्पाद
5.	वेस्ट्रन इण्डिया प्लाईवुड्स लि०	10-1-57	लकड़ी तथा लकड़ी उत्पाद
6.	ट्रावनकोर रेयन्स लि०	28-7-61	कृत्रिम तथा मानव निर्मित रेशे
7.	कोपरेटिव सुगर्स लि०	28-6-62	चीनी
8.	मन्नम सुगर मिल्स कोपरेटिव लि०	26-7-62	चीनी
9.	कोमिनीको विनानी जिंक लि०	25-7-63	अलौह धातुएं
10.	प्रीमियर केबल कं० लि०	28-11-63	इन्सूलेटड वायर तथा तारें
11.	ग्वालियर रेयन सिल्क मैन्युफैक्चरिंग (वीविंग) कं० लि०	26-11-64	कृत्रिम तथा अन्य मानव निर्मित रेशे
12.	मद्रास स्पिनर्स लि०	28-12-64	सूती वस्त्र
13.	प्रीमियर टायर्स लि०	28-12-65	रबर तथा रबर उत्पाद
14.	केरल रबर एण्ड रिक्लेम्स लि०	27-1-67	रबर उत्पाद
15.	केरल सोलवेंट एक्सट्रैक्शन्स लि०	28-8-69	विविध रसायन तथा रसायन उत्पाद
16.	ट्रेको केबल कम्पनी लि०	25-2-71	इंसुलेटेड वायर तथा तारें
17.	स्टील कम्पलैक्स लि०	30-3-72	लोहा तथा इस्पात
18.	इक्सल ग्लासेज लि०	25-5-72	कांच
19.	ट्रावनकोर कोचीन केमिकल्स लि०	29-6-72	मूल औद्योगिक रसायन
	मध्य प्रदेश		
1.	विनोद मिल्स कम्पनी लि०	26-4-62	सूती वस्त्र
2.	शा लाइनर लि०	29-3-63	विविध रसायन तथा रसायन उत्पाद
3.	बिरला जूट मैन्युफैक्चरिंग कं० लि०	30-5-63	सीमेंट
4.	निमार टेक्सटाइल लि०	29-8-63	सूती वस्त्र
5.	शमा फोर्ज कं० लि०	30-1-64	लोहा तथा इस्पात
6.	ग्वालियर रेयन सिल्क मैन्युफैक्चरिंग (वीविंग) कं० लि०	26-11-64	कृत्रिम तथा मानव निर्मित रेशे
7.	एसोसिएटेड सीमेंट कम्पनीज लि०	28-12-64	सीमेंट
8.	बिलासपुर स्पिनिंग मिल्स एण्ड इन्डस्ट्रीज लि०	25-3-65	सूती वस्त्र
9.	सेन्ट्रल इण्डिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कं० लि०	28-1-66	औद्योगिक मशीनरी तथा उपस्कर

1	2	3	4
10.	मोरेना मण्डल एस० एस० के० लि०	28–10–67	चीनी
11.	श्री सिंथेटिक्स लि०	30–4–70	कृत्रिम तथा अन्य मानव निर्मित रेशे
12.	कोपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि०	16–1–71	सूती वस्त्र
13.	ग्वालियर लैम्पस एण्ड इलैक्ट्रिकल्स लि०	25–5–72	बिजली उपस्कर तथा यन्त्र
	महाराष्ट्र		
1.	किरलोस्कर आयल इंजन्स लि०	14–10–48	औद्योगिक मशीनरी तथा उपस्कर
2.	नेशनल इलैक्ट्रिकल इन्डस्ट्रीज लि०	14–10–48	बिजली मशीनरी
3.	स्टैण्डर्ड बैटरीज लि०	26–11–48	बिजली मशीनरी
4.	कमानी मेटल्स एण्ड अलायज लि०	29–12–48	अलौह धातु
5.	करिसेंट आयरन एण्ड स्टील कारपोरेशन लि०	14–1–49	लोहा तथा इस्पात
6.	हिन्दुस्तान कैमिकल वर्क्स लि०	23–4–49	मूल औद्योगिक रसायन
7.	मुकुन्द आयरन एण्ड स्टील वर्कस लि०	16–8–49	लोहा तथा इस्पात
8.	लोकमान्य मिल्स बर्सी लि०	8–10–49	सूती वस्त्र
9.	पुलगांव काटन मिल्स लि०	20–1–50	सूती वस्त्र
10.	परवारा एस० एस० के० लि०	10–5–50	चीनी
11.	नेशनल रेयन कारपोरेशन लि०	10–6–50	कृत्रिम तथा मानव निर्मित रेशे
12.	हेंड मेड पेपर लि०	14–10–50	कागज तथा कागज उत्पाद
13.	सोलार बैटरीज एण्ड फ्लैशलाइटस लि०	14–10–50	बिजली मशीनरी
14.	मैचवेल इलैक्ट्रीकल (इण्डिया) लि०	4–11–50	बिजली मशीनरी
15.	ओगल ग्लास वर्क्स लि०	16–6–51	कांच
16.	प्रीमियर आटोमोबाइल लि०	16–6–51	मोटर गाड़ियां तथा पुर्जे
17.	स्वास्तिक रबर प्राडक्टस लि०	5–1–52	रबर उत्पाद
18.	पेपर एण्ड पल्प कन्वर्सन्स लि०	5–4–52	कागज तथा कागज उत्पाद
19.	सस्वद माली सुगर फैक्टरी लि०	5–4–52	चीनी
20.	सेन्ट्रल पोटरीज लि०	21–6–52	विविध अधातुखनिज उत्पाद
21.	रेमनार्ड रिसर्च लैबोरेट्रीज लि०	14–2–54	विविध निर्माण उद्योग
22.	गोदावरी सुगर मिल्स लि०	22–5–54	चीनी
23.	कोपर गांव एस० एस० के० लि०	31–7–54	चीनी
24.	राहुरी एस० एस० के० लि०	11–12–54	चीनी
25.	आटोमोबाइल प्राडक्टस आफ इण्डिया लि०	25–6–55	मोटर गाड़ियां तथा पुर्जे
26.	जे० के० केमिकल्स लि०	25–6–55	मूल औद्योगिक रसायन
27.	अशोक एस० ए० के० लि०	6–8–55	चीनी
28.	मेलैगांव एस० एस० के० लि०	6–8–55	चीनी
29.	गणेश एस० एस० के० लि०	15–10–55	चीनी
30.	श्रीराम एस० एस० के० लि०	17–12–55	चीनी
31.	गिरना एस० एस० के० लि०	2–3–56	चीनी
32.	भोगवती एस० एस० के० लि०	4–6–56	चीनी
33.	श्री वरना एस० एस० के० लि०	4–6–56	चीनी
34.	श्री पंचगंगा एस० एस० के० लि०	26–6–56	चीनी
35.	कृष्णा एस० एस० के० लि०	30–7–56	चीनी
36.	गंगापुर सुगर मिल्स लि०	30–7–56	चीनी
37.	छत्रपति शिवाजी एस० एस० के० लि०	30–10–56	चीनी
38.	सेतकारी एस० एस० के० लि०	16–5–57	चीनी
39.	खंडेलवाल फेरी अलायज लि०	24–12–58	फेरो अलायज
40.	जी एल० होटल्स लि०	28–7–60	होटल
41.	खंडेलवाल उद्योग लि०	24–8–60	धातु उत्पाद
42.	पोलिकैम लि०	12–1–61	कृत्रिम रेसिन्स तथा प्रलास्टिक सामान

1	2	3	4
43.	कुम्भी केसरी एस० एस० के० लि०	25–5–61	चीनी
44.	चित्तल सूगर वर्क्स लि०	28–7–61	चीनी
45.	डक्कन कोपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि०	28–7–61	सूती वस्त्र
46.	श्री सोमेश्वर एस० एस० के० लि०	28–9–61	चीनी
47.	यशवन्त एस० एस० के० लि० (अकलुज)	30–1–62	चीनी
48.	संजीवनी (तकली) एस० एस० के० लि०	1–3–62	चीनी
49.	श्री दुधगंगा वेदगंगा एस० एस० के० लि०	29–3–62	चीनी
50.	निफाद एस० एस० के० लि०	28–9–62	चीनी
51.	महिन्द्रा युगाइल स्टील कं० लि०	28–9–62	लोहा तथा इस्पात
52.	एशियन केबल कारपोरेशन लि०	27–12–62	बिजली मशीनरी
53.	बाम्बे वायर रोप्स लि०	30–1–63	धातु उत्पाद
54.	शमशेर स्ट्रलिंग केबल कारपोरेशन लि०	29–3–63	बिजली मशीनरी तथा उपस्कर
55.	ग्लोव आटो इलैक्ट्रिकल्स लि०	26–4–63	मोटर गाड़ियां तथा पुर्जे
56.	इण्डियन टूल मैन्यूफैक्चरर्स लि०	30–5–63	औद्योगिक मशीनरी तथा उपस्कर
57.	फर्थ (इण्डिया) स्टील कं० लि०	29–8–63	लोहा तथा इस्पात
58.	भारत फोर्ज कं० लि०	29–8–63	लोहा तथा इस्पात
59.	बजाज टैम्पो लि०	30–9–63	मोटर गाड़ियां तथा पुर्जे
60.	मोहता एण्ड हैक्स लि०	31–10–63	धातु उत्पाद
61.	होएस्ट-ओ-मैक लि०	31–10–63	औद्योगिक मशीनरी तथा उपस्कर
62.	शाह कन्शट्रक्शन्स कं० लि०	28–12–63	औद्योगिक मशीनरी तथा उपस्कर
63.	वैस्ट इण्डिया केमिकल्स लि०	31–1–64	उर्वरक
64.	ग्लास कारबोयज एण्ड प्रेस्डवैयर्स लि०	31–1–64	कांच
65.	इण्डियन प्लास्टिक्स लि०	29–9–64	कृत्रिम रेसिन्ज तथा प्लास्टिक सामान
66.	एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनीज लि०	28–12–64	सीमेंट
67.	स्काटिस इण्डियन मशीन टूल्ज लि०	28–12–64	औद्योगिक मशीनरी तथा उपस्कर
68.	सेन्ट्रल इण्डिया स्पिनिंग, वीविंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि०	27–1–65	सूती वस्त्र
69.	हेरडिलिया केमिकल्स लि०	25–2–65	मूल औद्योगिक रसायन
70.	बाम्बे मैलेबल आयरन कास्टिंग्ज एण्ड एलायड इन्डस्ट्रीज लि०	29–7–65	लोहा तथा इस्पात
71.	नेशनल आर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज लि०	29–9–65	मूल औद्योगिक रसायन
72.	पोलिलेफाइन इंडस्ट्रीज लि०	29–9–65	कृत्रिम रेसिन्ज तथा प्लास्टिक सामान
73.	बाम्बे सुबरबन इलैक्ट्रीक सप्लाई लि०	28–10–65	बिजली उत्पादन, संचरण तथा वितरण
74.	एग्रीकल्चरल डिस्कस (इण्डिया) लि०	25–11–65	कृषि औजार तथा पुर्जे
75.	सोलिड कन्टेनर्स लि०	25–11–65	कागज तथा कागज उत्पाद
76.	पद्मजी पल्प एण्ड पेपर मिल्स लि०	30–12–65	कागज तथा कागज उत्पाद
77.	रेमन एण्ड डैम लि०	28–1–66	मोटर गाड़ियां तथा पुर्जे
78.	सी० टी० आर० मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लि०	24–2–66	औद्योगिक मशीनरी तथा उपस्कर
79.	टाटा मरलिन एण्ड गेरिन लि०	24–2–66	बिजली मशीनरी तथा कल-पुर्जे
80.	जनरल इलैक्ट्रोडस एण्ड इक्युपमेंटस् लि०	30–11–66	बिजली मशीनरी तथा उपस्कर
81.	इमिको ट्रांसफारमर्स लि०	27–1–67	बिजली मशीनरी तथा उपस्कर
82.	आन्ध्रा वैली पावर सप्लाई कं० लि०	30–3–67	बिजली उत्पादन, संचरण तथा वितरण
83.	टाटा पावर कं० लि०	30–3–67	बिजली उत्पादन, संचरण तथा वितरण
84.	बहको तपारिया टूल्स लि०	27–4–67	धातु उत्पाद
85.	रुबी मिल्स लि०	27–4–67	सूती वस्त्र
86.	कालाम्भर विभाग एस० एस० के० लि०	30–11–67	चीनी
87.	टेरना सहकारी एस० एस० के० लि०	30–11–67	चीनी
88.	यशवन्त एस० एस० के० लि० (थियुर)	30–5–68	चीनी
89.	कोल्हापुर जिला सेतकारी विकारी सहकारी सूत गिरनी लि०	27–6–68	सूती वस्त्र

1	2	3	4
90.	इण्डियन अलमिनियम कं० लि०	25–7–68	अलौह धातुएं
91.	बल्लारपुर पेपर एण्ड स्ट्रा बोर्ड मिल्स लि०	29–8–68	कागज तथा कागज उत्पाद
92.	ग्लेक्सो लेबोरेट्रीज (इंडिया) लि०	31–10–68	विविध रसायन तथा रसायन उत्पाद
93.	श्री पंजाराकन एस० एस० के० लि०	31–10–68	चीनी
94.	जवाहर कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि०	31–10–68	सूती वस्त्र
95.	योतमल जिला सहकारी सूत व कपाड गिरनी लि०	31–10–68	सूती वस्त्र
96.	नीडल रोलर बियरिंग कं० लि०	28–11–68	औद्योगिक मशीनरी तथा उपस्कर
97.	पूना इंडस्ट्रीयल होटल्स लि०	28–11–68	होटल
98.	भारत काटन ग्रोवर्स कोपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि०	26–12–68	सूती वस्त्र
99.	टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कं० लि०	26–6–69	औद्योगिक मशीनरी तथा उपस्कर
100.	विश्वास एस० एस० के० लि०	26–6–69	चीनी
101.	जलगांव काटन ग्रोवर्स कोपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि०	25–9–59	सूती वस्त्र
102.	कनोरिया हेकाक सेन्डरसन लि०	6–11–69	औद्योगिक मशीनरी तथा उपस्कर
103.	स्पोरिक्स इंडिया लि०	6–11–69	विविध अधातु, खनिज उत्पाद
104.	श्री गोडा एस० एस० के० लि०	27–11–69	चीनी
105.	औरंगाबाद जिला सहकारी सूत गिरनी लि०	31–12–69	सूती वस्त्र
106.	इंडियन स्टैन्डर्ड मेटल कं० लि०	31–12–69	अलौह धातु
107.	राहुरी तालुका शेतकारी सहकारी सूत गिरनी मर्यादित (लि०)	25–6–70	सूती वस्त्र
108.	गंगापुर एस० एस० के० लि०	30–7–70	चीनी
109.	टैक्सटाइल कारपोरेशन आफ मराठवाड़ा लि०	30–7–70	सूती वस्त्र
110.	एस्ट्रैला बैटरीज लि०	27–8–70	बिजली मशीनरी तथा उपस्कर
111.	गारबारे नाइलोन्स लि०	31–10–70	कृत्रिम तथा अन्य मानव निर्मित रेशे
112.	अन्टीफ्रिक्शन बियरिंगज कारपोरेशन लि०	26–11–70	औद्योगिक मशीनरी तथा उपस्कर
113.	श्री दत्ता सेतकारी एस० एस० के० लि०	26–11–70	चीनी
114.	प्रीमियर सिन्थेटिक प्रोसेसर्ज लि०	25–3–71	सूती वस्त्र
115.	जीजामाता एस० एस० के० लि०	27–11–71	चीनी
116.	ग्लोब स्टियरिंग्ज लि०	28–1–72	मोटर गाड़ियां तथा पुर्जे
117.	श्री सतपुड़ा तपी परिसर एस० एस० के० लि०	28–1–72	चीनी
118.	सेवनसीज ट्रांसपोर्टेशन लि०	24–2–72	नौपरिवहन
119.	नासिक डिस्ट्रिक्ट कोपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि०	30–3–72	सूती वस्त्र
120.	सेतकारी एस० एस० के० लि०	30–3–72	चीनी
121.	मोटर इंडस्ट्रीज कं० लि०	25–5–72	मोटर गाड़ियां तथा पुर्जे
122.	श्री शंकर एस० एस० के० लि०	25–5–72	चीनी
123.	सह्यादरी एस० ए० के० लि०	27–7–72	चीनी
124.	वसन्त एस० एस० के० लि०	30–8–72	चीनी
125.	भारत गियर्स लि०	28–9–72	मोटर गाड़ियां तथा पुर्जे
126.	सिद्देश्वर एस० एस० के० लि०	26–10–72	चीनी
127.	अकोला सहकारी सूत गिरनी लि०	30–11–72	सूती वस्त्र
128.	बाला साहेब देसाई एस० एस० के० लि०	28–12–72	चीनी
129.	कनड एस० एस० के० लि०	25–1–73	चीनी
130.	ग्राहम फर्थ स्टील प्राडक्टस (इंडिया) लि०	28–2–73	लोहा तथा इस्पात
131.	बुको-बुल्फ न्यू इंडिया इंजीनियरिंग वर्क्स लि०	29–3–73	औद्योगिक मशीनरी तथा उपस्कर
132.	टाटा हाइड्रो-इलैक्ट्रीक पावर सप्लाई कं० लि०	29–3–73	बिजली उत्पादन, संचरण तथा वितरण
133.	विनायक एस० एस० के० लि०	31–5–73	चीनी
134.	महिन्द्रा सिन्टर्ड प्राडक्टस लि०	28–6–73	मोटर गाड़ियां तथा पुर्जे

1	2	3	4
	मैसूर		
1.	सियूड्स एण्ड लेदरेट्स लि०	25–8–51	रबर उत्पाद
2.	मैसूर पेपर मिल्स लि०	5–1–52	कागज तथा कागज उत्पाद
3.	मैसूर इलैक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज लि०	2–2–52	बिजली मशीनरी तथा उपस्कर
4.	मैसूर ग्लास एण्ड इनामल वर्क्स लि०	5–4–52	कांच
5.	मैसूर किरलोस्कर लि०	21–6–52	औद्योगिक मशीनरी तथा उपस्कर
6.	सुन्दत्ता फूड्स फाइबर्स लि०	13–3–53	विविध रसायन तथा रसायन उत्पाद
7.	किरलोस्कर इलेक्ट्रीक कं० लि०	11–4–53	बिजली मशीनरी तथा उपस्कर
8.	कनारा वर्कशाप्स लि०	26–12–53	मोटर गाड़ियां तथा पुर्जे
9.	सिरेमिक प्राडक्ट्स लि०	26–12–53	विविध अधातु खनिज उत्पाद
10.	उगर शुगर वर्क्स लि०	27–9–54	चीनी
11.	वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लि०	25–6–55	कागज तथा कागज उत्पाद
12.	वेलारी सेन्ट्रल कोपरेटिव स्टोर्स लि०	4–6–56	चीनी
13.	देवनगीर काटन मिल्स लि०	2–4–57	सूती वस्त्र
14.	पांडवपुर एस० एस० के० लि०	27–2–58	चीनी
15.	मंड्य नेशनल पेपर मिल्स लि०	26–3–58	कागज तथा कागज उत्पाद
16.	श्री हिरण्यकेशी एस० एस० के० नियमित	31–3–60	चीनी
17.	चमुन्दी केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०	27–4–61	उर्वरक
18.	धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट कोपरेटिव आयल सीड्स प्रोसेसिंग सोसायटी लि०	1–3–62	विविध रसायन तथा रसायन उत्पाद
19.	मैसूर सीमेन्ट्स लि०	28–2–63	सीमेन्ट
20.	दीपक इन्सुलेटेड केबल कारपोरेशन लि०	30–9–63	इंसुलेटेड वायर तथा तारें
21.	गौरीविदानौर एस० एस० के० लि०	28–12–63	चीनी
22.	मैसूर एसीटेट एण्ड केमिकल्स लि०	30–7–64	कृत्रिम रेसिन्स तथा प्लास्टिक्स सामान
23.	एसोसियेटेड सीमेन्ट कम्पनीज लि०	28–12–64	सीमेन्ट
24.	श्री वेलियपा टेक्सटाइल्स लि०	27–1–65	सूती वस्त्र
25.	बिदार एस० एस० के० लि०	28–4–66	चीनी
26.	बंगलौर वुलन, काटन एण्ड सिल्क मिल्स लि०	27–1–67	सूती वस्त्र
27.	श्री मालप्रभा कोपरेटिव सुगर फैक्टरी लि०	1–2–68	चीनी
28.	वाणिविलास कोपरेटिव सुगर फैक्टरी लि०	28–3–68	चीनी
29.	इण्डियन अलमोनियम कं० लि०	25–7–68	अलौह धातुएं
30.	बीजापुर कोपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि०	31–1–69	सूती वस्त्र
31.	वी० एस० टी० टिलर्स ट्रैक्टर्स लि०	30–1–69	कृषि औजार तथा पुर्जे
32.	कोपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि०	28–2–69	सूती वस्त्र
33.	कमानी मेटल्स एण्ड अलायज लि०	26–6–69	अलौह धातु
34.	श्री दूधगंगा कृष्णा एस० एस० के० नियमित	31–10–70	चीनी
35.	एन० जी० ई०एफ० लि०	30–4–71	बिजली मशीनरी तथा उपस्कर
36.	मैंगलोर केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०	27–4–72	उर्वरक
37.	मोटर इंडस्ट्रीज कं० लि०	25–5–72	मोटर गाड़ियां तथा पुर्जे
38.	सूरी एण्ड नायर लि०	29–6–72	लोकोमोटिव रेलवे वैगन तथा पुर्जे
39.	वैल्कास्ट स्टील्स लि०	26–10–72	औद्योगिक मशीनरी तथा उपस्कर
40.	श्री चमुण्डेश्वरी सूगर्स लि०	25–1–73	चीनी
41.	चित्रदुर्गा कापर कं० लि०	26–2–73	तांबा धातु खान
42.	साउदर्न एसबैस्टस लि०	28–2–73	सीमेन्ट
43.	पन्यम सीमेन्टस् एंड मिनरल इंडस्ट्रीज लि०	26–4–73	विविध रसायन तथा रसायन उत्पाद

1	2	3	4
44.	गंगावती सुगर्स लि०	31–5–73	चीनी
45.	मैसूर पैट्रोकेमिकल्स लि०	28–6–73	मूल औद्योगिक रसायन
	मेघालय		
1.	आसाम सीमेन्टस् लि०	30–1–62	सीमेंट
	नागालैण्ड		
1.	नागालैण्ड सूगर मिल्स कं० लि०	28–9–72	चीनी
	उड़ीसा		
1.	उड़ीसा टैक्सटाइल मिल्स लि०	7–3–49	सूती वस्त्र
2.	उड़ीसा सीमेंट लि०	19–6–54	सीमेंट/विविध अधातु खनिज उत्पाद
3.	जैपोर सूगर कं० लि०	29–6–57	अलौह धातु
4.	कलिंगा ट्यूब्स लि०	27–6–58	लोहा तथा इस्पात
5.	स्ट्रा प्रोडक्टस लि०	20–6–59	कागज तथा कागज उत्पाद
6.	आसका कोपरेटिव सुगर इंडस्ट्रीज लि०	29–11–60	चीनी
7.	उड़ीसा इंडस्ट्रीज लि०	29–11–60	विविध अधातु खनिज उत्पाद
8.	इण्डियन मैटल्स एण्ड फेरो अलायज लि०	25–7–63	अलौह धातु
9.	भास्कर टैक्सटाइल्स मिल्स लि०	29–8–63	सूती वस्त्र
10.	ओरियन्ट पेपर मिल्स लि०	29–9–64	कागज तथा कागज उत्पाद
11.	जयश्री केमिकल्स लि०	25–3–65	मूल औद्योगिक रसायन
12.	उड़ीसा वीवर्स को० स्पिनिंग मिल्स लि०	28–6–65	सूती वस्त्र
13.	बरगढ़ कोपरेटिव सूगर मिल्स लि०	24–4–69	चीनी
14.	अलमोनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०	25–2–71	अलौह धातु
15.	बोलानी ओरस लि०	24–2–72	लोहा धातु खान
	पंजाब		
1.	पानीपत वुलन एण्ड जनरल मिल्स कं० लि०	28–3–49	सूती तथा ऊनी वस्त्र
2.	श्री भवानी काटन मिल्स लि०	21–5–55	सूती वस्त्र
3.	जनता कोपरेटिव सुगर मिल्स लि०	15–10–55	चीनी
4.	इण्डस्ट्रियल केबल्स (इण्डिया) लि०	29–10–60	इन्सुवेटेड वायरें तथा तारें
5.	बटाला कोपरेटिव सुगर मिल्स लि०	29–3–61	चीनी
6.	मोरिण्डा कोपरेटिव सुगर मिल्स लि०	29–3–61	चीनी
7.	सूरज टैक्सटाइल मिल्स लि०	25–5–61	सूती वस्त्र
8.	गौजे इण्डिया लि०	26–11–64	मोटर गाड़ियां तथा पुर्जे
9.	एस्कोर्टस लि०	28–12–64	मोटर गाड़ियाँ तथा पुर्जे
10.	जगतजीत काटन टैक्सटाइल्स मिल्स लि०	25–2–65	सूती वस्त्र
11.	दोआबा कोपरेटिव सुगर मिल्स लि०	28–8–65	चीनी
12.	पंजाब ट्रैक्टर्स लि०	28–1–72	कृषि यंत्र तथा पुर्जे
13.	मोहता अलायज एण्ड स्टील्स लि०	28–2–73	लोहा तथा इस्पात
	राजस्थान		
1.	हिन्दुस्तान जिंक लि०	2–9–49	अलौह धातु
2.	श्री शादूल टैक्सटाइल्स लि०	22–9–51	सूती वस्त्र
3.	जयपुर मैटल्स इलैक्ट्रीकल्स लि०	23–1–55	इन्सुवेटेड वायरें तथा तारें
4.	आदित्य मिल्स लि०	29–11–60	सूती वस्त्र

1	2	3	4
5.	राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०	28–1–61	सूती वस्त्र
6.	ओरियन्टल पावर केबल लि०	26–10–61	इन्सुवेटड वायरें तथा तारें
7.	जे० के० सिन्थेटिक्स लि०	31–1–64	कृत्रिम तथा अन्य मानव निर्मित रेशे
8.	सेन्ट्रल इण्डिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कं० लि०	28–1–66	औद्योगिक मशीनरी तथा उपस्कर
9.	दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कं० लि०	27–4–67	उर्वरक
10.	हिन्दुस्तान सुगर मिल्स लि०	28–10–67	सीमेंट
11.	कैशोरायपटन एस० एस० के० लि०	28–10–67	चीनी
12.	राजस्थान कोपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि०	25–2–71	सूती वस्त्र
13.	अनिल स्टील एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०	28–1–72	धातु उत्पाद
	तमिलनाडु		
1.	मैटूर केमिकल एण्ड इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन लि०	16–2–49	मूल अधौद्योगिक रसायन
2.	लिंक इंडस्ट्रीज लि०	3–4–49	धातु उत्पाद
3.	इण्डिया सीमेंटस् लि०	28–6–49	सीमेंट/लोहा तथा इस्पात
4.	कावेरी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०	10–3–51	सूती वस्त्र
5.	डक्कन सुगर्स एण्ड आबकारी कं० लि०	21–6–52	चीनी
6.	थिरू अरूरन सूगर्स लि०	20–11–54	चीनी
7.	काबेरी सुगर्स एण्ड कैमिकल्स लि०	1-2-56	चीनी
8.	धंगधरा कैमिकल्स वर्क्स लि०	1-2-56	मूल औद्योगिक रसायन/कच्ची धातु खान
9.	लायल टैक्सटायल मिल्स लि०	1-2-56	सूती वस्त्र
10.	रुक्मणी मिल्स लि०	1-2-56	सूती वस्त्र
11.	सरोजा मिल्स लि०	1-2-56	सूती वस्त्र
12.	श्री शिवकामी मिल्स लि०	4-6-56	सूती वस्त्र
13.	श्री राजेन्द्रा मिल्स लि०	4-6-56	सूती वस्त्र
14.	इन्फिल्ड इण्डिया लि०	10-1-57	मोटर साइकल, स्कूटर तथा पुर्जे/कृषि यन्त्र
15.	मदुराकन्सकम कोपरेटिव सुगर मिल्स लि०	16-5-57	चीनी
16.	अमरावती कोआपरेटिव सुगर मिल्स लि०	27-2-58	चीनी
17.	नार्थ अरकोट डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव सुगर मिल्स लि०	27-2-58	चीनी
18.	मद्रास सीमेंट्स लि०	27-9-58	सीमेंट
19.	श्री रंग विलास गिनिंग स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०	16-5-59	सूती वस्त्र
20.	मद्रास एलमोनियम कं० लि०	29-11-60	अलौह धातु
21.	मद्रास रबर फैक्ट्री लि०	29-6-61	रबर उत्पाद
22.	सलेम कोआपरेटिव सुगर मिल्स लि०	30-1-62	चीनी
23.	साउथ इंडिया स्टील एण्ड सुगर्स लि०	28-2-63	चीनी
24.	डब्ल्यू० एस० इन्सुलेटर्स आफ इण्डिया लि०	28-2-63	बिजली मशीनरी तथा उपस्कर
25.	नेशनल कोआपरेटिव सुगर मिल्स लि०	26-4-63	चीनी
26.	शक्ति पाईप्स लि०	26-4-63	लोहा तथा इस्पात
27.	कलाकुरिची कोप० सुगर मिल्स लि०	30-5-63	चीनी
28.	ओमेगा इन्सुलेटड केबल कं० (इण्डिया) लि०	27-6-63	इन्सुलेटड वायरें तथा तारें
29.	अरुणा सुगर्स लि०	29-8-63	चीनी
30.	लक्ष्मी मशीन वर्क्स लि०	28-11-63	औद्योगिक मशीनरी तथा उपस्कर
31.	श्री रामाकृष्णा स्टील इण्डस्ट्रीज लि०	30-4-64	लोहा तथा इस्पात
32.	चतिनाड सीमेंट कारपोरेशन लि०	25-6-64	सीमेंट

1	2	3	4
33.	शक्ति सुगर्स लि०	29-9-64	चीनी/मूल औद्योगिक रसायन
34.	त्रिची डिस्टलरीज एण्ड कैमिकल्स लि०	26-11-64	मूल औद्योगिक रसायन
35.	एसोशियटड सीमेंट कम्पनीज लि०	28-12-64	सीमेंट
36.	माइक्रो टूल्स लि०	27-1-65	धातु उत्पाद
37.	इण्डिया मीटर्स लि०	29-4-65	बिजली मशीनरी तथा उपस्कर
38.	शिवानन्दा स्टील्स लि०	29-4-65	लोहा तथा इस्पात
39.	पान्डयान होटल्स लि०	27-5-65	होटल
40.	साउदर्न ब्रिकवर्क्स लि०	27-5-65	विविध अधातु खनिज उत्पाद
41.	एस० आर० पी० टूल्स लि०	28-6-65	औद्योगिक मशीनरी तथा उपस्कर
42.	के० सी० पी० लि०	24-2-66	औद्योगिक मशीनरी तथा उपस्कर
43.	मार्शल सन्स एण्ड कं० (मैन्यु) लि०	29-9-66	औद्योगिक मशीनरी तथा उपस्कर
44.	वर्किंगम एण्ड कर्नाटक कं० लि०	29-12-66	सूती वस्त्र
45.	प्रोटीन प्राडक्टस आफ इण्डिया लि०	28-10-67	विधय रसायन तथा रसायन उत्पाद
46.	अशोक लिलेंड लि०	29-2-68	मोटर गाड़ियां तथा पुर्जे
47.	प्लास्टिक रेंजिस एण्ड केमिकल्स लि०	27-6-68	कृत्रिम रेशिन्ज तथा प्लास्टिक सामान
48.	मदुरा मिल्स कं० लि०	25-7-68	सूती वस्त्र
49.	धर्मापुरी डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव सुगर मिल्स लि०	31-10-68	चीनी
50.	मेटल पाउडर कम्पनी लि०	31-10-68	विविध रसायन तथा रसायन उत्पाद
51.	मद्रास आक्सीजन एण्ड एसीटेलीन कम्पनी लि०	31-1-69	औद्योगिक गैसें
52.	तिरुचेन्दुर कोप० स्पिनिग मिल्स लि०	26-6-69	सूती वस्त्रह
53.	श्री मीनाक्षी मिल्स लि०	25-2-71	सूती वस्त्र
54.	साउदर्न पैट्रो-केमिकल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०	20-12-71	उर्वरक
55.	श्रीराम फाइब्रस लि०	25-5-72	कृत्रिम तथा अन्य मानव निर्मित रेशे
56.	अमरावती श्री वेंकटेशा पेपर मिल्स लि०	28-9-72	कागज तथा कागज उत्पाद
57.	कोलम्मियन कार्बन (इण्डिया) लि०	26-4-73	विविध रसायन तथा रसायन उत्पाद
58.	ओरियन्टल होटल्स लि०	28-6-73	होटल

उत्तर प्रदेश

1.	पंजाब वनस्पति एण्ड आयल मिल्स लि०	2-6-49	विविध खाद्य उत्पाद
2.	ग्रेट ईस्टर्न इलक्ट्रोप्लेटर्स लि०	2-6-49	धातु उत्पाद
3.	हिन्द केमिकल्स लि०	8-10-49	विविध रसायन तथा रसायन उत्पाद
4.	श्री विक्रम काटन मिल्स लि०	20-1-50	सूती वस्त्र
5.	एशिया केमिकल्स लि०	5-2-52	विविध रसायन तथा रसायन उत्पाद
6.	ओबराय लि०	11-7-53	खेलों का सामान
7.	महालक्ष्मी सुगर मिल्स कं० लि०	27-3-54	चीनी
8.	सर शादीलाल सुगर एण्ड जनरल मिल्स लि०	19-6-54	चीनी
9.	स्टार पेपर मिल्स लि०	1-2-56	कागज तथा कागज उत्पाद
10.	मोदी स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स कं० लि०	3-5-56	सूती वस्त्र
11.	बाजपुर कोपरेटिव सुगर फैक्टरी लि०	8-2-57	चीनी
12.	बागपत कोपरेटिव सुगर मिल्स लि०	27-9-58	चीनी
13.	विभूति ग्लास वर्क्स लि०	5-2-60	कांच
14.	किसान कोपरेटिव सुगर फैक्टरी लि० (सरसावा)	26-4-61	चीनी
15.	कैम्फर एण्ड अलाइड प्राडक्टस लि०	27-4-61	विविध रसायन तथा रसायन उत्पाद
16.	कनोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०	30-11-61	मूल औद्योगिक रसायन
17.	यू० पी० होटल्स एण्ड रेस्टोरेंटस लि०	30-11-61	होटल
18.	यू० पी० कोपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि०	27-12-62	सूती वस्त्र
19.	त्रिवेणी इन्जीनियरिंग वर्क्स लि०	31-1-63	औद्योगिक मशीनरी तथा उपस्कर

1	2	3	4
20.	आटोमोबाइल प्राडक्ट्स आफ इण्डिया लि० (हिन्द आटो इकाई)	31-1-63	मोटर गाड़ियां तथा पुर्जे
21.	किसान कोपरेटिव सुगर फैक्टरी लि० (मझोला)	26-4-63	चीनी
22.	मदान इण्डस्ट्रीज लि०	30-4-64	सूती वस्त्र
23.	श्रीराम पिस्टन्ज एण्ड रिंग्ज लि०	30-4-64	मोटर गाड़ियां तथा पु
24.	इण्डियन एरल गैसेज लि०	29-9-64	औद्योगिक गैसें
25.	अजन्ता टैक्सटाइल्स लि०	29-10-64	सूती वस्त्र
26.	मोदी इण्डस्ट्रीज लि०	29-4-65	लोहा तथा इस्पात
27.	उत्तर प्रदेश स्टील्स लि०	28-6-65	लोहा तथा इस्पात
28.	हिंदुस्तान अलमोनियम कारपोरेशन लि०	29-9-65	अलौह धातु
29.	जैन ट्यूब कम्पनी लि०	24-2-66	लोहा तथा इस्पात
30.	इण्डियन एक्सप्लोसिव्ज लि०	30-3-67	मूल औद्योगिक रसायन
31.	सोमैया आरगैनिक्स (इण्डिया) लि०	27-4-67	मूल औद्योगिक रसायन
32.	यूनिवर्सल टायर्स लि०	28-3-69	रबर उपाद
33.	काशी सहकारी चीनी मिल्स लि०	21-5-69	चीनी
34.	मोदीपोन लि०	30-4-70	कृत्रिम तथा अन्य मानव निर्मित रेशे
35.	राठी अलायज एण्ड स्टील लि०	30-7-70	लोहा तथा स्पात
36.	स्वदेशी पोलिटैक्स लि०	16-1-71	कृत्रिम तथा अन्य मानव निर्मित रेशे
37.	जे० के० सातोह अग्रीकल्चरल मशीन्ज लि०	16-1-71	कृषि यन्त्र तथा पुर्जे
38.	जैन शुद्ध वनस्पति लि०	25-2-71	विविध खाद्य उत्पाद
39.	सैन्चुरी मेटल्स लि०	27-9-71	अलौह धातु
40.	सोमानी स्टील्ज लि०	27-11-71	लोहा तथा इस्पात
41.	सुरिन्द्रा स्टेन माल्ट लि०	24-2-72	विविध खाद्य उत्पाद
42.	जेसन्स इलेक्ट्रोनिक्स लि०	24-2-72	बिजली मशीनरी तथय उपस्कर
43.	मोदी रबर लि०	27-4-72	रबर उत्पाद
44.	इण्डिया इंजीनियरिंग एण्ड कन्सट्रनेशन कं० लि०	25-5-72	धातु उत्पाद
45.	अलाइड इन्टरनेशनल प्राडक्ट्स लि०	27-7-72	धातु उत्पाद
46.	किच्छा सुगर कं० लि०	26-10-72	चीनी
47.	महाराष्ट्र स्टील्स लि०	26-10-72	लोहा तथा इस्पात
48.	यूनिवर्सल ग्लास लि०	30-11-72	कांच
49.	नार्दर्न इण्डिया होटल्स लि०	28-12-72	होटल
50.	त्रिवेणी शीट ग्लास वर्क्स लि०	28-12-72	कांच
51.	मीना स्टील्स लि०	28-2-73	लोहा तथा इस्पात
52.	मोहन स्टील्स लि०	28-2-73	लोहा तथा इस्पात
53.	कोपरेटिव टैक्सटाइल मिल्स लि०	28-6-73	सूती वस्त्र
	पश्चिमी बंगाल		
1.	पुरुलिया इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन लि०	14-1-49	बिजली, उत्पादन, संचरण तथा वितरण
2.	हिन्दुस्तान हैवी कैमिकल्स लि०	28-3-49	मूल औद्योगिक रसायन
3.	मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन लि०	23-4-49	औद्योगिक मशीनरी तथा उपस्कर
4.	जय इंजीनियरिंग वर्क्स लि०	8-10-49	औद्योगिक मशीनरी तथा उपस्कर
5.	कलकत्ता इलैक्ट्रीकल मैन्युफैक्चरिंग कं० लि०	8-10-49	बिजली मशीनरी तथा उपस्कर
6.	अलमोनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	20-1-50	धातु उत्पाद
7.	स्माल टूल्ज मैन्युफैक्चरिंग कं० आफ इंडिया लि०	10-5-50	धातु उत्पाद
8.	बंगाल फाइन स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स लि०	14-10-50	सूती वस्त्र
9.	हिन्दुस्तान नेशनल ग्लास एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०	25-8-51	कांच

1	2	3	4
10.	असोसियेटे पिगमेन्ट्स लि०	5-4-52	विविध रसायन था रसायन उत्पाद
11.	नेशनल रोलिंग एण्ड स्टील रोप्स लि०	26-7-52	धातु उत्पाद
12.	सेन रेले लि०	11-7-53	आइसाइकल
13.	बंगाल केमिकल एण्ड फर्मासियुटिकल्स वर्क्स लि०	21-11-53	मूल औद्योगिक रसायन
14.	स्टील एण्ड एलायज प्राडक्ट्स लि०	11-12-54	धातु उत्पाद
15.	ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कं० लि०	1-2-56	औद्योगिक मशीनरी तथा
16.	हिन्दुस्तान डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि०	4-6-56	धातु उत्पाद
17.	बंगाल पोट्रीज लि०	29-9-56	विविध अधातु खनिज उत्पाद
18.	ब्रिटेनिया बिल्डिंग एण्ड आयरन कं० लि०	2-4-57	धातु उत्पाद
19.	नेशनल रबर मैन्युफैक्चरर्स लि०	27-6-58	रबर उत्पाद
20.	रेमन इंजीनियरिंग वर्क्स लि०	19-12-59	लोकोमोटिव रेलवे वैगन तथा कोच
21.	इण्डिया रिफ्रेक्ट्रीज लि०	5-2-60	विविध अधातु खनिज उत्पाद
22.	अण्डमान एण्ड टिम्बर इंडस्ट्रीज लि०	28-7-60	लकड़ी तथा लकड़ी उत्पाद
23.	इन्वेक टायर्स लि०	28-7-60	रबर उत्पाद
24.	बंगाल पेपर मिल कं० लि०	29-10-60	कागज तथा कागज उत्पाद
25.	एगरिन्ड फेब्रिकेशन्स लि०	29-3-61	औद्योगिक मशीनरी तथा उपस्कर
26.	परसिया कोलरीज लि०	29-3-61	कोयला खान
27.	इस्टइंड पेपर इन्डस्ट्रीज लि०	27-4-61	कागज तथा कागज उत्पाद
28.	विन्डो ग्लास लि०	29-6-61	कांच
29.	इन्डो-अमेरिका इलेक्ट्रीकल्स लि०	29-8-61	बिजली मशीनरी तथा उपस्कर
30.	बम्बई स्टील रोलिंग मिल्स लि०	30-11-71	लोहा तथा इस्पात
31.	खास खजोरा कोल कं० लि०	28-12-61	कोयला खान
32.	गजराज पन्नालाल लि०	31-5-62	सूती वस्त्र
33.	शालीमार वायर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०	28-6-62	अलौ धातु
34.	हिन्दुस्तान वायर्स लि०	31-1-63	धातु उत्पाद
35.	एन्जल इण्डिया मशीन्स एण्ड टूल्स लि०	27-3-63	औद्योगिक मशीनरी तथा उपस्कर
36.	ग्रेफाइट इण्डिया लि०	28-11-63	विविध रसायन तथा रसायन उत्पाद
37.	इन्डस्ट्रीयल प्लांट्स लि०	26-3-64	औद्योगिक मशीनरी तथा उपस्कर
38.	पोद्दार प्रोजेक्टस लि०	28-12-64	सूती वस्त्र
39.	हिन्दुस्तान गैस एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०	27-1-65	औद्योगिक गैस
40.	हुडा टैक्सटाइल्स इन्डस्ट्रीज लि०	25-2-65	सूती वस्त्र
41.	अग्रेसिव्ज एण्ड कास्टिन्ज लि०	26-8-65	लोहा तथा इस्पात
42.	गैस्ट, कीन, विलियम्स लि०	29-9-65	धातु उत्पाद
43.	शक्तिगढ़ टैक्सटाइल्स एण्ड इंडस्ट्रीज लि०	24-2-66	सूती वस्त्र
44.	मयूराक्षी काटन मिल्स लि०	24-2-66	सूती वस्त्र
45.	श्री इंजीनियरिंग प्राडक्ट्स लि०	24-3-66	धातु उत्पाद
46.	हेन लेमन (इण्डिया) लि०	24-3-66	धातु उत्पाद
47.	गोन्टरमिन पेपर्स (इण्डिया) लि०	27-1-67	औद्योगिक मशीनरी तथा उपस्कर
48.	हुडा टूल्स लि०	30-3-67	औद्योगिक मशीनरी तथ्य उपस्कर
49.	डे-से-कैम लि०	28-12-67	विविध रसायन तथा रसायन उत्पाद
50.	दामोदर इन्टरप्राइज्ज लि०	29-2-68	औद्योगिक मशीनरी तथा उपस्कर
51.	हिन्दुस्तान मोटर्स लि०	29-2-68	मोटर गाड़ियां तथा पुर्जे
52.	डलहौजी जूट कम्पनी लि०	28-11-68	पटसन वस्त्र
53.	जनरल इण्डस्ट्रीयल सोसायटी लि०	28-11-68	पटसन वस्त्र
54.	यूनियन जूट कम्पनी लि०	28-11-68	पटसन वस्त्र
55.	कमारहाटी कं० लि०	28-11-68	पटसन वस्त्र
56.	गेंजेज मैयून्फैक्चरिंग कं० लि०	26-12-68	पटसन वस्त्र

परिशिष्ट 'ख'

57.	हावड़ा मिल्स कं० लि०	26-12-68	पटसन वस्त्र
58.	आकलैंड जूट कं० लि०	30-1-69	पटसन वस्त्र
59.	चम्पदानी जूट कं० लि०	30-1-69	पटसन वस्त्र
60.	केलवीन जूट कं० लि०	30-1-69	पटसन वस्त्र
61.	टिटागढ़ पेपर मिल्स लि०	21-5-69	कागज तथा कागज उत्पाद
62.	खरदाह कं० लि०	28-8-69	पटसन वस्त्र
63.	फोर्ट ग्लोस्टर इन्डस्ट्रीज लि०	31-12-69	पटसन वस्त्र
64.	इण्डिया पेपर पल्प कं० लि०	26-2-70	कागज तथा कागज उत्पाद
65.	अलाइड रेसिन्ज एण्ड केमिकल्स लि०	27-7-72	कृत्रिम रेसिन्ज तथा प्लास्टिक का सामान
66.	रेक्सर इण्डिया लि०	28-9-72	विविध रसायन तथा रसायन उत्पाद
67.	बंगाल टूल्स लि०	26-10-72	धातु उत्पाद
68.	जार्ज साल्टर (इण्डिया) लि०	26-10-72	औद्योगिक मशीनरी तथा उपस्कर
69.	एम्पायर जूट कं० लि०	31-5-73	पटसन वस्त्र
70.	ब्राईट बायर्स लि०	28-6-73	धातु उत्पाद
71.	एस० एण्ड पी० इंजीनियरिंग प्राडक्ट्स लि०	28-6-73	बिजली मशीनरी/मोटर साइकल, स्कूटर तथा पुर्जे

दिल्ली

1.	अजोध्या टैक्सटाइल मिल्स लि०	23-4-55	सूती वस्त्र
2.	ईस्ट इण्डिया होटल्स लि०	31-3-60	होटल
3.	सालवानिया एण्ड लक्ष्मण लि०	26-11-64	बिजली मशीनरी

अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह

1.	अंडमान टिम्बर इण्डस्ट्रीज लि०	28-7-60	लकड़ी तथा लकड़ी उत्पाद

गोआ, दमन और दिऊ

1.	जौरी अग्रो केमिकल्स लि०	26-2-70	उर्वरक
2.	संजीवनी एस० एस० के० लि०	28-9-72	चीनी
3.	मद्रास रबर फैक्ट्री लि०	28-2-73	रबर उत्पाद

पांडीचेरी

1.	केन्नौर स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स लि०	28-12-61	सूती वस्त्र

नोट :—(i) जिन मामलों में संस्था विशेष को विभिन्न राज्यों में विभिन्न परियोजनाओं के लिये सहायता मंजूर की गई है, उस संस्था का नाम सम्बन्धित राज्यों में अलग से दिखाया गया है ।

(ii) उद्योग समूह प्रत्येक वित्तपोषित संस्था की सभी परियोजनाओं से सम्बन्धित है ।

हिन्दी अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दावली
(GLOSSARY)

अंतर-सरकारी	Inter-governmental
अंतर्राष्ट्रीय मानक	International-standard
अंशधारी	Share holder
अकथित	Unquoted
अतिरिक्त ऋण	Additional loan
अदावी	Unclaimed
अधिलाभांश	Dividend
अधिकृत पूंजी	Authorised Capital
अधिनियम	Act
अधिमान शेयर	Preference share
अनुमोदन	Approval
अनुग्रहपूर्वक की गई अदायगी	Ex-gratia payment
अनुसूची	Schedule
अनुसूचित बैंक	Scheduled bank
अभिदान-सूची	Subscription list
अलौह धातुएं	Non-ferrous metals
अवमूल्यन	Devaluation
अशोधित बांड	Outstanding bonds
अशोध्य और संदिग्ध ऋण	Bad and doubtful debts
आंकड़े	Figures
आंशिक रूप से प्रदत्त शेयर	Partly paid up shares
आकस्मिक देयताएं	Contingent liability
आवंटित	Allocated
आधुनिकीकरण	Modernisation
आवेदक	Applicant
आवेदन पत्र	Application form
आयात	Import
आरक्षित निधियां	Reserves
आरम्भिक पूंजी	Initial capital
आलोच्य वर्ष	Year under review
आस्थागित अदायगी गारंटी	Deferred payment
इस्पात	Steel
उचंत ब्याज	Interest held in suspense
उचंत लेखा	Suspense account
उप-उत्पाद	By-product
उप-ऋण	Sub-loan
उपकरण	Apparatus
उपक्रम	Undertaking
उपस्कर	Equipments
उपार्जन	Earnings
उदार ऋण	Soft loan
उद्यमकर्ता	Entrepreneur
ऋणी संस्था	Loanee concern

औद्योगिक इकाइयां	Industrial units
औद्योगिक अग्रता	Industrial priority
औद्योगिक गैस	Industrial gas
औद्योगिक वर्गीकरण	Industrial classification
औपचारिकताएं	Formalities
कताई	Spinning
कर	Tax
करघे	Looms
कराधान के लिए व्यवस्था	Provision for taxation
कसौटी	Criteria
कल-पुर्जे	Ancillaries
काठ और कार्क	Wood & cork
कार्यकर पूंजी	Working capital
कार्य-प्रणाली	Procedure
कार्यनिवृत होना	To retire
किस्त	Instalment
कुल जोड़	Grand total
कृत्रिम रेशे	Artificial fibre
केन्द्रीय समिति	Central Committee
केन्द्रीय सरकार	Central Government
कैफियत	Remarks
खण्ड	Section
खदान	Quarrying
खनन	Mining
गारंटियां बुतरफा	Guarantee per contras
घाटा लेखा	Deficit account
छूट	Rebate
जर्मन पुनर्निर्माण बैंक	Kreditanstaltfur Wiede-raufbau
कसौटी	Notes
टिप्पणियां	Moulding
ढलाई	Technical
तकनीकी	Spindles
तकुए	Staple fibre
तंतुक रेशा	Balance sheet
तुलन पत्र	Brokerage
दलाली	Long-term
दीर्घकालीन	Debts due
देय ऋण	Metal products
धातु उत्पाद	Cash balance
नकद शेष	Renovation
नवीकरण	Panel
नामिका	Nominee Director
नामित संचालक	Corporation
निगम	Directive
निर्वाचित	Elected
निदेश	Net
निवल	Investment trust
निवेश न्यास	

नीति विषयक निदेश	Policy directive
नौपरिवहन	Shipping
पूंजीगत माल समिति	Capital Goods Committee
पूंजीविन्यास	Capital structure
परियोजना	Project
परिशिष्ट	Appendix
पेरने की क्षमता	Crushing capacity
पेशगियाँ	Advances
पुनर्स्थापना	Rehabilitation
पुनर्भाजन	Rediscounting
पुनर्मूल्यन	Revaluation
पूर्व-अनुमोदन	Prior approval
पूर्व-दत्त खर्चे	Prepaid expenses
प्रगति रिपोर्ट	Progress report
प्रत्यक्ष अभिदान	Direct subscription
प्रतिवेय	Redeemable
प्रतिभूतियाँ,	Securities
प्रदत्त पूंजी	Paid-up capital
प्रबन्ध विकास संस्थान	Management Development Institute
प्रबंध संचालक	Managing Director
प्रभावी मंजूरियाँ	Effective sanctions
प्रवर्तक	Promotor
प्रवर्तन	Promotional
प्रोद्भत ब्याज	Interest accrued
प्रयोजन	Purpose
फुटकर ऋणी	Sundry debtors
फुटकर लेनदार	Sundry creditors
बट्टा	Discount
बट्टे खाते डाले गये	Written off
बंधक दस्तावेज	Mortgage document
बाकीदारी की रकम	Amount in default
बाजार मूल्य	Market value
बिजली का साज सामान	Electrical equipments
बीमा कम्पनी	Insurance company
बुनियादी रसायन	Basic chemicals
ब्यौरा	Particular
ब्यौरेवार	Detailed
भत्ता	Allowance
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	Industrial Development Bank of India
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	Industrial Finance Corporation of India
भविष्य निधि	Provident Fund
भवन आदि लागत मूल्य	Premises at cost
मध्यम-कालीन	Medium term
मशीनरी पूर्तिकार	Machinery supplier
महाप्रबन्धक	General Manager
माल का अभिसंस्कार	Processing of goods

मूल्यांकन	Appraisal
मूल्य ह्रास	Depreciation
मृतिका शिल्प	Ceramics
मंजूरियाँ	Sanctions
मंहगाई भत्ता	Dearness allowance
राज्य सहकारी बैंक	State Co-operative Bank
रासायनिक प्रक्रिया	Chemical Process
रूप रेखा	Outline
लाभ-हानि लेखा	Profit & Loss Account
लेखा	Account
लेखापाल	Accountant
लेखा-परीक्षक	Auditor
लेखा वर्ष	Accounting year
लेखन सामग्री	Stationery
लेनदार	Creditor
वचनबद्धता प्रभार	Commitment charge
वचन पत्र	Letter of commitment
वनस्पति तेल	Vegetable oil
वर्गीकरण	Classification
वाद-प्राप्य स्ववस्तूएं	Choses-in-action
वार्षिक रिपोर्ट	Annual Report
वार्षिक साधारण सभा	Annual General Meeting
वित्तीय	Financial
वित्तीय कार्य	Financial operation
वित्तपोषित	Financed
वित्तीय संस्था	Financial institution
वितरण	Distribution
विदेशी ऋण	Foreign credit
विदेशी ऋण के लिए गारंटी	Foreign loan guarantee
विधिक प्रभार	Legal charges
विधिवत अर्हता -प्राप्त	Duly qualified
विनियम	Regulation
विनिमयजन्य अन्तर	Difference in exchange
विराम भत्ता	Halting Allowance
विविध	Miscellaneous
विश्लेषण	Analysis
विशाखन	Diversification
विशेषज्ञ	Expert
विस्तार योजना	Expansion scheme
व्यक्तिगत गारंटी	Personal guarantee
व्यवहार्यता	Viability
संचालक	Director
संचालक बोर्ड	Board of Directors
संचयी	Cumulative
संचित आय	Retained earnings
संतुलन उपस्कर	Balancing equipment
संपरिवर्तनीय डिबेंचर	Convertible debenture
संपरिवर्तनीय बाँड	Conversion bond
संविदा	Contract

सवितरण	Disbursement
सयुक्त परामर्श	Joint consultation
संयुक्त राज्य अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय विकास अधिकरण	Agency for International Development (U.S.A.)
संयन्त्र और मशीनरी	Plant & machinery
संशोधन	Amendment
संक्षिप्त विवरण	Summary
सकल आय	Gross income
सचिव	Secretary
समता दर	Parity rates
समय-पूर्व वापसी अदायगी	Premature repayment
समवर्गी	Allied
समीक्षा	Review
सम्पत्ति और परिसम्पत्तियाँ	Property and assets
समायोजन	Adjustment
सलाहकार समिति	Advisory Committee
सहकारी कताई मिल	Co-operative spinning mill
सहकारी समिति	Co-operative Society
सहकारी क्षेत्र	Co-operative Sector
साख पत्र	Letter of credit
साधारण शेयर	Equity share
सामान्य आरक्षित निधि	General reserve fund
सारणी	Table
सावधि जमा	Fixed deposit
सामान्य विनियम	General regulations
सूचना	Notice
सूचीकरण	Listing fee
स्रोत	Source
स्वत्व की निर्बाधिता	Clearance of title
हामीदारी	Underwriting

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

निगम के अधिकारी

प्रधान कार्यालय

मुख्य अधिकारी

चरनदास खन्ना—अध्यक्ष

बलदेव पसरीचा—महाप्रबन्धक

टी० एम० सेन	विधि सलाहकार	एस० एन० पाई	विशेष कार्य अधिकारी
आर० वी० माथुर	सहायक महाप्रबन्धक	पी० एस० गुरुंग	मुख्य तकनीकी अधिकारी
एम० एस० नागरथ	मुख्य लेखापाल	ए० के० घोष	उप-विधि सलाहकार

परियोजना विभाग

डी० एन० डावर	प्रबन्धक	वी० पी० कामथ	सहायक प्रबन्धक
आई० एस० नांगिया	प्रबन्धक	एम० एम० मेनन	सहायक प्रबन्धक
		आर० एन० नायर	सहायक प्रबन्धक
		ए० एन० सहगल	सहायक प्रबन्धक

तकनीकी विभाग

एस० पी० बनर्जी	वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी		
ए० एस० खुराना	वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी		
एम० जी० चतुर्वेदी	तकनीकी अधिकारी		
जी० डी० नारंग	तकनीकी अधिकारी		
आर० एल० शंगरी	तकनीकी अधिकारी		
एस० सुन्दरजिन	तकनीकी अधिकारी		

सलाहकार सेवायें विभाग

एन० पी० चक्रवर्ती	प्रबन्धक		
पी० एस० गिल	कृषिविद्		
के० सी० हुकमानी	वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी		
आर० के० शर्मा	तकनीकी अधिकारी		

विधि विभाग

एल० डी० मुंदक्कुर	वरिष्ठ विधि अधिकारी
बी० एन० बनर्जी	विधि अधिकारी
एस० एस० एल० गुप्ता	विधि अधिकारी
एस० एल० मित्रा	विधि अधिकारी

आर्थिक तथा योजना विभाग

डा० जे० सी० राव	प्रबन्धक	वी० एस० आर० के० सास्त्री	प्रबन्धक
कृष्णा रामानुजम	सहायक प्रबन्धक	जी० नारायणामूर्ति	सहायक प्रबन्धक

सांख्यिकी विभाग

लेखा विभाग

एच० चौधरी	प्रबन्धक	एच० एस० रस्तोगी	प्रबन्धक

आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग

बोर्ड व समन्वय विभाग

वी० के० भिरुपाड	सहायक प्रबन्धक	एन० कृष्णास्वामी	कार्मिक प्रबन्धक
		एम० एल० कपूर	कार्मिक अधिकारी

कार्मिक विभाग

विदेशी मुद्रा ऋण विभाग

प्रशासन विभाग

जी० विश्वनाथन्	सहायक प्रबन्धक	डी० जी० रामैया	प्रबन्धक

अन्य कार्यालय

बम्बई		कलकत्ता		मद्रास		
एम० ऐन० खुशु	क्षेत्रीय प्रबन्धक	आर० एन० साहू	क्षेत्रीय प्रबन्धक	डब्ल्यू० एन० कपूर	क्षेत्रीय प्रबन्धक
एम० वी० कुलकर्णी	सहायक प्रबन्धक	के० राधाकृष्ण	सहायक प्रबन्धक		
एस० के० ऋषि	वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी	चण्डीदास घोष	तकनीकी अधिकारी	वी० रामाचन्द्रन	सहायक प्रबन्धक
बी० के० मलहोत्रा	तकनीकी अधिकारी	एस० के० मित्रा	वरिष्ठ विधि अधिकारी		
आर० एल० श्रीवास्तव	तकनीकी अधिकारी	पी० के० घोष	विधि अधिकारी	के० के० गर्ग	तकनीकी अधिकारी
बी० एम० शाह	वरिष्ठ विधि अधिकारी				
सिद्धेश्वर डे	विधि अधिकारी			पी० एस० बाला सुब्राह्मण्यम्	विधि अधिकारी

अहमदाबाद		दिल्ली	
एस० के० भट्टाचार्य	प्रबन्धक	एल० एन० जाववानी	प्रबन्धक
आर० के० खन्ना	तकनीकी अधिकारी	एस० एम० तुलसियानी	सहायक प्रबन्धक
रवि शंकर शर्मा	तकनीकी अधिकारी	बी० एम० धर	विधि अधिकारी

बंगलौर		हैदराबाद	
पी० एस० गोपालाकृष्णन	प्रबन्धक	एम० एल० चोपड़ा	प्रबन्धक
एच० सी० शर्मा	सहायक प्रबन्धक	जे० पी० शर्मा	वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी
		एम० रामाकृष्णा राव	विधि अधिकारी

भोपाल		भुवनेश्वर	
बी० पी० मिश्रा	प्रभारी अधिकारी	एम० आर० गणपति राव	प्रभारी अधिकारी

चण्डीगढ़		कोचीन	
एस० एम० सिरसिकर	प्रभारी अधिकारी	सी० डी० रेड्डी	प्रभारी अधिकारी

गौहाटी		जयपुर	
एच० पी० गुप्ता	प्रभारी अधिकारी	आर० आर० राव	प्रभारी अधिकारी

कानपुर		पटना	
एस० के० जैन	प्रभारी अधिकारी	के० चेलिया	प्रभारी अधिकारी

निगम के अधिकारियों की अन्य संस्थाओं के साथ प्रतिनियुक्ति

(1) श्री पी० ब्रह्मचारी—वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लि० के साथ।

(2) श्री पी० के० सेन गुप्ता, तकनीकी अधिकारी, उत्तर-पूर्व औद्योगिक तथा तकनीकी सलाह संगठन के साथ।

(3) श्री के० के० कथूरिया, तकनीकी अधिकारी
(4) श्री आई० जे० सचदेव, सहायक तकनीकी अधिकारी
} पंजाब वित्तीय निगम के साथ।

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi, the 13th November 1973

No. 5-CA(1)/17/73-74.—With reference to this Institute's Notification No. 25CA(17)71 dated 18th September, 1973, it is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of members with effect from 14th October, 1973 the name of Shri Jagdish Singh Bhati, F.C.A. M/s. Bhati & Co., Chartered Accountants, Station Road, Bikaner (M. No. 7245).

The 16th November 1973

No. 4-*CA*(1)/13/73-74—In pursuance of Regulation 16 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Clause (a) of Sub-Section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, has removed from the Register of Members of this Institute on account of death, with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following gentlemen :—

S. No.	Membership No.	Name and Address	Date of Removal
1.	113	Shri Naushir M. Marfatia, Alice Building, 4th Floor, Dr. Dadabhai Naroji Road, Fort, Bombay-1.	2-9-1973
2.	169	Shri Perambati Munuswami Varatharajulu Naidu, 26-D, Kilpauk Garden Road, Kilpauk, Madras-10	12-10-1973
3.	722	Shri Dhondo Govind Jawalkar, 195, Budhawar Peth, Sholapur-2.	13-10-1973
4.	5265	Shri S.G. Rama Rao, 231, Arcot Srinivasachar Street, Bangalore-2.	11-9-1973

No. 8*CA*(1)/8/73-74—In pursuance of Clause (iii) of Regulation 10(1) of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members shall stand cancelled for the period mentioned against their names, as they do not desire to hold their Certificate of Practice.

S. No.	Membership No.	Name and Address	Period during which the Certificate shall stand cancelled
1.	11574	Shri Shrinivas Gopal Kolatkar, A.C.A., East & West Building, 55, Apollo Street, Bombay-1.	1-11-1973 to 30-6-1974
2.	13701	Mrs. Saroj, Kumari Agarwal, A.C.A., Krishna Nagar, Faizabad Road, Lucknow.	20-10-1973 to 30-6-1974
3.	14968	Shri K. Sudhakar Hegde, A.C.A., The Vijaya Bank Ltd. Accounts Department, Administrative Office, Bangalore-1.	25-9-1973 to 30-6-1974

C. BALAKRISHNAN, Secy.

THE FOOD CORPORATION OF INDIA

New Delhi-110001, the 16th November 1973

No. 28(1)/68-B.C.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) read with sub-section (4) of Section 16 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964), and in partial modification of the Notification of even number, dated the 30th March, 1968, as amended from time to time, the Board of Directors of the Food Corporation of India hereby appoints Secretary, Agriculture & Cooperation Deptt., Government of Orissa and Secretary, Home Department, Government of Orissa, as members of the Board of Management for the State of Orissa, established under the said Act, in place of Secretary, Cooperation and Forestry Department, Government of Orissa and Secretary, Agriculture Department, Government of Orissa respectively and directs that the following further amendments shall be made in the Notification of even number, dated the 30th March, 1968, namely, in the said Notification, for the existing entries (3) and (5) the following shall be substituted, namely :

(3) Secretary, Agriculture & Cooperation Department, Government of Orissa.

(5) Secretary, Home Department, Government of Orissa.

H. R. KHATTAR
Secretary

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL POSTS & TELEGRAPHS

DEPARTMENT OF POSTS & TELEGRAPHS

NOTICE

New Delhi, the 12th November 1973

No. 25/106/73-LI.—Postal Life Insurance policy No. A-66 dated 20-8-49 for Rs. 20,000/- held by Shri S. S. Achreja having been lost from the departmental custody, notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Dy. Director, Postal Life Insurance, Calcutta has been authorised to issue a duplicate policy in favour of the insurant. The Public are hereby cautioned against dealing with the original policy.

Sd. ILLEGIBLE
Director (PLI)

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

New Delhi, the 15th November 1973

No. F. 1-59/66(CDN).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 22 of the U.G.C. Act, 1956 (3 of 1956) as modified upto 17th June, 1972 and in continuation of Gazette Notifications No. F.87-92/58(CUP) dated 1-12-1958, F.33-72/59(CUP) dated 17-11-1960, F.33-87/63(CUP) dated 6-6-1964, F. 33-87/63(CUP) dated 27-4-1966, F.1-59/66(CDN) dated 18-6-1968, F.1-59/66(CDN) dated 17-2-1969, F.1-59/66(CDN) dated 22-12-1969 and F.1-59/66(CDN) dated 26-2-71, the University Grants Commission with the approval of the Central Government hereby specifies the following additional degree for the purposes of the said section :

Masters degree

1. Samaj Vidya Parangat (Gujarat Vidyapith)
2. Samaj Karya Parangat (Gujarat Vidyapith)
3. Shikshan Parangata (Gujarat Vidyapith)

Doctorate degree

1. Vidya Vachaspati (Gujarat Vidyapith).

R. K. CHHABRA
Secretary

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973